दशम् माला, खंड 42, अंक 42

शनिवार, 3 जून, 1995
13 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5-7-96

(खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खंड 42, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 42, शनिवार, 3 जून, 1995/13 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय	कालम
उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति	2-13
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	2-6,10
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	6
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)	7
श्री मोहम्मद यूनूस सलीम	9-10
श्री राम सागर	12
श्री सीताराम केसरी	12
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	13
श्री विनय कटियार	65-67
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	67-68
श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित	68-70
श्री इन्द्रजीत गुप्त	70-71
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	71-74
श्री सैफुद्दीन चौधरी	74-76
श्री सुरेशानन्द स्वामी	76-77
श्री चन्द्रशेखर	77-79
श्री वीरेन्द्र सिंह	79-80
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	80-85
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	85-86
श्री राजवीर सिंह	86-87
श्री बलराज पासी	87-88
श्री चन्द्रजीत यादव	88-92
श्री के. पी. रेड्डय्या यादव	92-93
श्री शरद यादव	93-94
श्री निर्मल कांति चटर्जी	95
जम्मू कश्मीर के संबंध में जारी उद्घोषणा को आगे जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	13

विषय	कालम
श्री इन्द्रजीत गुप्त	13-21
श्री मृत्युन्जय नायक	21-24
श्री हरि किशोर सिंह	24-26
श्री इन्द्रजीत	29-32
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	32-35
श्री प्रमथेश मुखर्जी	35-37
श्री एस. एम. लालजान बाशा	37-39
श्री भोगेन्द्र झा	39-42
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	43-44
श्रीमती सरोज दुबे	44-46
श्री याइमा सिंह युमनाम	46-47
श्री मोहन रावले	47-48
श्री सैयद शहाबुद्दीन	48-53
श्री नवल किशोर राय	53-54
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	54-57
श्री एस. बी. चव्हाण	57-64
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सियालदह–जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा एक मालगाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना एवं हीराकुंड एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	26-28
श्री सी. के. जाफर शरीफ	
(दो) राजीव गांधी हत्याकांड	28-29
श्री पी. चिदम्बरम	
(तीन) राजकीय अतिथि गृह, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को डराने–धमकाने की घटनायें	97
श्री एस. बी. चव्हाण	
दिल्ली किराया विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	64-65
खंड 2 से 82 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	65
श्रीमती शीला कौल	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	108-109

विषय	कालम
राज्य सभा से संदेश	109
विभागीय स्थायी समितियां – एक समीक्षा–प्रति सभा पटल पर रखी गई	109
नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गये	
(एक) महाराष्ट्र में सी. ए. आर. ई. (केयर) की योजनाओं को जारी रखने तथा कुपोषणग्रस्त बच्चों की मदद हेतु राज्य को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	109-110
श्री शांताराम पोतदुखे	
(दो) देश में इलायची उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता	110
श्री के. एम. मैथ्यू	
(तीन) पंजाब से गुजरने वाली गंगा नहर की शीघ्र मरम्मत करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता	110-111
श्री बीरबल	
(चार) असम में उत्तरी लखीमपुर में एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता	111
श्री बालिन कुली	
(पांच) मणिपुर के पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक "मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद्" के गठन हेतु विधान बनाये जाने की आवश्यकता	111-112
प्रो० एम. कामसन	
(छः) नोयडा, गाजियाबाद और दादरी को रेल द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता	112
डा० रमेश चन्द तोमर	
(सात) उत्तरी मुम्बई में बेहतर डाक सेवायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	112
श्री राम नाईक	
(आठ) पर्यटन के विकास के लिए सुन्दरबन में संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता	113
श्री सनत कुमार मंडल	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तैतालीसवां प्रतिवेदन – स्वीकृत	113
विधेयक पुरःस्थापित	113
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 22 में संशोधन)	114
श्री सैयद शहाबुद्दीन	
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 30 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	114
श्री सैयद शहाबुद्दीन	
विदाई उल्लेख	114-120
श्री पी. वी. नरसिंह राव	117
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	117-119
डा० सत्यनारायण जटिया	119
श्री चन्द्रजीत यादव	119-120
राष्ट्रीय गीत	120

लोक सभा

शनिवार, 3 जून, 1995/13 ज्येष्ठ 1917 (शक)
लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मुलायम सिंह सरकार को बरखास्त करो। .... **(व्यवधान)**

11.01 म. पू. इस समय श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

..... **(व्यवधान)**

11.02 म. पू. इस समय श्री मोहन सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।

..... **(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : मुलायम सिंह सरकार दलितों की विरोधी सरकार है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। मेरा विचार है, हमें सभी महत्वपूर्ण मसलों पर ठीक ढंग से विचार करना चाहिए और सदस्य.....

...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : रात भर वहां लखनऊ में गुण्डागर्दी होती रही है...... **(व्यवधान)**

श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी (बांदा) : वहां जो कुछ हो रहा है वह बर्दाश्त के बाहर है।..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि मैं चर्चा सुगम बना रहा हूं। यदि उन्हें एक साथ खड़ा होने और इस पर चर्चा करने में आनन्द आता है तो ठीक है हम खामोश रहेंगे। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि यदि सदस्य इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें इन पर चर्चा करने की अनुमति निश्चित रूप से दी जायेगी। साथ ही मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि और भी बहुत से विषय हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। निस्संदेह वरिष्ठ सदस्य काफी सहयोग देते रहे हैं क्योंकि वे इसे समझते हैं। एक बार दो या तीन सदस्यों द्वारा एक विषय पर प्रकाश डाले जाने के पश्चात सभी सदस्यों के लिए इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं होना चाहिए क्योंकि अन्य सदस्यों को भी चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है।

...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वी. धनञ्जय कुमार (मंगलौर) : गृह मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वे जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए।

.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया शांत रहिये।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : वहां रात भर गुण्डागर्दी की गई है। यह सब नहीं चलेगा। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिना समझे से इस प्रकार बोलते जाते हैं।

......**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : वहां मायावती की जान को खतरा है। वहां स्टेट गेस्ट हाउस को गुण्डों ने घेर रखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए।....**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपका यह कहना सही है कि आज इस सत्र का अंतिम दिन है और हम चाहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। लेकिन आप सदस्यों की उत्तेजना को देख रहे हैं। कल जब लोकसभा की बैठक आज के लिए स्थगित हुई थी तब मैंने कल लखनऊ में जो कुछ हो रहा है उस मामले को उठाया था। कांग्रेस के बहुत कम मित्र कल उपस्थित थे। इसलिए मैं चाहता हूं वे भी जो कुछ लखनऊ में हो रहा है उसके बारे में और उसके भीतर जो अर्थ छिपे हुए हैं उनके बारे में गंभीरता से विचार करें। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस पार्टी अल्पमत में चुनकर आई थी और अब बहुमत में बैठी है, लेकिन जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ है वह कोई मारपीट कर नहीं हुआ. ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ का प्रतिनिधि हूं, मैं लखनऊ से चुनकर आया हूं। मैं कल रात भर टेलीफोन के कारण से सो नहीं सका हूं। रात भर टेलीफोन की घंटियां बजती रही हैं और "बचाओ" उनका एक शब्द था जो सारी व्यथा को प्रकट कर सकता है कि बचाओ। बसपा के विधायकों में कल एक भाजपा का विधायक भी बंद हो गया था, वह गैस्ट हाउस में

मिलने के लिए गया हुआ था और उसको घेर लिया गया।.....**(व्यवधान)** बसपा की बैठक कल 2.30 बजे से स्टेट गैस्ट हाउस में शुरू हुई। हममें से बहुत से लोग भी उसी गैस्ट हाउस में रूकते हैं....**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है, अगर टोकाटाकी होगी तो फिर आज यह सदन चलेगा नहीं।.....**(व्यवधान)**

श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी : हाउस नहीं चलेगा। वहां गुण्डागर्दी नहीं चलने दी जाएगी।.....**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : वाजपेयी साहब, आपको उधर से ही टोकाटाकी कर रहे हैं, इधर से कोई नहीं टोक, रहा है।.... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अगर यह स्थिति रहेगी और मुझे बोलने से रोका जाएगा।.....**(व्यवधान)** कुछ नहीं।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

......**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वाजपेयी जी को बोलने से आप ही ने रोका है। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। **(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : हम लोग खड़े होते हैं तो हमको बोलने नहीं दिया जाता है। बार–बार ऐसा हो रहा है। उधर से खड़े होते है तो आप चुप हो जाते हैं।

....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, वाजपेयी जी बोल रहे हैं। वे अहम मसले को उठा रहे है।

.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि इस पक्ष का कोई सदस्य उन्हें बीच में नहीं टोकेगा और साथ ही मैं श्री वाजपेयी की पार्टी के सदस्यों को चेतावनी देता हूं कि वे इस सभा में सही व्यवहार करें और कम से कम श्री वाजपेयी को तो बोलने दें।

.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के लिए टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो कृपया मामले को उलझाये नहीं। श्री वाजपेयी सही परिप्रेक्ष्य में स्थिति को रख सकते हैं। यदि आपके पास कोई उत्तर है तो वह उत्तर उन्हीं लोगों से आना चाहिए जो उत्तर देने के लिए प्राधिकृत हैं न कि आप सभी से।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मारपीट का शिकार बनाया जायेगा और वह भी इस आधार पर कि उन्होंने सरकार का समर्थन करना बंद कर दिया तो इस देश में लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार थी, उसे बहुमत प्राप्त था और वह सरकार चल रही थी लेकिन बसपा ने सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया। पूरी पार्टी अलग हो गयी। यह कोई डिफैक्शन का मामला नहीं है बल्कि पूरी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सपा की सरकार अल्पमत में रह गयी। अब इस अल्पमत को फिर से बहुमत में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। अगर वे कोशिशें वैध तरीके से हों, शांतिपूर्ण तरीके से हों, समझा–बुझाकर हो तो कोई उंगली नहीं उठायेगा लेकिन कल लखनऊ में जो कुछ हुआ, वह खतरे की घंटी है।

कल वहां ढाई बजे से गैस्ट हाउस में विधायकों की बैठक हो रही थी, जिस गैस्ट हाउस में आपमें से बहुत से लोग ठहरे होंगे। उस गैस्ट हाउस को कुछ गुंडों ने घेर लिया और घेरने के बाद उस गैस्ट हाउस के बिजली के तार काट दिये गये, टेलीफोन के तार काट दिये गये तथा किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस इस काम में सपाइयों की मदद कर रही थी। फिर जो विधायक बैठक में बैठे थे, उन पर हमला किया गया। एक–एक को घसीट कर मार–पीट करते हुये वापस ले जाने की कोशिश हुई। एक दर्जन के करीब विधायकों का दिनदहाड़े गैस्ट हाउस में अपहरण किया गया। यदि चुने हुये प्रतिनिधियों का इस तरह से अपहरण हो और लखनऊ के नामी गुंडे उसमें शामिल हों, मैं नाम बता सकता हूं लेकिन उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वे विधायकों को धमका रहे थे। यह सिलसिला चलता रहा और रातभर चला है। वैसे तो सपा की सरकार हल्ला–बोल की बात करती है लेकिन यह खाली हल्ला–बोल तक सीमित नहीं रहा, यह तो हमला है और विधायकों पर हमला है।

वहां जिस तरह से अफसरों के तबादले हो रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन मैं लखनऊ का प्रतिनिधि होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि वहां एक एस. एस. पी. जो बहुत अच्छे थे, निष्पक्ष और निर्भीक थे, कल उनका भी तबादला कर दिया गया क्योंकि वे सत्ता पक्ष के स्वार्थों की पूर्ति में सहायक नहीं थे। दूसरे भी कई अफसरों के तबादले हुये हैं और सरकार वहां अल्पमत में रह गयी है, वह अपने को फिर से बहुमत में लाने के लिये प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रही है, आतंक और अपहरण का सहारा ले रही है।

कल वहां एक विचित्र घटना घटी। किसी ने जाकर हजरत गंज थाने में कुमारी मायावती के खिलाफ एफ. आई. आर. लिखा दी और वहां का एक सब–इंस्पैक्टर उस एफ. आई. आर. के आधार पर मायावती को गिरफ्तार करने के लिए गैस्ट हाउस पहुंच गया। मायावती, जिन्हे वहां मुख्यमंत्री होना चाहिये था.... **(व्यवधान)** हां, यह आपको पसन्द नहीं है।

अब इनका दलित–प्रेम कहां गया? अभी गुजरात के एक छोटे से गावं कड़ी में कुछ दलितों पर कथित ज्यादती हुई तो नई दिल्ली का सिंहासन डोल गया। गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को बुलाया और अदालती जांच करने पर बल दिया। अदालती जांच किसी सिटिंग जज द्वारा होनी चाहिये, इस पर जोर डाला गया। अब जब पहली बार उत्तर प्रदेश में एक दलित सरकार बनने की भूमिका तैयार हो रही है तो ये लोग हंस रहे हैं। ..... **(व्यवधान)**

ये हंस रहे हैं। अच्छा हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मायावती मुख्यमंत्री बने या न बने, लेकिन वे बसपा की नेता हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। उन्हें बसपा के विधायक दल ने अपनी नेत्री चुना है। वे गवर्नर से मिली हैं। उन्होंने गवर्नर से सरकार बनाने का दावा किया है। इन लक्ष्यों को तो नहीं झुठलाया जा सकता। आप मायावती को पसन्द करें या न करें। वैसे तो आपकी परदे के पीछे कांशी राम से बहुत घुटती थी। हमने तो अब घोटना शुरू किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं ......

अध्यक्ष महोदय : आपके बोलने से पहले उन्हें बैठ जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, मैं नहीं बैठ रहा।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपसे उनके बैठने तक प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं:–

"इब्तिदा–ए–इश्क है रोता है क्या। आगे–आगे देख होता है क्या।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो दल बसपा का समर्थन लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, वे सदन में इस तरह की प्रक्रिया प्रकट करें, तो सचमुच में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। खैर मैं अब उसको रोक नहीं सकता, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर बसपा की विधान परिषद् में, विधान मंडल में जो नेत्री चुनी गई हैं अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई छोटा सा पुलिस का अफसर चला जाए और वहां हाथापाई करे, अगर लोग उनको गिरफ्तार करने से रोकते नहीं, तो वह पुलिस वाला, पता नहीं वह कांस्टेबल था या सब–इंस्पैक्टर था, वह एफ. आई. आर. के आधार पर उनको गिरफ्तार कर के चला जाता।

कल जब मैंने मामला उठाया था, तो गृह मंत्री जी से कहा था कि विधायकों की रक्षा का इंतजाम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस यह काम नहीं कर सकती। क्या केन्द्र कोई केन्द्रीय सुरक्षा बल नहीं भेज सकता था? क्या केन्द्र ने सारे मामले पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी? राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है? क्या यह सच नहीं है कि रात को तीन बजे तक बसपा के विधान सभा के सदस्यों को डराने और धमकाने का सिलसिला चलता रहा?

अध्यक्ष महोदय, वहां एक गतिरोध पैदा हो गया है और इस गतिरोध का एक ही हल है कि राज्यपाल जिन्होंने मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है, वे मुख्यमंत्री की नियुक्ति से अपना प्लैजर वापस ले लें। अगर मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि हम विधान सभा में, जो 8 जुलाई को होगी, शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं, तो जो मुख्यमंत्री बहुमत खो चुका है और तोड़–फोड़ के द्वारा, मारपीट के द्वारा बहुमत बनाने की कोशिश कर रहा है, वह प्रयास सफल नहीं होगा, 10 मैम्बर चले गए, 15 मैम्बर चले गए। कल की हमारी रिपोर्ट यह है कि जो राज्यपाल के यहां गए थे उनमें से सात मैम्बर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हमें जबर्दस्ती ले जाया गया। उन्हें पीटा गया। अब ऐसे मुख्यमंत्री को अगर 8 जुलाई तक का समय दिया गया, तो यह ठीक नहीं है। यदि समय देना है, तो फिर बसपा की सरकार को समय दीजिए। बसपा को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बुलाना चाहिए। बसपा की सरकार बने और अगर मुलायम सिंह के पास बहुमत है, तो वे विधान सभा में आ कर शक्ति परीक्षण करें, अपना बहुमत सिद्ध करें। मगर उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की जैसी स्थिति मैंने आपसे कही है, यह स्थिति अगर और बिगड़ती है और यह सरकार चलेगी, तो स्थिति और बिगड़ेगी, इससे सारे प्रदेश में जातीय तनाव पैदा हो जायेगा, सारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ जायेंगी।....**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, वहां तनाव पैदा नहीं हो जायेगा, बल्कि तनाव पैदा हो गया है। वहां हरिजनों को पीटा जा रहा है। यह कहने की बात नहीं कि वहां हरिजन विधायक मारे जा रहे हैं...... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए बैठ जाता हूं।...... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति हो गयी है कि जब यह मीटिंग चल रही थी तो उसके अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसके गुण्डों ने जाकर चारों तरफ से हमला कर दिया। वहां विधायकों को पीटा गया, वे कई विधायकों को अपहरण करके ले गये। वहां की पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। वहां के बड़े पुलिस अधिकारी – डी. आई. जी और एस. एस. पी. समाजवादी पार्टी के लोग, मुलायम सिंह के लोग मिलकर बसपा के विधायकों को पिटवा रहे हैं। यह हमारे लिए और इस हाउस के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि अभी तक हरिजन केवल सड़क पर ही पीटा जाता था लेकिन अब विधानसभा के अंदर पीटा जा रहा है।.... **(व्यवधान)** इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी?

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप तत्काल यहां से निर्देश दें तथा लोकसभा को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इस संदर्भ में मैं यहां अनशन पर बैठता हूं।

11.22 म. पू. इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

.....**(व्यवधान)**

11.22 म. पू. इस समय श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) सभा पटल

के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

.....(व्यवधान)

11.23 म. पू. इस समय श्री फूलचन्द वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी का भाषण तो कम्पलीट होने दीजिए।

11.23½ म. पू. इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री अपने स्थान पर वापस चले गए।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक 12.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.24 म. पू.

तत्पश्चात् लोक सभा 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

12.00 म.प.

लोक सभा 12.01 बजे पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति - जारी

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग) : उत्तर प्रदेश के मामले को जितनी जल्दी तय किया जाए, उतना ही अच्छा होगा।.....**(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, ... **(व्यवधान)** वहां का एस. पी. बहुत भद्दी बातें कर रहा है। वह कहता है कि मायावती बाहर आओ, हम तुमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। जब 1 तारीख को बहुजन समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापिस ले लिया तो उसके बाद गवर्नर की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उस सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, जो राष्ट्रीय जनरल सैक्रेटरी हैं और हमारे विधायक दल की नेता भी चुनी हुई हैं, ने यह दावा किया है कि हम उत्तर प्रदेश में मैजोरिटी शो करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। जब मुलायम सिंह की सरकार माईनौरिटी में है और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी मैजोरिटी शो करना चाहती है तो गवर्नर को फौरी तौर पर उसे उपना बहुमत शो करने का मौका देना चाहिए।

वहां सरकारी लोग अभी भी गुंडागर्दी कर रहे है। लगभग 50 गुंडों ने स्टेट गैस्ट हाउस के 9 कमरे घेर रखे हैं और मायावती के खिलाफ अनपार्लियामैंट्री लैग्वेज़ यूज़ कर रहे हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के कोने–कोने में यादव लोग, जिनका नाम हमारे पास लिखा हुआ है, दलित वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। जब दलित वर्ग के लोग भी उस स्थिति में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ सकता है और स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि मुलायम सिंह की सरकार को फौरी तौर पर बरखास्त किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर मेनटेन रह सके।..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक है, हो गया।

श्री मोहन सिंह : एक और सीरियस मैटर है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सीरियस मैटर कह दिया, उसको और कितना लम्बा करेंगे।

..... **(व्यवधान)**

12.05 म. प. इस समय श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मायावती के प्राणों को बचाने के लिए सरकार को फौरी तौर पर कार्रवाई करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही – वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये। .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। आप हमेशा के लिए क्या मजाक बना रहे हैं?

12.06 म. प.

इस समय डा. परशुराम गंगवार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कश्मीर का रैजोल्यूशन आपको पास करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्री वाजपेयी जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं लेकिन इस तरीके से नही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं लेकिन इस तरीके से नहीं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि सदस्यों को इस तरह व्यवहार करना चाहिये। मैं सदस्यों को चर्चा करने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 1.00 बजे म. प. तक के लिए स्थगित होती है।

12.07 म. प.

तत्पश्चात् सभा 1.00 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

1.00 म. प.

लोकसभा 1.00 म. प. पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति - जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे लिये सदस्यों की भावनाओं को समझना कठिन नहीं है और हमें समझना भी चाहिये। सदस्यों का विवेक भी ऐसे मामलों में उपयोगी और सहायक हो सकता है। हम इस मामले में सदस्यों के विचार सुनना चाहते हैं। लेकिन इस सभा में एक मामला लम्बित है जो समान राष्ट्रीय महत्व का विषय है और वह है – कश्मीर के बारे में संकल्प। यदि सभा सहमत हो तो हम पहले यह संकल्प ले सकते हैं और बाद में इस विषय पर चर्चा कर सकते है; या यदि सभा चाहे कि हमें पहले इस विषय पर चर्चा कर लेनी चाहिए और बाद में संकल्प लेना चाहिए तो जैसा आप सब चाहेंगे वैसा चाहें कर सकते हैं। हम सभी पक्षों के सदस्यों को सभा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे। यदि संभव हो तो हम यह सुझाव भी दे सकते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये, अथवा कैसे किया जा सकता है, आदि।

मैं इस मामले में आप का सहयोग चाहता हूं।

....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : महोदय, मेरा एक अनुरोध है। पुनरीक्षित कार्य सूची में मद संख्या 10 वक्फ विधेयक पारित करने के बारे में हैं। यह विधेयक राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि यह एक बहुत उलझा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे आज ही परिचालित किया गया है। हमें यह आज ही सुबह अन्य कागजात के साथ मिला।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : हमें इसे पढ़ने का भी समय नहीं मिला। अतः समय की कमी को देखते हुए मैं आप से और आपके माध्यम से सभा से और माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आज चर्चा के लिए लेने के बजाय इसे अगले वर्षाकालीन सत्र में लिया जाये। हम जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहते क्योंकि यह बहुत विवादास्पद विधेयक है। मंत्री जी ने 4 या 6 बार विभिन्न नेताओं की बैठकें बुलाई हैं। अतः हमें इस विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करने और यदि आवश्यक हो तो अपने सुझाव देने का समय मिलना चाहिए।

यही मेरा विनम्र निवेदन है। आप कृपया निर्णय लें ताकि इस सम्बंध में सही चर्चा हो सके।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने कश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव का उल्लेख किया। हम भी चाहते हैं कि वह प्रस्ताव पारित हो। कश्मीर की स्थिति चुनाव कराने लायक नहीं है, यह मत हमारा पहले से ही रहा है। अब प्रस्ताव के द्वारा सरकार ने भी उसी आधार को स्वीकार किया है। हम चाहते हैं कि वह प्रस्ताव पास हो लेकिन इस समय पार्टी के सदस्य कितने उत्तेजित हैं, इसका आपने दृश्य देखा।

हम सदन में मर्यादा का पालन करने का हमेशा प्रयास करते हैं। कुंए में कूदना हमारे लिए एक अपवाद स्वरूप ही हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपको वह दिन स्मरण होगा जब कावेरी के सवाल पर कुछ माननीय सदस्य कुंए में आ गए थे और मेरे एक सदस्य जो कर्नाटक से चुने गए हैं, वह जब कुंए में जाने का प्रयास कर रहे थे तो मैंने उन्हें रोका और वहीं बिठा लिया। हम कुंए में जाना पसंद नहीं करते। **(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद युनूस सलीम : वह भी जब कुंआ सूखा हो। .... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर नदी का मामला हो तो कुंए में कूदना लोग पसंद करते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है हमें खेद है कि सरकार अभी तक कल की घटनाओं के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करके सदन के सामने रिपोर्ट रखने की स्थिति में नहीं है। कल शाम को मैंने यह मामला उठाया था। लखनऊ बहुत दूर नहीं है, तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। मैंने कल चेतावनी दी थी, मैंने उल्लेख किया था कि मैं आज इस मामले को उठाऊंगा। सरकार का कहना है कि उसके पास तथ्य नहीं है, वह तथ्य इकट्ठे कर रही है। क्या प्रदेश सरकार तथ्य देने में आनाकानी कर रही है ? क्या प्रदेश के अलावा केन्द्र के पास सूचनाएं एकत्र करने का अपना भी कोई ढंग है? क्या राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई? क्या राज्यपाल केन्द्र के मांगने पर भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और अगर राज्यपाल की रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर सदन को विश्वास में लेने में क्या कठिनाई है? यह प्रश्न अगर हल हो जाता तो बहुत सी उत्तेजना को टाला जा सकता था। हम इस स्थिति के बारे में अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। ...... **(व्यवधान)**

श्री रामसागर (बाराबंकी) : महोदय, बार–बार भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए बाद में टाइम दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, अपने दल का विरोध प्रकट करने के लिए हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

1.07 म. प.

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।

.....(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को भी जम्मू–कश्मीर बनाने की बात हो रही है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये सारा मामला गंभीर है।

... **(व्यवधान)** अभी हमारी बात लखनऊ में हुई हैं। मायावती जी की सुरक्षा के लिए पूरा प्रबंध नहीं किया गया। वहां 10 कमरे स्टेट गैस्ट हाउस के गुंडों ने घेर रखे है।

... **(व्यवधान)** वहां नारे लगा रहें है कि जब भी मायावती बाहर आएगी तो हम उसको मुख्यमंत्री बना कर भेजेंगे। जब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है तो सरकार की तरफ से बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है?. .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, पहले मेरी बात सुन लीजिए।

....(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : मैं इसके विरोध में हाउस से वाक आउट कर रहा हूं।

1.08 म. प.

(तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) सभा से उठकर चले गये

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति दूंगा। सभी दलों के सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन हमें यह बात समझ लेनी चाहिये कि हमारे समक्ष एक और विषय भी है जो काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे पहले लेते है और इसे निपटा देते हैं तो बाद में आप के पास अन्य चीजों पर चर्चा करने के लिए खुला समय होगा।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, आप एक पक्ष को सुनें और दूसरे पक्ष को भी अपनी बात संक्षेप में रखने की अनुमति दें। उसके बाद आप जो कहेंगे हम उसको माल लेगें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : महोदय, मैंने जो मामला उठाया था।

..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात ध्यान में रखेंगे।

श्री रामसागर : महोदय, कल और आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और वास्तविकता से हट करके यहां पर अपनी बात कही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से लेकर आज तक चर्चा कर रहे थे और जब हम लोगों को सुनने का मौका आया तो अड़चन डालने की कोशिश की जा रही है। असली बात यह है कि कल वहीं अतिथि गृह में बसपा की सभा चल रही थी और बसपा के ही नेता और पूर्व मंत्री श्री राज बहादुर के साथ मुलायल सिंह के पक्ष में 60 से अधिक लोग उठ कर आना चाहते थे। लेकिन उनको जबरन अतिथिगृह में रोका गया। इन सारी गतिविधियों से पहले मुलायम सिंह जी के कहने पर राज्यपाल ने 6 जुलाई से विधान सभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी थी। अब कौन बहुमत में है और कौन अल्पमत में है, कौन सरकार चलाएगा, इस बात का फैसला विधानसभा में होना है।

असली बात यह है कि कुछ लोग मुलायम सिंह की सरकार को गिराकर काशी और मथुरा की लड़ाई छेड़ना चाहते हैं तथा प्रदेश में और देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। यह भाजपा की साजिश है और बार–बार इस मामले को यहां पर उठाकर इस साजिश को कार्यरूप देने की कोशिश की जा रही है। आज धर्म निर्पेक्ष ताकतों का हम आह्वान करते हैं कि स्थिति को समझने का कष्ट करें। उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद गिराना चाहती थी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने नहीं गिराने दी थी। इसी तरह से अब मथुरा और काशी की लड़ाई भी मुलायम सिंह जी नहीं छेड़ने देना चाहते थे, इसलिए यह साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही है। मैं सब लोगों का आह्वान करता हूं कि इस संकट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में ऐसी ताकतों को कामयाब न होने दें और 8 जुलाई को मुलायम सिंह जी को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी, मैं आप को संकल्प पारित हो जाने के पश्चात् समय दूंगा।

[हिन्दी]

केसरी जी, वक्फ बोर्ड विधेयक के बारें में आप कुछ कहना चाहते हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, यहां पर सभी लोग जो... सांसद भाई हैं, उनसे एक बार नहीं अनेक बार इसके बारे में मशविरा किया गया है। यह बिल राज्य सभा में एकमत से पास हो गया है। कुछ संशोधन भी दिए गए हैं, वे भी हमने ले लिए हैं। अब यदि इस बिल को इस सत्र में यहां पर पास नहीं किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। यदि इस बिल को अगले सत्र में लाना चाहते हैं तो इसका उत्तरदायित्व.....* सांसद भाईयों पर होगा।

श्री नीतीश कुमार (बाद) : अध्यक्ष महोदय, क्या कोई ऐसी परंपरा

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

है कि....* सासंद कहा जा सकता है। हाउस की कोई डिगनिटी होनी चाहिए। यदि कोई चीज माइनारिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हो तो क्या इस तरह से कहा जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

....(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : स्पीकर साहब, यह मामला बहुत ही गंभीर हैं, बहुत नाजुक मामला है। आप जानते हैं कि 1954 का यह बिल है। इसके बाद एक इन्कवायरी कमेटी में 14-15 साल काम चला और उसने सिफारिशें दीं, जिनके आधार पर यह बिल लाया गया। अब 1993 से यह बिल बन कर तैयार पड़ा हुआ है। इन 2 सालों में भी इस पर बहुत बहस हो चुकी है। अब यह फाइनल शेप में आया है।

लेकिन फाइनल शेप है, हम नहीं जानते हैं क्या है। आज ही सर्कुलेट की है। तो फाइनल शेप का स्टडी करना है। आज ही सर्कुलेट हो, आज की पास हो जाए, यह तो बहुत जल्दी की बात है। जहां तक केसरी जी का ताल्लुक है उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी यह पेश हो जाए और पास कर लिया जाए। लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिल पेश हो और फौरन बिना जाने–समझे और स्टडी किए पास भी कर लिए जाए। इसके लिए हम यह चाहते हैं थोड़ा वक्त दे दिया जाए। कुछ चीजें हैं। आज सेशन खत्म हो रहा है। अगला सेशन जब आयेगा तो यह पेश करा जा सकेगा और पास करा जा सकेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं मंत्री जी इससे सहमत हैं। अब हम संकल्प लेंगे। इसमें कुछ उलझन है। तथापि हम कठिनाईयों को समझने और इस पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। आज हम भोजनावकाश भी नहीं करेंगे। हम भोजन तो ले सकते हैं लेकिन भोजनावकाश नहीं होगा। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त जी से बोलने का अनुरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसके लिए कितना समय रखा गया है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ सदस्यों के नाम हैं। यदि बहुत आवश्यक हो तो वे बोल सकते हैं। अन्यथा वे मतदान करके इस संकल्प को पारित करने में सभा की सहायता कर सकते हैं। यह भी समर्थन करने और अपने विचार व्यक्त करने का एक तरीका है।

1.16 म. प.

जम्मू-कश्मीर के सम्बंध में जारी उद्घोषणा को आगे जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, आपकी इच्छानुसार मैं जहां तक हो सकेगा अपनी बात संक्षेप में रखूंगा।

यह कोई नई बात नहीं है। जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मामला एक ऐसा मामला है जिससे हम पिछले पांच वर्षो में कई बार कर चुके हैं और इन पांच वर्षो में कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो गई है। कश्मीर में पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का अर्थ यह है कि वहां कोई राजनैतिक प्रक्रिया नहीं है। वहां कोई राजनैतिक गतिविधि नहीं है। इसके लिए मैं केवल सरकार को ही दोषी नहीं ठहराता। मैं जानता हूं कि राजनैतिक दल, किन्हीं अच्छे कारणों से कश्मीर में कोई राजनैतिक योगदान नहीं दे सकें हैं। लेकिन तथ्य यह है कि इतने वर्षो के पश्चात् और वहां इतना कुछ होने के पश्चात् अब हम वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त करने, राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ करने और वहां चुनाव करवाने के लिए वातावरण तैयार करने के पक्ष में थे। इस बीच दुर्भाग्यवश यह चरार–ए–शरीफ की घटना हो गई है। एक तरह से मैं समझता हूं कि राजनैतिक प्रक्रिया संसद सदस्यों द्वारा चरार–ए–शरीफ दौरे से आरंभ हुई। यह राजनैतिक प्रक्रिया है। यह और क्या है? इस सभा में सभी राजनैतिक दलों के सदस्य एक शिष्टमंडल में एक साथ चरार–ए–शरीफ गये, वहां कुछ समय रहे, लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने वहां संसद सदस्यों का स्वागत किया, उनसे बातचीत हुई। उनको जो कुछ वे कहना चाहते थे कहने का अवसर दिया गया हम उन के विचारों से सहमत हों अथवा नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन यह राजनैतिक प्रक्रिया थी। इससे पूर्व यह शिकायत थी कि कश्मीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग प्रशासन के सामने अपना जी हल्का कर सकें। वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रशासन अबाध रूप से लोगों की शिकायतों, उनकी मांगों, उनके सुझावों को सुन सके और उनके साथ विचारों का आदान–प्रदान कर सके। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां के प्रशासन में अधिकारी वर्ग का बोल–बाला है और वर्तमान राज्यपाल के होते हुए भी यही स्थिति है। अब मैं समझता हूं कि राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ हो गई है लेकिन इस में फिर बाधा आई है और अब हम पुनः ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं कि हम चाहें अथवा न चाहें; हम यह नहीं कह सकते कि चुनास शीघ्र होने चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अवधि, जो इस समय लागू है, 17 जुलाई को समाप्त हो जायेगी और इस दौरान, हम मानते है कि चुनाव कराना संभव या व्यवहार्य नहीं होगा और यही कारण है कि हमें न चाहते हुए भी सभा के समक्ष लाये गये इस संकल्प पर विचार करना होगा। मुझे नहीं मालूम कि इससे जनता को क्या संदेश जायेगा। इससे जनता को यह संदेश जायेगा कि हम एक बार और राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं दे सकते। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि जहां तक संभव हो सकेगा हम यह प्रयास करेंगे कि इस बार राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने तक बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े और हम इसे कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज में यही प्रश्न उठाना चाहता हूं। यही मुख्य प्रश्न है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं। चरार–ए–शरीफ की घटना से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि वह संसद में एक व्यापक वक्तव्य देंगे जिसमें इस कश्मीर समस्या के सभी पहलूओं पर प्रकाश डाला जायेगा और यह बताया जायेगा कि कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने, उन्हें कुछ आश्वासन देने, किसी राजनैतिक और आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने तथा चुना के लिए वातावरण तैयार करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है। मैं समझता हूं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एक वक्तव्य सभा

में देंगे। अन्तत : वह वक्तव्य जो कुछ हुआ है उसके कारण नहीं दिया जा सका। हम पसन्द करें अथवा नहीं, अब हमने निश्चय किया है कि हमें यह सांविधिक संकल्प स्वीकृत करना होगा।

जब तक स्थगित किया गया प्रधानमंत्री का वह वक्तव्य इस सभा को उपलब्ध नहीं कराया जाता मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं।

हम इस छः, पांच या चार महीने की अवधि में क्या करने जा रहे हैं, जब भी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए यहां संकल्प आता है, हमें आश्वासन दिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन की इस अवधि का प्रयोग राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ करने के प्रयोजनार्थ और घाटी में यथासंभव स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास करने के लिए किया जायेगा और हर बार छः महीने के अंत में यह पता चलता है कि कुछ नहीं किया गया है और स्थिति वहीं है जो पहले थी या उससे भी बदतर हो गई है। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम बहुत दुःखद होंगे। अतः अब जब हम पुनः इस राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने जा रहे हैं तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह देश तथा इस सभा को स्पष्ट बतायें कि वह राजनैतिक अथवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के प्रयोजनार्थ इस समय का कैसे उपयोग करेगी। कुछ ठोस कदम अवश्य उठाये जाने चाहिए। अन्यथा हम मात्र राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहते। वहां के लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि सरकार उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देने के लिए गंभीर रूप से तैयारी कर रही है। राज्य विधानमंडल में कोई प्रतिनिधि नहीं है। संसद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए कम से कम यह स्थिति तो बदलनी चाहिए। इस स्थिति को अब अधिक समय के लिए सदन नहीं किया जा सकता। अतः हमें बताया जाये कि हम ये चुनाव कैसे करवाना चाहते है। इसमें कई समस्यायें हैं। वहां राजनैतिक समस्यायें तो है ही, इनके अलावा तथ्य यह है कि वहां के लोग हम से दूर होते जा रहे हैं। इसे हम चाहे पसंद करें या न करें परंतु वास्तविकता यही है। कम से कम मेरी तो यही धारणा है। जब हम एक शिष्टमंडल में वहां गये और वहां के लोगों से बातचीत की तो हमें पता चला कि उनके बहुत कटु अनुभव हैं और वे हम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। यह समस्या का राजनैतिक पक्ष है। सरकार को हमें बताना होगा कि वह क्या करने जा रही है। इस में कुछ तकनीकी और व्यवहारिक समस्यायें भी है। अब कश्मीर में चुनाव कराने के लिए बहुत सी चीजें करनी होंगी जो आसान नहीं हैं।

सब से पहले आपको निर्वाचन अधिकारियों की आवश्यकता होगी। मुझे संदेह है कि आप को घाटी से ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो ऐसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। निर्वाचन अधिकारी कहां से आयेंगे? वे बाहर से आयेंगे। इस समय भी बहुत से उच्च अधिकारी तथा कर्मचारी जो वहां का प्रशासन चला रहे हैं कश्मीर के नहीं हैं। वे बाहर के लोग हैं। बहरहाल, कई बार ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन चुनावों के लिए आप को पहले की तरह कोई व्यवस्था करनी होगी। असम में 1983 के चुनावों के लिए सभी चुनाव कर्मचारी दिल्ली से असम विमान द्वारा ले जाने पड़े थे इसके पश्चात् भी चुनाव इस दृष्टि से नहीं हो सके कि उनका बहिष्कार किया गया। एक भी व्यक्ति वोट देने नहीं आया। मुझे आशंका है कि इस बार संभवतया हुरीयत भी चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान करेगी। हुरीयत नेताओं ने पहले ही कहा है कि वे किसी भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। निस्संदेह, यदि हम चुनावों से पहले कुछ कदम उठायें तो कुछ लोगों को मैं यह नहीं कहता कि अधिकांश लोगों को या काफी लोगों को, चुनावों में भाग लेने के लिए राजी किया जा सकता हैं। चुनाव कराये जाते हैं तो चुनाव घाटी में हो नहीं अपितु जम्मू में भी होंगे और लद्दाख में भी होंगे। इन तीनों क्षेत्रों में स्थिति एक सी नहीं हैं। यह हम जानते हैं। समस्या घाटी में है। यदि हुरीयत या किन्हीं अन्य नेताओं द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया जाता है तो हमें इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि लोग बड़ी संख्या में वोट देने आयेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वास्तव में प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा था कि हो सकता है कि कोई मतदान न हो या बहुत कम लोग वोट देने आयें। जो भी हो, मतदान न होने से यह अच्छा है कि कम लोग ही मत देने आयें। कम से कम उन लोगों को यह तो महसूस होने दीजिए की यह सरकार और इस देश के लोग वास्तव में चाहते हैं कि कश्मीर में चुनाव हों ताकि कश्मीर के लोग अपने प्रतिनिधि चुन सके। इस समय घाटी में जो लोग अधिक प्रसिद्ध हैं, जो पहले नहीं थे, उनका काफी महत्व है। पहले हम शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित और आगे उनके लड़के द्वारा चलाई जाने वाली नेशनल कान्फ्रेस के बारे में जानते थे। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। पहले नेशनल कान्फ्रेस की घाटी के हर गांव में अपना काडर अपनी कमेटी और अपनी इकाईयां हुआ करती थीं। अब स्थिति ऐसी नहीं है। मैं इसके कारणों में नहीं जाऊंगा।

महोदय, अब नई शक्तियां उभर आई हैं। पिछले कुछ वर्षो में कई नये युवा नेता उभर आये है। कुछ ने आतंकवादियों के साथ शुरूआत की। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और बाद में रिहा कर दिया गया। जब उन्होंने यह संकेत दिया कि वे बन्दूकों का सहारा छोडने और बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उनका कश्मीर के लोगों ने भारी स्वागत किया। मैं यहां शबीर शाह, यासिन मलिक आदि लोगों का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने खुले आम घोषणा की है कि उनको इस बात में विश्वास नहीं है कि बन्दूकों के बल पर कश्मीर समस्या हल हो सकती है। वे बातचीत करने के पक्ष में हैं। मेरा भी सरकार के विरुद्ध यह एक आरोप यह है कि यह अवसर खोया जा रहा है। इन लोगों के साथ बातचीत करने, उनसे मिलने अथवा उनकी भावनाओं को समझने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। मुझे विश्वास है कि उनको ठीक ढंग से समझाया जाये तो वे काफी लोगों को चुनाव के लिए तैयार कर सकते है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रधान मंत्री ने भी ऐसा कहा हैं और जब हम शबीर शाह से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि किसी आगामी चुनाव में जो लोग चुने जायेंगे वे अनिवार्य रूप से सरकार चलाने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन यदि वे कम से कम यह दावा कर सकते हैं कि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनका प्रयोग आगे बातचीत करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी मुझे तथा कई अन्य सदस्यों को बताया है कि इन लोगों के निर्वाचन के पश्चात् हम बैठ कर इन लोगों के साथ कश्मीर के भविष्य विशेष रूप से स्वायतता के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वायतता का क्या अर्थ है? दस लोगों की स्वायतता के बारे में 10 अलग अलग परिभाषायें हो सकती हैं। आपके यह कहने का क्या अर्थ है कि कश्मीर को भारतीय संविधान के अन्तर्गत यथासंभव अधिक से अधिक स्वायतता दी जानी चाहिए? उनका कहना है कि उन्हें आजादी

चाहिए। आजादी क्या है? स्वायतता क्या है? क्या दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं? पाकिस्तान के कब्जे में सीमा के उस पार कश्मीर का जो भाग है वहां से हमें आजादी अर्थात् पाकिस्तान से आजादी की आवाज कभी सुनाई नहीं देती। उस ओर कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगाता। मैंने शबीर शाह से पूछा "सीमा के उस पार जो कश्मीरी रहते हैं क्या वे भी आप के भाई नहीं हैं? उन्होंने कहा हां, बेशक। मैंने कहा, "आप आजादी के लिए चिल्ला रहे हैं लेकिन यह कैसे है कि वे कभी आजादी की मांग नहीं करते? उन्होंने कहा, "यही कारण है कि मैं वहां जाकर उनसे बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। मुझे कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि यह सब ठीक है या नहीं। गृह मंत्री हमें इसके बारे में बता सकते हैं।

बहरहाल, किसी का यह ख्याल हैं कि निर्वाचन के आधार पर ऐसी सरकार बन सकेगी जो काम कर सके। किसी का ख्याल यह है कि कुछ प्रतिनिधि चुने जायेंगे जिनके साथ हम स्वायतता की मात्रा, स्वायतता की परिभाषा आदि के बारे में अधिक अर्थ पूर्ण चर्चा और विस्तृत बातचीत कर सकेंगे। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। हम कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार जारी नहीं रख सकते, हम उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं इसी पहलू को उजागर करना चाहता हूं। मैं इस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि निर्वाचन आदि के बारे में उनका क्या अनुभव रहा। इसके बारे में बात करना उचित नहीं है। सभी इसके बारे में जानते हैं। वे भी इसके बारे में जानते हैं। हम इसे उनसे छिपा नहीं सकते। मैंने एक सुझाव दिया है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बार भारत सरकार तथा इस सभा के सभी बड़े दल एक साथ, पृथक रूप से या सयुंक्त रूप से नहीं, इस आशय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि वे संयुक्त रूप से यह जिम्मेदारी लेंगे कि भावी निर्वाचनों में गड़बड़ी नहीं होगी, और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से उनको सम्पन्न किया जायेगा। इसकी हम सब पर जिम्मेदारी होगी जो हमें निभानी होगी। लेकिन लोगों को यह महसूस करना चाहिये कि केवल सरकार ही निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों की बात नहीं कर रही है। हमने पहले भी कई बार सुना हैं और हम जानते हैं कि यह क्या है। सभी दलों तथा सरकार को एक साथ संयुक्त रूप से लोगो को यह गारंटी देनी चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए।

इसके पश्चात जम्मू और लद्दाख का प्रश्न उठेगा जो दो अलग क्षेत्र हैं। एक में हिन्दू अधिक है और दूसरे में बौद्ध। चुनाव तीनों क्षेत्रों में कराने होंगे। उन सभी लोगों का क्या होगा जिन्हें बाध्य होकर घाटी को छोड़ना पड़ा और बाहर आना पड़ा तथा जो अपने राज्य से बाहर व्यवहारिक तौर पर शरणार्थी बन गये हैं। वे सभी हिन्दू नहीं हैं। उनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित हो सकते है। मुसलमानों को भी बाध्य होकर घाटी को छोड़ना पड़ा। वे कश्मीर से बाहर रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश शरणार्थी शिविरों में हैं। उनके मतदान के अधिकार का क्या होगा? इसके लिए भी कोई व्यवस्था करनी होगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरकार इसके बारे में सोच नहीं सकती। उन लोगों को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि सरकार उनको मतदान के अधिकार से वंचित कर रही है। लोग शारीरिक रूप से अपने घरों मैं उपस्थित नहीं होते तो भी वे मतदान करते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे वे अपना वोट दे सकें। कोई ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें वे यह भी महसूस करें कि ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है जिससे वे अन्ततः अपने घरों को लौट सकेंगे। संभवतः इस समय वे अपने घर नहीं जाना चाहते। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं।

आप चाहते हैं कि हम इस संकल्प का समर्थन करें। मैं इसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि इस संवैधानिक संकल्प के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कल से आप क्या करने का विचार रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि चार या छः महीने के पश्चात् हमें पता चले कि हम वहीं के वहीं हैं। कुछ भी नहीं किया गया है और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वे लोग भारत के साथ किसी भी तरह के समझौते का विरोध करने पर तुले हुए हैं। अब स्थिति बिगड़ गई है। विदेशी भाड़े के सैनिकों तथा ऐसे कई अन्य लोगों के घाटी में घूमने की खबर मिली है। उनके पास हथियार है। चरार–ए–शरीफ घटना से स्पष्ट हो गया है कि वे हमारे लोगों की अपेक्षा अधिक सुसंगठित हैं।

श्री श्रीकांत जेना (कट्टक) : मस्तगुल भी वहां है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मस्तगुल भी हो सकता हैं। उनकी आसूचना सेवायें हमारी आसूचना सेवाओं से काफी बेहतर मालूम पड़ती हैं। ऐसी स्थितियों में हमारी जो विभिन्न एजेन्सी काम कर रही हैं उनमें तालमेल नहीं है। सरकार यह कहती रहती है कि हम क्या कर सकते है ये लोग साधारण तीर्थ यात्रियों के भेस में इन मस्जिदों में घुस जाते हैं, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, वे मस्जिद में घुस कर वहीं रहने लगते है और कुछ महीनों तक इधर–उधर नहीं जाते। यह सही है। लेकिन कोई ऐसी आधुनिक आसूचना सेवा भी होगी जो ऐसी स्थितियों से निपट सकती है। केवल सीमा के उस पार के लोग ही नहीं हमारे लोग भी तीर्थयात्रियों का वेश धारण कर सकते हैं। हमारे लोगों को मालूम हो कि वे लोग मस्जिदों में छिपे हुए हैं और वहां शरण ली हुई है तो हमारे लोग भी उन मस्जिदों में प्रवेश ले सकते हैं। अपने धर्म के अनुसार वे इन प्रयोजनों के लिए उन मस्जिदों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन वे बार–बार ऐसा करते रहे है। यह काम अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर से आरंभ हुआ। सिख धर्म कई महीनों तक पवित्र मन्दिर में शस्त्रों के साथ सशस्त्र लोगों की उपस्थिति का अनुमोदन नहीं करता। लेकिन वे इसमें घुसे रहे और अन्ततः उनको निकालने के लिए बलों का प्रयोग करना पड़ा जिस का राजनैतिक परिणाम पूरे देश के लिए दुःखद सिद्ध हुआ। हम इन चीजों को भूल नहीं सकते।

अब हमें अधिक संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। अब मैं यह भी नहीं पूछना चाहता कि चरार–ए–शरीफ में क्या हुआ। हमें कई परस्पर विरोधी खबरें, वक्तव्य मिले हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस भी इस मामले को लेकर वहां जा रही है। इस मस्तगुल ने भी वहां प्रेस सम्मेलन बुलाया जिसमें संचार माध्यम यहां तक कि विदेशी संचार माध्यम के लोगों ने भी भाग लिया। वे मस्तगुल से वहां मिले और हरी मस्जिद नामक जगह पर उनके प्रेस सम्मेलन में बैठे। यह हरी मस्जिद मस्तगुल का प्रधान कार्यालय है। वहां से वह संदेश भेजता हैं। बेतार संदेश आते हैं और हमारे लोगों ने उनमें से कुछ संदेशों को बीच में सुना है। ऐसे एक संदेश में उन्होंने वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी। स्थानीय लोग कुछ दबाव डाल रहे थे कि आप ढाई–तीन महीनों से यहां है। अब काफी हो गया। अब जाने

की कृपा कीजिए। वह जाना चाहता था। लेकिन ऐसा लगता है कि सीमा के उस पार से एक बेतार संदेश आया कि आपको वहीं रहना है; आप वहीं रहिये जब तक कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वह पूरा नहीं हो जाता। मुझे नहीं मालूम कि ये संदेश सही है या नहीं। उसके पश्चात् यह आगजनी हुई। संभवतः एक या दो हजार घर जल गये और तब मस्जिद जली। हम वहां गये। हमने अपनी आंखों से इसे देखा है। दीवारों पर उर्दू में कई नारे लिखे हुए थे। एक नारा था फतेह या शहादत। कुछ दीवारों पर पाकिस्तानी झंडे भी छपे हुए थे। वे काफी समय से थे। स्थानीय लोगों ने हमें बताया, 'हां, ये यहां थे, हम मानते हैं लेकिन हम क्या कर सकते थे? हमें आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद सुरक्षित रहेगी और जो लोग अन्दर हैं उन्हें पकड़ लिया जायेगा। परन्तु क्या हुआ? अन्ततः मस्जिद जल कर राख हो गई और एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया। क्या यह हमारी प्रतिष्ठा के लिए ठीक है? लोगों ने हम से पूछा – आपने उन्हें तब क्यों नहीं पकड़ा जब उन्होंने यहां से भाग निकलने का प्रयास किया? यदि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं?

लेकिन सच्चाई यह है कि सेना को मस्जिद में न जाने के आदेश दिये गये थे जो निस्संदेह मेरी राय में बिल्कुल सही है। सेना मस्जिद पर कब्जा कर सकती थी लेकिन सभी सम्बन्धित लोगों के लिए इस के परिणाम बहुत घातक होते। मस्जिद को किसी भी हालात में बचाना कठिन था। सेना अन्दर जाने का प्रयास करती तो भी इसे उड़ा दिया जाता अथवा जला दिया जाता और कुछ नागरिक मारे गये होते। यही कारण था कि सेना अन्दर नहीं गई। वे कुछ दूरी पर उस जगह के चारों ओर बाहर की तरफ से घेरा डाले हुए थे। बाद में जब 8 और 9 की रात को मकान जलने लगे तो सेना नजदीक गई; वे अन्दर की तरफ चले गये। तब तक मस्जिद को भी आग लगा दी गई थी। लेकिन ये लोग निकल गये। मस्जिद को नहीं बचाया जा सका।

कुछ लोगों ने हमें बताया– मेरे विचार से यह रोचक प्रचार है। यह सब सेना का काम है। सेना ने आग लगाई और सब कुछ राख कर दिया। क्या आप ऐसा चीजें सुनना चाहेंगे। मुझे लोगों के इस तरह पागलों की तरह चिल्लाने के बहुत परेशानी हुई कि सेना ने इन सभी मकानों और मस्जिद को आग लगाई है। सेना ऐसा क्यों करेगी? इसका कोई औचित्य नहीं है। इस समय स्थिति यह है कि हमारी तथाकथित कश्मीर नीति के कारण विश्व भर में भारत बदनाम है। हम ऐसी चीज क्यों करेंगे जबकि हम पहले ही बदनाम हैं? लेकिन उन लोगों का कहना था कि सेना ने ही ऐसा किया है। उन्होंने कुछ अधिकारियों की ओर संकेत किया और कहा "इन लोगों ने ऐसी किया है। मुझे इन पर विश्वास नहीं है परन्तु मुझे विश्वास है कि इस तरह का प्रचार कशमीर के अन्य भागों में नहीं हुआ तो पूरी घाटी में तो हो ही गया है।

हमें अपने प्रचार तंत्र को तेज करना चाहिए। हमारा प्रचार तंत्र इस समय निष्प्रभावी है, इसके द्वारा किसी चीज का खंडन नहीं किया जाता। हमारा प्रचार तंत्र अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करता। हमारा प्रचार तंत्र खामोश रहता है जबकि दूसरा पक्ष विश्वभर में जो कुछ चाहें प्रचार तथा प्रसार करता रहता है। अतः मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अब हमें अवसर मिला है हमें यह छः महीने का समय मिला है या जैसा कि चव्हाण जी और प्रधान मंत्री को आशा है इसमें छः महीने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे विचार से वे काफी आशावादी हैं। लेकिन वे हमें बतायें कि वे स्वायतता या राजनैतिक और आर्थिक पैकेज के मामले में क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं।

चरार–ए–शरीफ के लोगों ने ही नहीं, राज्यपाल ने भी तथाकथित महत्वपूर्ण जन प्रतिनिधियों के साथ हमारी एक बैठक रखी। ये लोग विभिन्न दलों के थे जो वहां रहते हैं। बात यह है कि वे घाटी में रहते हैं, वे दिल्ली या जम्मू में नहीं रहते है। उन्होंने यह भी बताया कि यहां जो कुछ हुआ है उसके कारण प्रशासन तथा सेना की काफी बदनामी हुई है क्योंकि वे धार्मिक पूजा के स्थान की रक्षा नहीं कर सके और आप यह सब जानते हैं। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता कि नूरुद्दीन नूरानी की मस्जिद का कश्मीर के लोगों – दोनों हिन्दू और मुसलमानों के लिए क्या महत्व है। नूरुद्दीन नूरानी एक सूफी संत थे। जिसकी सभी लोग पूजा करते थे। हम इसकी रक्षा न कर सके, हम इन लोगों को पकड़ नहीं सके, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। अतः प्रशासन या सेना की प्रतिष्ठा ऊँची नहीं है। इसलिए इन जन प्रतिनिधियों का कहना था कि जब तक भारत सरकार कोई ऐसा राजनैतिक और आर्थिक पैकेज नहीं लाती जिससे कम से कम कुछ लोगों को अपने पक्ष में नहीं कर सकें, तब तक हमें चुनाव की बात नहीं करनी चाहिये।

महोदय, मैं और समय नहीं लेना चाहता। मेरे विचार से यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। अतः हमें अपनी गलतियों के लिए कुछ प्रायश्चित करना होगा। इन वर्षों में कुछ भूल–चूक हुई है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन कश्मीरी लोग जो इतने खिझे हुए हैं उसका कारण है।

लेकिन हमारे पास कोई विलल्प नहीं है। हम यह नहीं कह सकते नहीं, नहीं आप जल्दी चुनाव करवाईये। यह संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी हो जाये और कुछ भी न हो। तब हमारी स्थिति न केवल यहां अपितु विश्वभर में बहुत खराब होगी। यह बिल्कुल सही है कि जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो वे उस ओर से कुछ कर देते हैं। वे घाटी में चुनावों से डरते है। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं, कुछ और लोग सीमा के उस पार से आ जाते हैं और किसी मस्जिद में घुस जाते हैं। वहां सैंकड़ों मस्जिद हैं, वे किसी भी मस्जिद में घुस पर वहां बैठ सकते हैं और संकट पैदा कर सकते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हम बिना किसी जानमाल की हानि के बच कर निकल आये। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने हजरत बल संकट का समाधान करने का बीड़ा उठाया, उन्होंने उन लोगों से बातचीत की, उनको थका दिया और अन्ततः उन्हें बाहर लाने में सफल हुए। निंस्संदेह उनके पास खाना भी समाप्त हो गया था। इसी कारण उन्हें बाहर आना पड़ा। लेकिन अन्ततः उन्हें बाहर लाया गया। इसलिए यह एक सफल कार्यवाही थी।

हमारी ओर से कश्मीर के लोगों से कोई बातचीत नहीं की जाती है। अतः मेरी सर्वप्रथम शिकायत यह है कि सरकार तथा इसके प्रतिनिधि जिनको भी वे अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते है – कश्मीर के लोग के साथ बातचीत नहीं करते। राज्यपाल बातचीत नहीं करता। जो भी सदस्य इस शिष्टमंडल में गये मेरे पास उनकी ओर से यह कहने का कोई लिखित अधिकार नहीं है लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उनमें से सभी सदस्यों को, चाहें वे किसी दल के हों, जो राज्यपाल

से मिले, यह विचार था कि यह राज्यपाल इस पद के लायक नहीं है; उसे जितना जल्दी बदला जाये उतना अच्छा होगा। वह किसी से नहीं मिलते और किसी से बात नहीं करते। वह अपने दिनों में एक अच्छे सैनिक रहे होंगे क्योंकि वह कभी सेना के अध्यक्ष थे। लेकिन लोगों के साथ उसका कोई तालमेल नहीं है। आपका यही रवैया रहा तो आप कश्मीर में कुछ नहीं कर सकेंगे।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक नये योग्य राज्यपाल, एक राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले राज्यपाल की नियुक्त करने के बारे में गंभीरता से विचार करे। यह बहुत आवश्यक है।

यह बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको वित्तीय सहायता दी है। मैं माननीय अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार से जोरदार शब्दों में कहा कि अपने बरबाद हो गये मकानों आदि को पुनः बनाने के लिए उनको सहायता देने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये। हमें बताया गया है कि कुछ किया जा रहा है। इस बात पर नज़र रखने का कोई तरीका नहीं है कि क्या किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो कुछ कहा है मुझे उस पर विश्वास है।

हमेशा यह आवाज सुनाई देती है कि 'हमें सरकार से कोई पैसा नहीं लेना है, हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे; हम अपना पैसा एकत्र करके इसका निर्माण करेंगे। ऐसी चीजें देर तक नहीं चलतीं। गरीब लोगों के मकान नष्ट हो गये हैं। अतः मुझे विश्वास है कि वे वित्तीय सहायता का स्वागत करेंगे। अतः सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता जारी रखनी चाहिए। यदि सरकार इस संकल्प के लिए केवल हमारी तकनीकी सहायता की अपेक्षा नहीं करती और वास्तव में हमारा समर्थन प्राप्त करना चाहती है तो सरकार हमें बताये कि इस संकल्प के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् सरकार क्या करना चाहती है ताकि दो, तीन, चार, पांच या छः महीनों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि हम चुनाव कराने को जोखिम ले सकें – यह जोखिम हीं है। बहरहाल हमें घाटी में चुनाव करवाने का जोखिम लेना चाहिये ताकि कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय खोला जा सके।

1.50 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, मैं जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 जुलाई, 1995 से और छः मास के लिए बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करता हूं। महोदय, कश्मीर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यदि दिल्ली देश का दिल है तो कश्मीर देश का सरताज और गौरव बन गया है।

जहां तक कश्मीर की स्थिति का सम्बंध है, इसकी आलोचना हुई है और इस सभा के दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के सुझाव भी दिये हैं। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि कश्मीर की समस्या पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इसका समाधान बड़ी सावधानी और नाजुक ढंग से किया जाना चाहिये।

कल श्री जसवंत सिंह ने आशंका व्यक्त की कि जम्मू कश्मीर में कई कारणों से चुनाव नहीं कराये जा सकते। निस्संदेह, मैं यह मानता हूं कि चरार–ए–शरीफ मस्जिद को जला दिया गया। लेकिन इससे पूर्व इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सफलता प्राप्त कर सकते थे। हम सब को बड़ी अच्छी तरह याद है कि हजरत बल की घटना में हमें बड़ी सफलता मिली जिसके लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री प्रंशसा के पात्र हैं। लेकिन चरार–ए–शरीफ मस्जिद को एक गहरी पूर्व नियोजित षडयंत्र के कारण जला दिया गया। इस षडयंत्र में पाकिस्तान और ऐसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ है जो नहीं चाहतीं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ हो। लेकिन हमारी सरकार का दृढ संकल्प है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वचनवद्ध हैं और हम चाहते हैं कि राज्य में विधान सभा के चुनाव जल्दी हों।

हम इस सभा में बार–बार यह मांग करते रहे हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति को जाकर देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में वास्तव में क्या हो रहा है। एक संसदीय शिष्टमंडल को वहां जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिये। जब कानून और व्यवस्था को वास्तव में खतरा था तो सरकार ने स्थिति से कठोरता से निपटने का निश्चय किया। जसवंत सिंह जी की यह आशंका है कि काश्मीर के उन लोगों को जिन्हें कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा और बाध्य होकर कश्मीर से बाहर रहना पड़ा उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। यह सही है लेकिन केवल इसी कारण हम चुनाव स्थगित नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने वचन और वायदे को पूरा करना है। हमने यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो और सामान्य स्थिति बहाल करने का केवल एक ही तरीका है कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ की जाये।

महोदय, हमें आशा है कि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और कश्मीर के लोगों के मन में निश्चित रूप से आशावाद की भावना जागृत की जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा आश्वासन अभी हाल ही में दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं, निवेश, रोजगार आदि के रूप में हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये। हमारी सरकार जम्मू–कश्मीर के लोगों को हर प्रकार की सहायता देने की काफी इच्छुक है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया यथासंभव शीघ्र आरंभ की जा सके।

मैं एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। विपक्ष का यह कहना कि इसे पूरा सम्मान और आदर नहीं दिया जाता, सही नहीं है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार बहुत सौम्य और लोकतांत्रिक है। हमारे प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करने के लिए बिना किसी संकोच के हमारे विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी को जनेवा भेजा। इस से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार और हमारे नेता कितने उदार हैं। हमने देखा है कि यद्यपि चरार–ए–शरीफ मस्जिद को जला दिया गया फिर भी मुस्लिम देशों ने अधिक प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की है। वे समझते है कि ऐसा क्यों हुआ। यह घटना कतिपय एजेन्सी द्वारा किये गये षड़यंत्र के कारण हुई अतः यह कोई असामान्य बात नहीं थी लेकिन खेद और पश्चाताप की बात यह है कि जब अयोध्या में एक मस्जिद गिराई गई तो एक राजनैतिक दल का इसमें हाथ था। स्वाभाविक है कि इससे मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके परिणामस्वरूप, एक ओर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा यह आशंका व्यक्त ही जा रही है कि हम उनकी भावनाओं

को ध्यान नहीं रखते और दूसरी ओर सीमा के उस पार शत्रु देश की कतिपय एजेन्सी यह षडयंत्र करने का प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर में राजनैतिक स्थिरता कायम न होने दी जाये।

महोदय, हमें मुस्लिम देशों से ही नहीं अपितु विश्व में अन्य भागों से भी समर्थन मिला है। हमारे प्रधानमंत्री के संयुक्त राज्य अमरीका के पिछले दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी नीति तथा मानवाधिकारों के बारे में हमारे प्रयासों को अधिकांश अमरीकी सेनेटरों ने समर्थन किया। अतः हमें जम्मू कश्मीर के मसले पर चर्चा करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये।

महोदय, हमें कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनावों में भाग लेने के लिए राजी कर सकें और राज्य में चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर सकें। तभी कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह कहना ठीक है कि पंचायत और अन्य स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में लोगों को भाग लेना चाहिए ताकि कम से कम सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों में बेहतर तालमेल का मार्ग प्रशस्त हो।

महोदय, मुझे कई बार यह देख कर वास्तव में आश्चर्य होता है कि जब भी प्रधान मंत्री जी कश्मीर के बारे में कुछ कहते हैं तो विपक्ष के सदस्यों के मन में कुछ भ्रांति पैदा हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों से यह मांग की गई है कोई सांविधिक संस्था बना कर उसे कुछ सांविधिक अधिकार देकर कश्मीर को कुछ स्वायतता दी जाये। उस मांग के उत्तर में प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा कि हम संविधान के अन्तर्गत कुछ स्वायतता देने के लिए तैयार हैं।

एक ओर यह कहकर हमारी आलोचना की जाती है कि राज्यपाल एक सैनिक होने के नाते राज्य के लोगों की भावनाओं को शान्त करने में असमर्थ है। दूसरी ओर हमारे सामने घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति है। यह राज्य बड़ा नाजुक है क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र में है। अतः हमारे लिए कई बार स्थिति से निपटने के लिए सेना की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। अतः चरार–ए–शरीफ को जलाये जाने के प्रश्न पर राज्यपाल की निन्दा करने से पूर्व हमें यह भी देखना चाहिये कि किन परिस्थितियों में मस्जिद को जलाया गया। निस्संदेह हमें यह मानने के लिए भी तैयार रहना चाहिये कि चरार–ए–शरीफ को जलाने की घटना ने होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार होता जिससे जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त होता।

2.00 म. प.

महोदय, मुझे पूरी आशा है कि कुछ और समय बीतने दिया जाये तो हम घाटी में शांति बहाल कर सकते हैं और राज्य में ऐसा वातावरण तैयार कर सकते है जिसमें चुनाव करवाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ करना संभव हो सकेगा। महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कश्मीर देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सिर मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि जम्मू कश्मीर राज्य में कोई चीज होती है तो उसका असर उसी तरह तथा उसी वक्त देश के अन्य भागों में भी होता है। मेरा कहना यह है कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो कुछ करने का निश्चय करती है हमें उसे स्वीकार कर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यद्यपि जम्मू कश्मीर पर अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए मैं कुछ और बातें कहना चाहता था परन्तु में अपने भाषण को लम्बा न करते हुए केवल यह कहना चाहूंगा कि इस संकल्प का तहदिल से समर्थन किया जाना चाहिये तथा जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही चुनाव होने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बात में शरीक होने का मौका दिया। इस सदन में हर छः महीने में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आता है और सदन उसे पारित भी करता है। आज भी गृह मंत्री ने कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन में जो प्रस्ताव रखा है, उस पर आम सहमति है। साथ ही दूसरी सहमति यह है कि वहां राजनैतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यपाल का तबादला किया जाए। आपने एक राज्यपाल को श्रीनगर से अहमदाबाद भेजा था क्योंकि उस समय के शासक दल को उनके सुझाव पसंद नहीं थे। आप राज्यपाल को जयपुर से मद्रास ले गए हैं, लखनऊ से भुवनेश्वर भी ले गए हैं। आज सदन में एक तरह से इस पर आम सहमति है। यह हम किसी आरोप के आधार पर नहीं कह रहे हैं। उनकी अन्य योग्यताओं के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। राजनैतिक प्रक्रिया का चालू करने के लिए यह भी आवश्यक है कि वहां कि राजनैतिक विरोधी तत्वों को विश्वास में लिया जाए।

यह देखा गया है कि कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी होती है तभी राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास में लिया जाता है। हम उसे वफादारी के नाते पारित कर देते है और बाद में चुप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जल्दबाजी में शार्ट आफ आजादी कहा। इसका क्या मतलब है। इसका बहुत ही रौंग सिगनल गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है, वह उसे स्पष्ट करे। दिल्ली और दूसरे देशों की राजधानियों में ऐसी चर्चा चल रही है कि उन समस्याओं का समाधान इस तरह से किया जाएगा जिससे राष्ट्र का दूरगामी हित सुरक्षित नहीं रहेगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से स्पष्ट बात होनी चाहिए। यह खुशी की बात है कि कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की ओर से पारस्परिक विरोधी बातें नहीं कही जा रही हैं।

लेकिन अब इसी में हमारे लायक दोस्त रेल मंत्री चले आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला बोल दिया जाय। प्रधान मंत्री ने उनका बचाव भी किया। लेकिन प्रधान मंत्री भले ही अपने काबीना के सदस्यों को गम्भीरता से नहीं लें लेकिन भारत सरकार के काबीना के सदस्यों की बात विदेशों में बहुत गंभीरता से ली जाती है। जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों ने उस वक्तव्य को उछाला है, उससे देश का हित नहीं हुआ है और न सरकार की गरिमा बढ़ी है, न सरकार की मर्यादा बढ़ी है और न सरकार का कोई संकल्प मालूम पड़ा है कि इसमें सरकार करना क्या चाहती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार आश्वासन दे कि कितने समय के बाद राजनैतिक समाधान की दिशा में वह क्या करने जा रही है और इस समस्या के लिए विरोध पक्ष के लोगों को विश्वास में ले। यह नहीं कि फिर छह महीने के बाद विश्वास में लेने की आवश्यकता आये। यह सदन तो पस करेगा, दूसरा सदन आयेगा, वह

भी पारित करेगा, लेकिन इससे देश का कितना अहित हो रहा है, यह सकरार नहीं समझ पा रही है।

कश्मीर समस्या के संबंध में एक दूसरा पहलू भी है, जो अन्तर्राष्ट्रीय है और अन्तर्राष्ट्रीय पहलू पाकिस्तान से सम्बन्धित है। पाकिस्तान की अपनी मजूबरी है, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों की यह बराबर मजबूरी रही है कि वह कश्मीर की समस्या को, जब वह सत्ता में आते हैं तो हवा देने लगते हैं, जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो उस संबंध में कुछ स्वस्थ विचार रखते हैं। इसलिए जो स्वस्थ विचार रखते है और पाकिस्तान में ऐसे तत्व है, जो आज कश्मीर की समस्या के सम्बंध में, वह सरकार में हों या न हों, लेकिन ऐसे प्रभावशाली लोगों की कमी नहीं है, बौद्धिक जगत में, पत्रकारिता के जगत में, यूनिवर्सिटी और कालेजों में और दूसरे जगत में, जो कश्मीर समस्या का कोई न कोई समाधान चाहते हैं।

इसलिए सरकार से मेरा आग्रह होगा कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाये, विचारों का आदान–प्रदान करे और जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने करांची में कंसुलेट बंद कराया, उससे वीजा मिलने में कठिनाई पैदा हो रही है, इसलिए भारत सरकार को भी इस्लामाबाद में ही या जहां भी हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं, उनको आने में कोई रूकावट नहीं हो, उनको कुछ अधिक सुविधा दी जा सके, उनकी बहुत छानबीन नहीं होनी चाहिए। जब लोगों का ज्यादा आना जाना होगा, विचारों का आदान–प्रदान होगा, वह पारस्परिक विचार–विमर्श करेंगे तो मेरा ख्याल है कि यह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में जो एक दीवार पैदा करने की अन्तर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है और जिसके शिकार पाकिस्तान के हुक्मरान हो जाते हैं, उसका भी समाधान होगा।

कश्मीर समस्या के सम्बंध में एक तीसरा पहलू भी है और वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत का है। पता नहीं क्यों, यह सरकार इस सम्बंध में हमेशा एक बचाव की मुद्रा अख्तियार किये रहती है। क्या हमने ऐसे कदम उठाये हैं, जिनसे वहां की हमारे प्रशासन की कमियां हम दूर करें? हमें यह कदम इस समस्या को दूर करने के लिए उठाने चाहिए। जैसे इकोनोमी पैकेज की बात होती है, जब उग्रवादी गतिविधियां तेज होती हैं, तभी क्यों इकोनोमी पैकेज की बात होती है? उनकी जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनके समाधान की बात तभी क्यों उठती है? क्यों नहीं आज इसकी शुरूआत होती है?

इस सदन के कई माननीय सदस्य कश्मीर गये थे। अब वहां क्या हो रहा है, उनके पुनर्वास के सम्बंध में क्या कठिनाई है? पुनर्वास जिस गति से होना चाहिए, अध्यक्ष जी ने कहा था और इस सदन के सदस्य गये थे, उस गति से पुनर्वास की समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं? मैं इन्द्रजीत गुप्त जी से सहमत नहीं हूं कि वहां के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, चरार–ए–शरीफ का पुनर्निर्माण करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए बाहर से भी पैसा आ सकता है। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो हिन्दुस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए, हिन्दुस्तान में नाइत्तफाकी लाने के लिए पैसा देंगे। सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि जल्द से जल्द चरार–ए–शरीफ की मजार का, उसकी इमारत का पुनर्निर्माण करा दिया जाय। इस सदन में स्पीकर साहब ने गवर्नमेंट को जो डायरेक्शन दी है कि अतिशीघ्रता से वहां का पुनर्निर्माण हो, लोगों की कठिनाई दूर हो, तो उस दिशा में क्या हो रहा है? मैं तो चाहूंगा कि सदन के सदस्यों की समिति आप गठित करें। अध्यक्ष महोदय गठित करें और कमेटी मानिटरिंग करें। सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है।

जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था तो कश्मीर समस्या के ऊपर हमारे बहुत से मित्र राष्ट्रीय स्तर पर और सुरक्षा परिषद् के स्तर पर हमारी मदद करते थे, हमारे दृष्टिकोण की सराहना करते थे और हम से सहानुभूति रखते थे। दुर्भाग्य से आज हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। बुद्धिजीवियों को दुनिया के बड़े देशों की राजधानियों में बुलाया जाता है। कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिये वे अपना दृष्टिकोण उनके सम्मुख रखते है और उनके ऊपर दबाव डालते है कि वे उस दृष्टिकोण से सरकार को प्रभावित करें। चिदम्बरम जी यह सही बात है और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिये सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में ले। सरकारिया कमीशन की सिफारिशों पर अगर कार्यवाही की गई होती तो शायद आज यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। इस कारण सरकार के इरादों पर शंका की स्थिति पैदा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मंत्रियों द्वारा वक्तव्य के पश्चात् इस संकल्प पर चर्चा जारी रखेंगे।

2.11 म. प.

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सियालदह - जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा एक मालगाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना एवं हीराकुंड एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मैं अत्यंत दुःख के साथ सदन को उन दो दुर्घटनाओं की सूचना दे रहा हूं जो 1.6.1995 को हुई।

पहली दुर्घटना में, गाड़ी सं. 3151 सियालदह– जम्मू तवी एक्सप्रेस आसनसोल तथा धनबाद के बीच कालूबधन नामक स्टेशन पर एक माल गाड़ी के पीछे चल रही थी। कुछ पहले पहुंची माल गाड़ी का लूप लाइन में भेजा गया था ताकि स्टेशन की मुख्य लाइन से इस फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी का पहले गुजारा जा सके। मालगाड़ी के लूप लाइन में पहुंचने के बाद मुख्य लाइन के लिए कांटा नहीं बदला गया था। अतः सहायक स्टेशन मास्टर केबिन मुख्य लाइन के लिए सिगनल देने में असमर्थ था तथा उसने इसके बारे में ब्लाक अनुरक्षक को बताया जिसने संभवतः रिले को शार्ट सर्किट कर दिया क्योंकि उसने पाया कि होम सिगनल की बत्ती हरी हो गई है चूंकि कांटा सेट नहीं किया गया था तथा एक्सप्रेस गाड़ी उसी लूप लाइन पर आ गई जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी, इसके परिणामस्वरूप टक्कर

हो गई, एक्सप्रेस गाड़ी (सियालदह–जम्मू तवी एक्सप्रेस) में 17 सवारी डिब्बे थे। इंजन ने मालगाड़ी के सबसे पिछले माल डिब्बे को टक्कर मारी। इंजन के बाद वाला पहला सवारी डिब्बा एस. एल. आर. पूरी तरह कुचल गया। दूसरा सवारी डिब्बा जी एस भी आंशिक रूप से कुचला गया। तीसरा सवारी डिब्बा जी एस सी एन एक ट्राली के कारण पटरी से उतर गया। शेष 14 सवारी डिब्बे पटरी पर खड़े थे जिन्हें 2108 बजे जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया।

एस. एल. आर. तथा दूसरे जी एस सवारी डिब्बे में यात्रियों की बहुत अधिक भीड़ थी। इन यात्रियों में अधिकांश दैनिक यात्री थे और इन्हीं दो सवारी डिब्बों में ही यात्री हताहत हुए। इस दुर्घटना में, 45 यात्री मारे गये, 146 घायल हुए 38 गंभीर रूप से तथा 108 मामूली रूप से। केबिन सहायक स्टेशन मास्टर ब्लाक अनुरक्षक तथा सिगनल निरीक्षक फरार हैं तथा इन्हें निलंबित कर दिया गया है।

दूसरी दुर्घटना में, दक्षिण पूर्व रेलवे के संबलपुर मंडल के संबलपुर–टिटलागढ़ खंड पर बरपाली और डूंगरीपाली स्टेशनों के बीच 15.30 बजे 8448 हीराकुंड एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 4 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया और 24 को चोटें आयीं।

मृतक के निकट संबंधी प्रत्येक को 5,000 रुपये, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये तथा मामूली रूप से घायल हर व्यक्ति को 250 रुपये की अनुगृह राशि का भुगतान किया गया है, 63,000 रुपये की राशि पहले ही बांटी जा चुकी है, बहरहाल, मृतकों के निकट संबंधियों को दावा अधिकरण के माध्यम से निकट संबंधी द्वारा मृतक का सही उत्तराधिकारी सिद्ध करने तथा दावा करने पर 2.00 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा।

यह दुर्घटना भी हाल ही में तमिलनाडु में हुई दुर्घटना की तरह मानवीय भूल के कारण हुई। सरकार तथा रेलें अपनी ओर से संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को लगातार परामर्श देती आ रही हैं तथा उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। इसके बावजूद जहां भी गलती हुई है हम निवारक कार्रवाई करते हैं। मानवीय भूल न होने देने के लिए जब भी संरक्षा आयुक्तों ने ऐसी सिफारिशें की हैं हम अपनी बेहतर योग्यता के अनुसार अपनी [illegible] को अपग्रेड भी करते रहे हैं। वस्तुतः इस दुर्घटना में यह कारण जानने के लिए पहले ही पैनल कार्य कर रहा है कि कांटे को सेट किये बिना एक्सप्रेस गाड़ी को गुजरने की अनुमति कैसे मिल गई।

इस बीच, संरक्षा आयुक्त जो कि नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, सभी रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच कर रहे हैं। बहरहाल, पिछले दो तीन महीनों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं को देखते हुए जिनमें काफी बड़ी संख्या में यात्रियों की जानें गई हैं जिससे यात्रियों के विश्वास को ठेस पहुंची है, मैंने भारत के, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त करके इन दोनों दुर्घटनाओं के पहलुओं की न्यायिक जांच कराने का विनिश्चय किया है ताकि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध न केवल निवारक कार्रवाई की जा सके अपितु इससे प्रणाली की भयानक छवि को हटाकर यात्रियों के मस्तिष्क में विश्वास कायम करने में भी मदद मिलेगी। ऐसे आयोग के निष्कर्ष समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अनिवार्य होंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों की पूर्ण संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवीय चूकों को पूरी तरह समाप्त करना तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

सभी रेल कर्मचारी तथा मैं शोक–संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और घायल व्यक्तियों के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक–संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगा।

(दो) राजीव गांधी हत्याकांड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं श्री राजीव गांधी हत्याकांड की जांच और न्यायिक जांच के कुछ पहलुओं के सम्बंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो में गठित विशेष जांच दल (एस आई टी) ने दिनांक 24.5.91 को उक्त कांड की जाचं का कार्य अपने हाथ में लिया। कानून द्वारा निर्धारित. एक वर्ष की अवधि के भीतर एस आई टी ने इस मामले की गहराई से जांच की और दिनांक 20.5.92 को आरोप पत्र दाखिल किया। 41 अभियुक्तों में से 26 अभियुक्तों की सी सी 3/92 में न्यायिक जांच चल रही है। 12 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है और तीन अभियुक्त जिनका इसके बाद उल्लेख किया जायेगा, फरार हैं। इन अभियुक्तों के खिलाफ नामित न्यायालय द्वारा नवम्बर–दिसम्बर, 1993 में 251 आरोप तैयार किए गए।

अभियुक्तों के रवैये के कारण और नामित न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण न्यायिक जांच में अनेक संकटमय बाधाएं आयी हैं। फिर भी, न्यायिक जांच शुरु हो गयी है और अब तक 134 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा, अनेक दस्तावेजों और वस्तु सामग्री की पहचान की गई है। माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि यह मामला काफी पेचीदा है और यह सर्वोच्च महत्व का मामला है कि इस मामले की न्यायिक जांच कानून के अनुसार चल रही है और इसमें कोई गलती या चूक नहीं की गयी है। मैंने इस मामले में हुई प्रगति की समीक्षा कर ली है मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस न्यायिक जांच को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।

मामले की जांच के दौरान एस आई टी (सी बी आई) ने वी प्रभाकरन एवम् पोटटु अम्मन को अभियुक्त बताया है। वे फरार हैं। इसलिए दिनांक 31.1.92 को अभियोजन चलाने के लिए आवेदन कर विनिर्दिष्ट न्यायालय से एक आदेश प्राप्त किया गया जिसमें न्यायालय ने प्रभाकरन और पोटटु अम्मन को फरार घोषित किया और इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैर–जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए।

दिनांक 10.2.92 को श्री लंका के प्रमुख समाचार–पत्रों में इन फरार अभियुक्तों के बारे में उद्घोषणा प्रकाशित की गयी। श्री लंका सरकार ने श्री लंका के उत्तरी भाग में विद्यमान स्थिति के कारण इन घोषणा आदेशों

को उनको तामील कराने अथवा इन्हें चस्पा करने तक में असमर्थता व्यक्त की।

एस आई टी (सी बी आई) के आग्रह पर दिनांक 27.12.93 को इन्टरपोल ने सभी सदस्य देशों को वी. प्रभाकरन और पोटटु अम्मन के खिलाफ प्रसार नोटिस जारी किया। अप्रैल, 1994 में, एस आई टी (सी बी आई) के अनुरोध पर इन्टरपोल ने इन दो अभियुक्तों के खिलाफ रैड कार्नर नोटिस जारी किया। दोनों नोटिसों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभियुक्तों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया जायेगा। इसके जबाव में, श्री लंका के प्राधिकारियों ने एस आई टी (सी बी आई) को सूचित किया कि फरार अभियुक्त जाफना में हैं जहां कोई नागरिक प्रशासन नहीं है और कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है।

छब्बीस अभियुक्तों के खिलाफ सी सी 3/92 में न्यायिक जांच की जा रही है। चूंकि अन्य तीन अभियुक्त – वी. प्रभाकरन, पोटटु अम्मन और अकीला फरार हैं, इसलिए इन तीनों के विरुद्ध मामला अलग कर करके उसे सी सी 11/92 बनाया गया है। सी सी 11/92 में गवाहों से पूछताछ की गई है और दस्तावेजों की पहचान की गयी है।

कानूनी स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा, सी सी 3/92 की न्यायिक जांच की स्थिति और सी सी 11/92 में रिकार्ड की गई सामग्री को देखते हुए सरकार का यह निष्कर्ष है कि यह उचित रहेगा कि भारत तथा श्री लंका के मौजूदा कानूनों का अनुसरण करते हुए एक बार फिर वी. प्रभाकरन और पोटटु अम्मन तथा अकीला की गिरफ्तारी के लिए तथा उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा जाए। इसलिए, एस आई टी (सी बी आई) को सलाह दी गई कि वे इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए नए वारंटों के लिए आवेदन करके वारंट प्राप्त कर ले। दिनांक 29.5.1995 को नामित न्यायालय ने उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध इस आशय के गैर–जमानती नए वारंट जारी किए कि उन्हें पकड़ कर, उनका प्रत्यर्पण भारत को कर दिया जाए। न्यायालय ने एस आई टी (सी बी आई) को इस बात की भी अनुमति दे दी है कि वे उक्त प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए जरूरी दस्तावेज श्री लंका सरकार को भेज दे।

सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त तीन अभियुक्तों के प्रत्यर्पण के वास्ते श्री लंका सरकार को तीन अनुरोध पत्र भेजे जाएं। ये अनुरोध पत्र विशेष संवाहक द्वारा आज सुबह भेज दिए गए हैं।

2.20 म. प.

जम्मू-कश्मीर के सम्बंध में जारी उद्घोषणा को आगे जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम जम्मू कश्मीर के संबंध में जारी उद्घोषण को जारी रखने का अनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

अब मैं श्री इन्द्रजीत को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद–विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा और मुझे जो सीमित समय दिया गया है उसी में अपने विचार सभा के समक्ष रखने का प्रयाय करूंगा।

महोदय, मैं आगे बढ़ने और कश्मीर में यथासंभव शीघ्र चुनाव करवाने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। किन्तु इस संदर्भ में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। हम कम मत पड़ने और मत न पड़ने की बात करते रहे हैं। लेकिन यदि हम मतदान करवाते हैं तो दो संभावनायें हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कोई मत न पड़े या कम मत पड़े। यह भी हो सकता है कि लोग चुनावों का बहिष्कार करें जैसा कि मेरे एक हमनाम सदस्य ने भी कहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा विचार है कि हमें कश्मीर में तब तक चुनाव नहीं करवाने चाहिएं जब तक कि हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि कम से कम कुछ मतदान अवश्य हो शून्य मतदान से एक बहुत खतरनाक संकेत जायेगा। इसके खतरनाक परिणाम होंगे और हमें इससे बचना चाहिए।

अतः सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पूर्ण मतदान की स्थिति से बचना चाहिये और हमें यह सुनिश्चित करना चाहियें कि कम से कम कुछ मतदान अवश्य हो। मेरा विचार है कि जब तक यह संभव नहीं होता तब तक हमें चुनाव करवाने की बात नहीं सोचनी चाहिये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रायः घाटी के सभी दलों ने मतदान का बहिष्कार करने का निश्चय किया है, यह अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, असम में चुनावों का बहिष्कार किया गया। लेकिन वहां की स्थिति काफी भिन्न थी असम कश्मीर नहीं है और हम यह दांव नहीं लगा सकते। मेरा विचार है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। महोदय, मैं दूसरी बात संक्षेप में तथाकथित प्रवासियों के बारे में कहना चाहता हूं। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे स्वतंत्र भारत में ही शरणार्थी तथा विस्थापित व्यक्ति हैं तथा हमारे लिए यह और भी अधिक शर्म की बात है कि हमने उन्हें प्रवासी की संज्ञा देना पसंद किया है। मैं नहीं समझता कि वे अपनी इच्छा से प्रवासी बने। उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। वे विस्थापित लोग हैं और हम उन्हें प्रवासी कहते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस घटनाचक्र के उत्तरदायित्व से बचने का बईमानी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

मेरा विचार है कि हमें उन सभी लोगों को भी अपने मतदान का प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए जिन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो यह है कि हम उनके लिए कम से कम डाक से अपना मत भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है – निजी रूप से मैं इस विकल्प का स्वागत करूंगा कि हम इन लोगों को ग्रुपों में अपेक्षित सुरक्षा के साथ कश्मीर ले जा सकते हैं क्योंकि मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कश्मीर पर कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही अधिकार है तथा उन्हें भी मत देने का उतनी ही अधिकार है जितना कि उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में ही बने रहना पसंद किया। वास्तव में कश्मीरी पंडित ही नहीं अपितु बहुत से कश्मीरी मुसलमान भी कश्मीर छोड़कर आये हैं। अतः मैं समझता हूं कि हम जम्मू–कश्मीर की मतदाता सूचियों में दर्ज लोगों तथा जम्मू–कश्मीर वापस आने के इच्छुक लोगों को सुरक्षा प्रदान करके कुछ दिनों अथवा एक सप्ताह के लिए जम्मू कश्मीर आने का निमंत्रण दे सकते हैं। मैं विश्व के लोगों को यह संदेश भेजना चाहता हूं कि इन लोगों का भी कश्मीर पर अधिकार है।

महोदय, इतना कहने के पश्चात् मैं एक और पहलू पर आऊंगा

और वह पहलू है स्वायतता का प्रश्न। स्वायतता की बड़ी चर्चा है और मैं जीवन का एक तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। कश्मीर में हमारे सामने वर्तमान दुःखद स्थिति आने का कारण यह है कि नई दिल्ली में श्री शेख अब्दुल्ला और बाद में डाक्टर फारूख अब्दुल्ला के समय से श्रीनगर को पूरी कार्यात्मक स्वायता दे दी थी। वे स्वायतता की बात करते रहते हैं लेकिन कश्मीर में वर्तमान स्थिति उत्पन्न होने का कारण यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा और किन्ही अच्छे कारणों से पुनः कह रहा हूं—हमने कश्मीर की उत्तरोत्तर सरकारों को पूर्ण कार्यात्मक स्वायतता दे दी। कभी कोई आपत्ति नहीं की गई। मेरी आकांक्षा है कि इस पर आपत्ति की गई होती। यदि हम ऐसा करते तो हमारे सामने यह स्थिति न आई होती कि राज्य को दी जा रही करोड़ो रुपये की धनराशि को खर्च करने का फैसला कुछ ही चुनिन्दा लोग करते। हमें स्वायतता की बात करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। बताया जाता है कि प्रधान मंत्री ने आजादी को छोड़कर किसी भी अन्य प्रस्ताव की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया जायेगा क्योंकि यह उग्रवादियों के साथ चर्चा की शुरुआत है।

लेकिन स्वायतता का एक दूसरा पहलू भी है जिसे मैं चाहूंगा कि सरकार ध्यान में रखे। वह पहलू यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग कश्मीर की घटनाओं को बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। यह बात सच है क्योंकि मैं कुछ महीने पहले नागालैंड में था। सभी लोग यह जानने के इच्छुक हैं कि कश्मीर को किस तरह की स्वायतता दी जा रही है क्योंकि वे भी पूर्वोत्तर के लिए उसी प्रकार की मांग करेंगे चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो या कोई अन्य राज्य हो। अतः जब हम स्वायतता का कोई नियम तैयार करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि कश्मीर के मामलों में जो नियम अपनाया जायेगा संभवतया हमें पूर्वोत्तर के मामले में भी वहीं नियम अपनाना होगा। मैं मानता हूं कि यह तर्क दिया जा सकता है कि पूर्वोत्तर और कश्मीर में काफी अन्तर है। लेकिन हमें विशेष रूप से नागालैंड की वास्तविक स्थिति को भी याद रखना होगा।

अब मैं राजनैतिक प्रक्रिया की ओर आता हूं। मैं चाहता हूं कि राजनैतिक प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाये। मुझे विश्वास है कि राजनैतिक प्रक्रियां को चालू करने की दिशा में अभी पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है। इस संदर्भ में मेरी राय यह है कि हमें बिना किसी शर्त के सभी से बात करनी चाहिये। मैंने यह कहने का साहस दार्जिलिंग में प्राप्त अनुभव के आधार पर किया है। उदाहरण के तौर पर मैं जानता हूं कि एक बार श्री सुभाष घीसिंग पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया गया था। राज्य सरकार उनसे किसी तरह की बातचीत के बिल्कुल विरुद्ध थी। लेकिन सौभाग्य से जब मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से बात की तो उन्होंने कहा, नहीं, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, हमें आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिये। और चूंकि हमने उनसे बातचीत की हम उन्हें यह स्पष्ट कर सके कि आजादी का प्रश्न ही नहीं उठता।

मुझे याद है, जब वह आजादी पर जोर दे रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको एजवाल ले चलूंगा' और इसके उत्तर में उन्होंने कहा किस लिए' मैंने कहा मैं आपकी मुलाकात लालडेंगा नामक व्यक्ति से करवाऊंगा जिसने आजादी के लिए लड़ने में अपनी जवानी के 25 वर्ष बरबाद कर दिये, जो वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सका। अतः यदि हम राजनैतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में गंभीर हैं तो जो कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए इच्छुक हैं हमें उनसे बात करनी चाहिये और यह पता लगाना चाहिये कि वे क्या कहना चाहते हैं। एक बार उनकी बातें सुनने के बाद हम उन्हें यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हम उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को समझते हैं लेकिन यह लक्ष्मण रेखा है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। जो भी समाधान ढूंढना है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत ही ढूंढना होगा।

इस मामले में मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। अतः हमें इन आतंकवादियों से मिलने का प्रयास करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यदि इस दिशा में गंभीर और धैर्यपूर्ण प्रयास किये गये तो निश्चित रूप से हम कुछ आतंकवादियों को वास्तविक स्थिति समझने के लिए राजी कर सकेंगे और वे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। तब हम संभवतया राजनैतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें चुनावों में भाग लेने के लिए तैयार कर सकेंगे।

अब मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने कुछ मित्रों से वायदा किया था कि मैं दो तीन मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा। शायद मैंने अधिक समय ले लिया है। मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में रक्षात्मक नीति अपनाने की आवश्कता नहीं है। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब हमें रक्षात्मक नीति छोड़ देनी चाहिए। सच्चाई हमारे पक्ष में है, तथ्य हमारे पक्ष में है, फिर भी जब हम रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने लिए समस्यायें खड़ी करते हैं। अतः हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आतंकवादियों को यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिये कि किसी भी हालत में हम आजादी की बात नहीं कर सकते लेकिन हम उनकी उचित बात मानने के लिए तैयार हैं और उन्हें वे सुविधायें दे सकते हैं जिनके वे पात्र हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुझे डर है कि कश्मीर इस देश के लिए एक गंभीर समस्या बना रहेगा और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों को स्थिति से लाभ उठाने का अवसर मिलता रहेगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प विशेष परिस्थितियों में, असामान्य स्थिति में सरकार लाई है, 17 जुलाई से 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन कश्मीर में बढ़ाने के लिए, उस संकल्प से हम सहमत हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कश्मीर समस्या का हल राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से नहीं होगा। कश्मीर समस्या का हल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से, इच्छा–शक्ति के साथ बहाल करने से हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी कहते हैं कि स्थिति में सुधार हो जाएगा, तब तक के लिए हम इसको ले रहे हैं। स्थिति में सुधार कैसे होगा? उसके लिए सरकार कौन–कौन से सकारात्मक कदम या पहल करने जा रही है इसका स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। यहां हमारे सदन के बुजुर्ग सदस्य माननीय श्री इन्द्रजीत बाबू और श्री सैफुद्दीन चौधरी हैं। हम लोग जो चरार–ए–शरीफ के प्रतिनिधि मंडल में गये थे हम लोगों ने जो वहां पर अहसास किया कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से, इच्छा शक्ति के साथ वह नहीं हुई है। ये लोग सेना से घिरे रहते हैं और जनता के साथ इनका सम्पर्क नहीं है। अवाम की इच्छा के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप ही हमें स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए, वह वहां पर

दिखाई नहीं देती है। जब हम चरार–ए–शरीफ को मिलिटेंटों द्वारा जलाए जाने के बाद देखने गये तो हजारों लोग हम लोगों के सामने आ गए। ठीक है, कुछ लोग हमारे देश के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे लेकिन उनसे हम लोगों को मिलने का मौका तो मिला। नजदीक से जमीनी हकीकत जानने का भी मौका मिला जिस प्रकार से हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार वहां हो रहा है उसके जवाब से हमारी सरकार द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ जनता से संवाद नहीं हो रहा है। जनता से हमारी सरकार का गैप वहां साफ दिखाई देता है। वहां नौजवानों में जो बेरोजगारी की समस्या है और जोकि मूल समस्या है और जिस तरह से पुल, ब्रिज नहीं हैं और स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में भी सरकार ने कोई पहल नहीं की है।

जिस दरगाह का जलाया गया वह सूफी संत नूरूदीन नूरानी उर्फ नुंद ऋषि की दरगाह थी। यह कौमी एकता, धर्म निरपेक्षता की और हिन्दू मुस्लिम सामंजस्य की एक मिसाल थी। उसको जलाने का काम आतंकवादियों ने किया। सरकार से पूछा जाता है तो वह कहती है कि इसमें बाहर का हाथ है। बाहर का हाथ इतना मजबूत है कि हमारे देश के अंदर उपद्रव मचाकर और हमारे नौजवानों को गुमराह करके बाहर निकल जाता है और हमारा हाथ देखता रहता है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह क्यों बढ़ती जा रही है, यह इसलिए बढ़ती जा रही है कि वहां जो बुनियादी समस्या है उसको हल करने के लिए सरकार सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, मजबूत और कठोर संकल्प के साथ कदम नहीं उठा रही है। इसीलिए बाहर का हाथ सफल होकर बाहर निकल जाता है, चाहे मस्तगुल हो या अन्य कोई हो।

यह सरकार ऐसी है कि बराबर इसको कुछ न कुछ धोखा हो जाता है। चरार–ए–शरीफ में समर नीति में चूक हो गई, ऐसा ये कहते हैं। इनसे कहा जाये तो नटशैल में जवाब है कि वहां चूक हो गई। अयोध्या में विश्वास का धोखा हो जाता है, गोल्डन टैम्पल में इंटेलिजेंसी में चूक हो जाती है और हजरतबल में समय में चूक हो जाती है। यह चूकने वाली सरकार हर जगह चुक जाती है। इसलिए चूक जाती हे कि यह अनिश्चय और असमंजस की सरकार है, यह दुविधा में रहने वाली सरकार है। मैं सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि अगर इनका स्पष्ट फैसला और मजबूत इरादा होता तो ऐसे काम नहीं हो सकते थे।

मैं यहां पर एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा, अभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने भी उसके बारे में कहा था। जब हम चरार–ए–शरीफ के दौरे के बाद राज्यपाल महोदय से मिलने गये तो उनके तेवर ऐसे थे जैसे हमारी क्लास ले रहे हों। यहां पर राज्य मंत्री सईदजी भी बैठे थे, वे भी जानते हैं, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। वहां का लोकल प्रशासन कितना मुखातिब है वहां की समस्याओं को हल करने के लिए, यह उससे पता चलता है। राज्यपाल महोदय अपने एक घंटे के भाषण में हमें कश्मीर का बजट ही बताते रहे। चरार–ए–शरीफ की घटना के बाद क्या कदम उठाये जायेंगे, जमीनी हकीकत के लिए क्या किया जाना चाहिए, वह हम ज़ानना चाहते थे, इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ मुआवजे में, पे मैं और मिलीटेंट्स के इन्वाल्वमेंट में खर्च किया जाता है और बाकी 25 प्रतिशत वहां खर्च होता है। जमीनी हकीकत पर कितना पैसा पहुंचेगा, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। वहां पर क्षेत्रीय विषमता पहले से चली आ रही है, जिसके लिए 25 प्रतिशत से क्या विकास हो सकता है इसीलिए वहां पर विकास के सारे दरवाजे बंद हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति का मौलिक कारण भी यही है। आज हम जो भी रूप दें, लेकिन वह दूसरी स्थिति में पहुंच चुका है। भले ही हमारी कमजोरी से यह स्थिति बनी है। जोकि नहीं बननी चाहिए थी। यहां तक राज्यपाल महोदय ने साफ कहा की राजकीय प्रशासन चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां तक कहा कि चुनाव के लिए अनुकूल समय है और चुनाव टाला गया तो स्थिति और बिगड़ जायेगी और विदेशी हस्तक्षेप ज्यादा हो जायेगा।

यहां राज्यपाल महोदय ने केन्द्रीय सरकार को अंधकार में रखने का काम किया है और जब मुख्य चुनाव आयुक्त को केन्द्र सरकार वहां भेजती है तो स्थिति बदल जाती है। इस में कौन किसको धोखा दे रहा है, आप समझ सकते हैं। पहले तो सरकार बड़े जोर और ताकत से कहती है कि वहां पर चुनाव कराना है लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की रिपोर्ट पर अपना फैसला बदल देती है। तो फिर राज्यपाल की वहां पर क्या जरूरत है? यह संवेदनशून्य रवैया है जिसके कारण कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। मेरी मांग है कि वहां पर नॉन–पालिटिकल आदमी के रहते जिसकी राजनैतिक सोच नहीं है, पब्लिक इंटर–एक्शन की भावना नहीं है, पालिटिकिल प्रोसैस की कोई मंशा नहीं है, ऐसे राज्यपाल को वहां से हटा देना चाहिये क्योंकि ऐसे व्यक्ति को वहां रखने से कश्मीर का व्यापक हित होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वहां बैठाना चाहिये जिसकी राजनैतिक सोच हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने वहां का दौरा किया और सभी पार्टियों के नेताओं से मिले लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने किसी लोकल नेता या सामाजिक कार्यकर्त्ता को विश्वास में नहीं लिया गया। जब तक लोकल प्रशासन को विश्वास में लेकर पालिटिकिल प्रोसैस शुरू नहीं किया जायेगा या इस संबंध में पहल नहीं करेगा, इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसका हल वार्ता के जरिये हो सकता है। ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे यह बार बार न बढ़ाना पड़े। जब तक आप मौलिक समस्या का निराकरण नहीं करेंगे, या इस के हल के लिये दिशा निर्देश के लिए पहल नहीं करेंगे, इसका कोई समुचित हल नहीं निकलेगा। अब सरकार 6 महीने के लिये 17 जुलाई के बाद बढ़ा देती है तो फिर छः महीने के बाद फिर इस सदन में ले आयेगी। इस प्रकार बार बार एक्सटेंशन इस समस्या का कोई हल नहीं है। सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा इसका हल करने के लिये स्पष्ट निर्णय की घोषणा करनी चाहिये। सरकार को उन नौजवानों को विश्वास में लेना चाहिये जो बन्दूक की गोली में विश्वास करते हैं, उनको जनतंत्र में आस्था रखने का काम सरकार को मजबूती के साथ करना चाहिये क्योंकि जब तक उन नौजवानों को राष्ट्र की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जायेगा, समस्या का हल नहीं हो सकता है। सरकार को इस मामले में असमंजस में नहीं रहना चाहिये। सरकार की इच्छा शक्ति और संकल्प दृढ़ हो और जनता को विश्वास में लिया जाये।

उपाध्यक्ष जी, वहां की क्षेत्रीय विषमता को दूर करना चाहिये। दरगाह और आसपास की दुकानें जली हैं, उनका कालवत् तरीके से पुनर्निर्माण होना चाहिये। इस दिशा में एक ठोस आर्थिक पैकेज देकर समस्या का हल किया जाये नहीं तो जो परम्परा रही है, बार बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। यह देश के लोकतंत्र और जनहित में

नहीं होगा। सरकार को अलगाववादी ताकतों को उठने से रोकने के लिये स्पष्ट दिशा अपनानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुये दस मिनट हो गये हैं, दूसरों को भी बोलना है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, अंतिम बात कह कर समाप्त करूंगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाना चाहिये। हर साल बजट में वृद्धि होती रही है लेकिन विकास के नाम पर केवल 25 प्रतिशत धन खर्च किया जाता है बाकी 75 प्रतिशम दूसरे कामों पर किया जाता है। उन बेरोजगार नौजवानों के लिये देश के इंजीनियरिंग, मैडिकल कालेजों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ सके तभी इस समस्या का हल हो सकता है। केवल राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वे नहीं होगा। वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती के साथ लागू करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने दल आर एस पी की ओर से अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संकल्प का अनुमोदन करना एक संवैधानिक बाध्यता है और यही कारण है कि यह सभा इस पर विचार कर रही है। हम इस संकल्प का अनुमोदन तो करते हैं लेकिन ऐसा करने पर हमें खुशी नहीं है।

महोदय, आरंभ में मैं भारत के इतिहास के एक प्रश्न की याद दिलाना चाहता हूं और वह प्रश्न यह है कि अकबर कब तक बहराम खां के संरक्षण में रहेगा? आपकी अनुमति से मैं इस सरकार से थोड़ा भिन्न प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह प्रश्न यह है कि कश्मीर कब तक राष्ट्रपति शासन के संरक्षण में रहेगा? मुझे आशा है कि संकल्प की स्वीकृति लेते समय यह सरकार मेरे प्रश्न का उत्तर देगी।

महोदय, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना या अनिश्चित काल के लिए इसकी अवधि बढ़ाना राज्य की समस्या का समाधान नहीं है। एक लोकतंत्र में ऐसा उचित नहीं है। यह भारत के संघीय संविधान का एक अच्छा लक्षण नहीं है। जम्मू–कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहियें। इस सभा में चरार–ए–शरीफ की घटना पर श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार बंदूक संस्कृति का विरोध करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार जम्मू–कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए संघर्ष करेगी। महोदय, मैं यह कैसे मान सकता हूं कि चरार–ए–शरीफ की एक घटना ने जम्मू–कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए सरकार द्वारा किये गये सभी उपायों पर पानी फेर दिया है?

महोदय, राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली का अर्थ केवल चुनाव करवाना ही नहीं है। इसका अर्थ राजनैतिक गतिविधि आरंभ करना है और इसका अर्थ भारतीय संविधान की राजनैतिक संस्कृति के प्रति कश्मीर के लोगों में आस्था, विश्वास और उत्साह पैदा करना है। इस प्रयोजनार्थ और इस उद्देश्य से मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि कश्मीर के लोगों को और स्वायतता दी जानी चाहिये। गोरखा पर्वतीय परिषद या झारखंड स्वायतशासी परिषद को जो स्वायतता दी गई है वह वैसी नहीं है जिसकी मांग कश्मीर के लिए की जा रही है। अतः कश्मीर के लोगों को किस तरह की स्वायतता दी जा सकती है इसका फैसला इस सभा में बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिये। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल के स्थान पर कोई राजनैतिक व्यक्ति कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जाये जिसमें राजनैतिक दूरदर्शिता, राजनैतिक अनुभव और राजनैतिक इच्छा शक्ति हो ताकि वह जम्मू–कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ कर सके।

महोदय, जम्मू–कश्मीर में आर्थिक प्रक्रिया बहाल किये बिना राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ करना संभव नहीं है। जम्मू–कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहियें। आर्थिक गतिविधियों का अर्थ कश्मीर के लोगों को केन्द्रीय सहायता दिया जाना नहीं है। केवल केन्द्रीय सहायता देने का अर्थ कश्मीर के लोगों को खैरात देना होगा जबकि कश्मीर के लोग खैरात लेने के लिए लालायित नहीं हैं। भारत के नागरिक के रूप में आर्थिक कार्यकलाप आरंभ करना उनका हक है। मैं जिस प्रकार के आर्थिक कार्यकलाप की सिफारिश करता हूं वह है नई रेलवे लाइनें, पुलें, नालें, सड़कें, अस्पताल, व्यवसायिक केन्द्रों आदि के निर्माण के लिए आयोजना तथा कश्मीर के कुटीर उद्योग के विकास की आयोजना। इन कार्यक्रमों को अविलम्ब अनिवार्य रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाली धनराशि का लाभ वास्तव में कश्मीर के गरीब और जरूरतमंद लोगों को हो न कि कश्मीर राज्य के प्रशासन के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को।

महोदय, दुर्भाग्य से आज यह बात दोहरानी पड़ रही है कि आज कश्मीर के होनहर और सुन्दर बच्चे पूर्णतया पथभ्रष्ट हैं। वे अपनी इच्छा से पथभ्रष्ट नहीं हुए हैं। अपितु स्थिति का मुकाबला करने में केन्द्र सरकार की असफलता के कारण पथभ्रष्ट हुए हैं। मुझे पांचवें छठे दशक के मध्य की घटना याद है। आज नहीं अपितु छठे दशक के मध्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराया गया था। उसका क्या प्रभाव हुआ? तब से कश्मीर के लोग यह अनुभव करने लगे कि वे अपना राजनैतिक ढांचा खो रहे हैं; तब से कश्मीर के लोग यह अनुभव करने लगे कि वे संवैधानिक अधिकार खो रहे हैं और तब से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। महोदय, आप जानते हैं कि मैं कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात क्यों करता हूं? इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय एकता की जड़ भावनात्मक एकता है। इसी प्रकार भावनात्मक प्रतिद्वन्द्व तथा भावनात्मक पृथककरण विघटन और असामंजस्य की जड़ है। जब भी कश्मीर के लोग भारतीय समाज की मुख्य धारा से भावनात्मक दृष्टि से अलग महसूस करने लगे, जब कश्मीर के लोग आतंकवाद का शिकार हो गये तो सातवें दशक के आरंभ में कश्मीर में आतंकवाद के उदय के जनक मकबूल भट्ट का उदय हुआ। क्या हम इस इतिहास को भूल सकते हैं? क्या हम इस इतिहास की शिक्षा को भूल सकते हैं? क्या हम कश्मीर

के लोगों के जीवन पर आतंकवाद के उदय से जो प्रभाव पड़ा उसे भूल सकते हैं? महोदय, जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास हमें यह बताता है कि कश्मीर के लोगों की भावनात्मक निराशा और आर्थिक निराशा के साथ कश्मीर में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां शुरू हुईं। इतिहास हमें बताता है कि जब आतंकवाद के साथ धार्मिक भावनायें जुड जाती हैं तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है जिसका मुकाबला करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है। स्थिति इतनी गंभीर है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

आज सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। लेकिन स्थिति से निपटने का यह तरीका नहीं हैं। इस सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर सरकार को समय तथा अवसर दिया लेकिन सरकार सही ढंग से समय का उपयोग नहीं कर सकी। यह बहुत ही दुःखद अनुभव है। चरार–ए–शरीफ की घटना से पहले हो या बाद में हो, हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि स्थिति पर किस ढंग से काबू पाया जाये। लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं करते कि किस पृष्ठभूमि में आतंकवाद का विकास हुआ, किस पृष्ठभूमि में कश्मीर के लोगों में आर्थिक निराशा का विकास हुआ और किस पृष्ठभूमि में भावनात्मक निराशा हुई। हमें इन सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिये ताकि हम भारत के लोगों तथा कश्मीर के लोगों को यह संदेश भेज सकें कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का एक असंक्राम्य अंग है और हमें उन्हें भारतीय समाज की मुख्यधारा में वापस लाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री एस. एम. लालजान बाशा (गुण्टूर) : डिप्टी स्पीकर, मुझे कश्मीर जाने का दो बार मौका मिला है। पहली बार जनाब गुलाम नबी आजाद हमारे साथ थे। उस समय भी हम लोगों ने कश्मीर के हालात खुद देखे, हम लोग वहां के गवर्नर से मिले, कश्मीर के लोकल लीडर्स से भी हमारी बातचीत हुई, बहुत से आई. ए. एस. अधिकारियों से भी हमें मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें कश्मीर के हालात के बारे में बहुत सी बातें बतायीं, जिन्हें मैं यहां बताना उचित नहीं समझता हूं। जिन हालात में कश्मीर के लोगों को गुजरना पड़ा है, उसे देखकर हमें बहुत अफसोस होता है। वहां से लौटकर हमारा डैलीगेशन यहां प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया और हमने कश्मीर में जो कुछ देखा था उसका पूरा हाल उन्हें सुनाया। हमने देखा कि वहां नमक, चीनी और गैस जैसी आवश्यक चीजों की शार्टेज थी, वहां के लोग इन चीजों की शार्टेज के कारण बहुत परेशान थे। जब हम कश्मीर के गवर्नर साहब से मिले थे तो उस समय हमने उनसे पूछा कि यहां नमक की कमी है, लोगों को चीनी नहीं मिलती, लोग कैसे रहते हैं तो गवर्नर साहब का कहना था कि पैसे की शार्टेज के कारण हम इन चीजों की सप्लाई नहीं कर पाये। मैं समझता हूं कि यह बड़े शर्म की बात है। यहां हम लोग सुनते है कि कश्मीर में हमारा एक लाख करोड़ रुपये का खर्चा हो गया, लेकिन वे पैसे कहां गये, कैसे खर्च हुये, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं क्योंकि वे आतंकवाद के नाम पर खर्च हो गये, जिसका कोई एकाउंट नहीं होता।

जब यहां आने पर हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने तत्कालीन सप्लाईज मिनिस्टर साहब को बुलाया और उन्होंने उस समय जरूरी चीजों के वहां भेजने का इंतजाम किया। कश्मीर में कई लोगों ने हमसे पूछा कि 26 जनवरी को यहां बी. जे. पी. के नेता आकर तिरंगा झंडा लहराते है, उन्हें एक सरकारी हैलिकोप्टर लेकर आता है, क्या हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान में रहते है। कश्मीर हिन्दुस्तान का अटूट अंग है, हिस्सा है लेकिन कुछ हालात हमें मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना था कि दिल से वे सब हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी पाकिस्तान के साथ सहयोग करना नहीं चाहता लेकिन कुछ मजबूरियां उनके सामने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दैनिक जरूरत की चीजें भी उन्हें पहाड़ी इलाके में क्यों नहीं मिलती है जबकि वे मुसीबत में है।

दूसरी बार हमें पी. एम. सईद साहब के साथ कश्मीर जाने का मौका मिला, हम लोगों ने खुद जाकर चरारे शरीफ का हादसा देखा और वहां के अवाम का रवैया देखा जिसे देखकर जितने सांसद वहां गये थे, वे सब बहुत दुखी हुए कि कैसे हालात से वहां के लोग गुजर रहे हैं। चरारे शरीफ के आसपास के सारे घर जला दिये गये थे और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसके बाद हम लोग गवर्नर साहब के पास गये जिन्होंने हम पूरे सांसदों को इतना लम्बा भाषण दिया जिसे सुनकर सबको नींद आने लगी। उनके भाषण में इसके सिवाए कुछ नहीं था कि हमने कश्मीर में चुनाव कराने है, तभी हालत ठीक हो सकते हैं। एक तरफ तो वे इलैक्शनों की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ जब हम वहां के पालिटिकल लीडर्स से मिले, कांग्रेस के लीडर्स से मिले तो उनका कहना था कि इलैक्शन कराने का गवर्नर साहब का मशविरा दुरूस्त नहीं है और शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मालूम नहीं है, उन्होंने हम लोगों से कभी बात नहीं की क्योंकि यहां ऐसे हालात हैं कि एम. एल. ए. का इलैक्शन कंटैस्ट करने के लिए एक कैंडीडेट को जो दो प्रोपोजर्स के नाम देने पड़ते हैं, वे नाम देने वाले भी यहां नहीं मिलेंगे, ऐसे हालात यहां के हैं।

3.00 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय, इस इलैक्शन के होने का सवाल ही नहीं है, उन लोगों का यह कहना था। इसलिए आप इस रिजोल्यूशन को यहां पारित करने के लिए लाए हैं। यह मजबूरी में यहां लाया गया हैं और यह हमारे हिन्दुस्तान की सरकार की मजबूरी हैं। हम यहां की जो स्थिति देखते हैं, उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वहां का दौरा करना चाहिए। उनके साथ स्टैप मदरली ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। कश्मीर पूरी तरह से हिन्दुस्तान का अटूट हिस्सा रहा हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेगा। वहां के लोगों का यह विचार हैं। वहां के लोगों को यहां कोई तकलीफ नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम पौलिटिकल ऐनेलेसिस के हिसाब से देखें, तो वहां सबसे पहले जो काम करने का है और जिसको वहां के लोग चाहते है, वह वहां के वर्तमान गवर्नर को हटाने का है। वहां पर फौजियों की वजह से भी तकलीफ हो रही हैं। जो काश्मीर के लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि प्याज काटने की छुरी भी अगर आप ढूंढे, तो पांच छः घरों में से मुश्किल से एक घर में मिलती थी, लेकिन अब यह हालत है कि हमें अपने घरों में एके 47 और एके 56 जैसे गन रखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहां पर सारे कश्मीर के लोगों की एक ही मांग है कि वहां के गवर्नर को सबसे पहले हटाया जाये और उनकी जगह पर कोई बिलकुल

ठीक समझदारी रखने वाले आदमी को गवर्नर बनाया जाए। मैं समझता हूं कि जितने रिटायर्ड मिलिट्री के लोग होते हैं उनका दिमाग भी ठीक काम नहीं करता है। इसलिए उनको वहां से हटाना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : नहीं, बाशा जी, आपको मिलिट्री के लोगों के लिए अपने भाषण में ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, जो पूरो देश की मिलिट्री के मौरल को नीचे लाने वाली हो।

श्री एस. एम. लालजान बाशा : मैंने और अन्य जो सांसद वहां गए, उन्होंने उनका जो भाषण सुना, उसको देख कर मुझे ऐसा लगा। इसलिए मैंने यह बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, उनको वहां से तुरंत हटाना चाहिए। आज आपने कश्मीर में खर्चे के लाखों करोड़ रुपये के आंकड़े बता दिए, लेकिन वह कहां और कैसे खर्च हुआ है। इसका कोई खुलासा नहीं है। इसलिए वहां जो खर्च हुआ है वह ठीक खर्च नहीं हुआ है। वहां पर राजनीतिक स्थिति को सुधारने के अच्छे चांस थे, लेकिन इस राष्ट्रपति शासन को केन्द्र सरकार को मजबूरी में बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए मैं इस रिजोल्यूशन का मजबूरी में समर्थन करते हुए इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी तकरीर को समाप्त करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, हमारे नेता कामरेड इन्द्रजीत गुप्त बोल चुके हैं, लेकिन मैं कुछ अलग बातों की कह रहा हूं। मुझे जो वहां के राज्यपाल है उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। जो राय अभी माननीय सदस्यों ने उनके बारे में व्यक्त की है, उन सबसे मेरी राय बिल्कुल अलग है। मुझे कश्मीर, लद्दाख और जम्मू इलाके में कई बार जाने का मौका मिला है और हमारी पार्टी ने जो रूख लिया था कि वहां चुनाव होने चाहिए, परंतु उसके बाद चरार–ए–शरीफ की घटना हो गई। मेरा कहना यह है कि जब भी वहां चुनाव का मौका आएगाा कोई न कोई चरारे शरीफ का मामला आएगा ही। इसलिए अगर कोई उम्मीद करते है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, तो यह गलत है क्योंकि इसकी जड़ में पाकिस्तान के अस्तित्व का मामला है। इसमें 47 वर्ष पुरानी जड़ है। जब हरि सिंह भाग कर चले गये और शेख अब्दुल्ला का नेतृत्व था तब हथियारों से मुकाबला किया और भारत की जब फौज गई, उस वक्त के पहले तक श्रीनगर तक खतरा आ गया था। इसलिए मामला कुछ गहरा है। मैंने आग्रह किया कि चुनाव चाहे कश्मीर हो या कोई और जगह हो, हर जगह जनतंत्र का एक युद्ध हो।

कश्मीर में जनतंत्र का युद्ध है। आप कहते हैं कि जब हालत अच्छी होगी तब चुनाव होगा लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब चुनाव होगा तब वहां हालत अच्छी होगी। अगर यह मालूम हो जाये कि चुनाव होना ही है तो उस दिन हम देखेंगे कि वहां हालत बदलती है या नहीं। आज हमारी जो हालत हुई है और जो लोग यह कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई, पहले उन्हीं को मुख्यमंत्री होना है, तो यह सब अन्याय होता है। जुलाई 1990 में वहां विधानसभा भंग हुई थी, वहां हमारे द्वारा समर्पित सरकार थी। यहां से श्री जगमोहन ज़ी को भेजा गया। वहां के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वह आयेंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हम कम्युनिस्टों ने उसका विरोध किया मगर हम उसे रोक नहीं सके और विधानसभा भंग कर दी गयी। यह पाप हमारे द्वारा किया हुआ है। जुलाई 1990 से लेकर आज तक वहां चुनाव कराने की स्थिति नहीं आयी है। एक तरफ जगमोहन जी को भेजा गया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तब विधानसभा भंग कर दी गयी। हम इसको एक राष्ट्रीय बीमारी के रूप में न सोचें। अगर सीधे हम यह कह दें कि यह राज्यपाल का रोग है तो उस रोग में हम भी भागीदार हैं क्योंकि वहां हमारे द्वारा समर्पित सरकार थी। हमने उसका विरोध किया था परंतु हम उसे न रोक सके। इसलिए मैंने बार–बार आपसे आग्रह किया है कि वहां पंचायती राज का चुनाव तुरंत कराइये क्योंकि वहां विकास का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अफसर घूस खाते हैं तथा आतंकवादियों को पैसा देते है। उनको रिश्वत के लिए प्रमाण पत्र तक मिल जाता है।

पंचायती राज के बारे में संविधान में जो संशोधन किया गया है, वह सीधा पंचायत में जायेगा। जो चुना जायेगा, चाहे वह आतंकवादी पाकिस्तान पक्षी हो या अलग होने वाले हों, जो चाहे हो, उसके हाथ में पैसा जायेगा। लोग उनसे हिसाब मांगेंगे कि आपने उस पैसे का क्या किया। जो सड़क बनी, विद्यालय बना आदि उन सबका हिसाब वह उससे मांगेंगे। अगर वह हिसाब देगा तो हमारे देश का विकास होगा और अगर हिसाब नहीं देता तो वहीं लोग जो आतंकवादी की हथियार छिपाने के लिए शरण देते हैं, उन्हें जूते मारेंगे। जनतंत्र की यही प्रक्रिया है। मैं आपसे यह कहता हूं कि लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं। कश्मीर के नेता समझते है कि जब तक मेरे मंत्री बनने की गुंजाइश नहीं है तब तक वहां चुनाव न हो। मैं आज इस बात की हालत में नहीं हूं कि उसकी निन्दा करूं। मैं यह बात दुर्भाग्य से कह रहा हूं क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हम जीतकर लोकसभा या विधानसभा में जाये परंतु तब तक चुनाव न हो, यह बात गलत है।.... **(व्यवधान)** आप पहले सुन तो लीजिए। अगर मैं यह नहीं कहूंगा तो देश के साथ पाप करूंगा, अपने साथ पाप करूंगा। वहां पंचायती राज की स्थापना करने के लिए कोई ध्यान नहीं है। वह क्यों नहीं है? वह इसलिए नहीं है क्योंकि वे बड़े नेता पंचायती राज में नहीं जायेंगे, वे तो राज्य सरकार में रहेंगे। पंचायती राज के संविधान में जो संशोधन हुआ है, उसके महत्व को आम जनता नहीं समझ पा रही है।

3.07 म. प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

आप वहां पंचायती राज की स्थापना करने की हिम्मत कीजिए। चाहे जुलाई में, कीजिए या अगस्त में कीजिये लेकन उसे जरूर कीजिये। वहां पंचायती राज के अधीन सभी विषय जैसे विद्यालय, सड़क, चिकित्सालय, पेय जल आदि रहेगा। जब वहां राज्य सरकार का चुनाव होगा तब आप उनसे यह सब ले लीजियेगा। आप केवल इशारा कर दीजिए क्योंकि इसके लिए संसद की स्वीकृति जरूरी नहीं है।

महोदय, वहां कश्मीरी भाषा का धीरे–धीरे ह्रास हुआ है। यह कश्मीरी भाषा बहुत पुरानी है, यह हिन्दी उर्दू से भी बहुत पुरानी भाषा है। इसमें हजारों साल के लोक काव्य हैं, हजारों साल की लोक कथायें हैं लेकिन धीरे–धीरे सब कुछ खत्म किया जा रहा है। वह भाषा अभी भी मरी नहीं है। अभी भी आकाशवाणी से उसका प्रसारण होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस भाषा को बढ़ाइये। वहां चाहे किसी भी मजहब को मानने वाले कश्मीरी हों, उनके लिए संस्कृति और भाषा का एक

बंधन होना चाहिए लेकिन उसके बारे में यहां चर्चा नहीं हो पाती है। मैं तो यह कह रहा हूं कि उसकी हत्या हुई है, उसके जरियें कश्मीरियत की हत्या हुई है। मगर वह अभी भी जीवित है। लोग अभी भी कश्मीरी बोल रहे हैं। हमारे एक मंत्री हमेशा कश्मीरी में बोला करते थे और जब भी जानता हूं कि यह कोई मसला नहीं है किन्तु भाषा को मारकर क्या नतीजा होता है, वह हम आज देखते हैं।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य सवाल युद्ध का नहीं है, यह गुप्तचर विभाग की विफलता का सबूत है जो हम लगातार देखते आए हैं। कृपा करके आप कुछ कीजिए। अंग्रेज जो हमारे खिलाफ कार्य करते थे, उससे सबक लें, दुनिया में जो लोग करें, उससे भी सबक लें। गुप्तचर विभाग की विफलता और कमांडो दस्ते का गठन। चरारे शरीफ में मैं जो जान सका हूं, फौज से हमला करवाकर, अमृतसर में जो हुआ था उससे भी बुरी हालत में पड़ते। सैंकड़ों आम लोग मारे जाते, सैंकड़ों बेकसूर लोग मारे जाते, शहर ध्वंस होता और सारा जिम्मा हमारी फौज के ऊपर आता। अभी तो लोग गलत कहते हैं लेकिन तब तो उनको सच्चाई कहने का मौका मिल जाता। आबादी मिश्रित थी, वे शरण लेकर घुसे हुए थे। हम 100-200 निहत्थों को कमांडो दस्ते में तो भेज सकते थे, 1-2 को कोई हाथ से पकड़ लेता, पीछे फौज तो थी ही।

वहां की जो हालत है, हम जनता को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन कुछ लोग जनसमर्थन से पैसे के बल पर और मजहबी दिमाग लेकर देश को उड़ाने में लगे हुए है। इसके लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हमारे 100 फौजी जवान निहत्थे होकर घूमने जाते और 2-4 दिन में उनको पहचानकर पकड़ सकते थे। यह मामला बार–बार आएगा, यह मानकर चलिए। यह चरारे शरीफ अंतिम नहीं है। हमने सिगनल दे दिया कि तुम कोई उपद्रव कर दोगे तो हम झुक जाएंगे और चुनाव नहीं करवाएंगे। इसका यही मतलब होने जा रहा है। इसलिए जनतंत्र की रक्षा के लिए भी किसी को लड़ना है और जब जनतंत्र के बल पर राजसत्ता है तो कहीं न कहीं उसकी रक्षा भी करनी है। लेकिन उसे ईमानदारी से करना है, जो जीतकर आए उसे जीतने दीजिए। फिर छः महीने जनवरी 1996 में होंगे, तब समय बढ़ाने के लिए जरूर आइए कि देश में लोक सभा का चुनाव है, हालत खराब है, एक बार समय और बढ़ा दीजिए। सब कहेंगे कि नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी वोट दे देंगे क्योंकि 10 बार तो ऐसा हो चुका है। यह मामूली बात नहीं है। हर बार हम कहते है कि और समय नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन फिर भी वोट दे देते हैं। इस चीज को फिर से नहीं दोहराना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बुरा असर होगा लेकिन अच्छा असर भी क्या हो रहा है। इसलिए कर लेना ही अच्छा है, विफलता या सफलता बाद की बात है। इस तरह से जनतंत्र की लाश को ढोते जाना और जनतंत्र के नाम पर बार–बार इसकी अवधि बढ़ाते जाएंगे तो यह बुरा लगता है। इसलिए निराशा उधर ही नहीं जाएगी, इधर भी आएगी।

मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पंचायती राज के चुनाव करवा दीजिए। सुनियोजित उत्पादन गृह उद्योग के रूप में लोगों को करने दें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जो श्रम करने वाले हैं, उनको छोटी मिल्कियत के उत्पादन में मौका मिले। प्रशासन की हालत सबको मालूम है, पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। यह ढिलाई जुलाई 1990 से शुरू हुई है। यह हो गया है कि कुछ बदमाशी कर दोगे तो भारत सरकार झुक जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे आगे के लिए नहीं बढ़ाए।

लद्दाख का जो इलाका है, वहां कंगाली की हालत है, बिजली नहीं है। वहां झेलम नदी है। जो नदी निकलती है, आप उससे थोड़ा हाईडल तो पैदा कर सकते हैं। छोटे–छोटे हाईडल प्रोजैक्टस की बहुत संभावना है, 10-20 मैगावाट आसानी से बहुत जगह दे सकते हैं।... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : 1-2 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

जो बिजली आसानी से पैदा हो सकती है, उसे करें।

एक आग्रह और है कि ईरान, चीन और भारत ने मानवाधिकार के नाम पर मिलकर कुछ सही कदम उठाए थे। मैं समझता हूं कि ईरान के सहयोग का मोल कश्मीर के मामले में भी है।

लद्दाख के मामले में ज्यादा है, कारगिल के मामले में और भी ज्यादा है।.... **(व्यवधान)** अब इस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। उसका महत्व और भी ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो दोस्तों की श्रेणी है, उस दोस्ती को मजबूत किये जाना है। एक सुझाव कहीं से आ गया कि अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में चुनाव हो। हममें से किसी को बोलने के पहले कुछ सोच लेना चाहिए कि 90 करोड़ के इस देश को भी जिन्दा रहने का अधिकार है या नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हां, खुले चुनाव हों, संसार के टी. वी. रेडियों वाले आयें, रिपोर्ट लें, और जगह ले सकते हैं तो कश्मीर में भी लें, लेकिन अन्दरूनी चुनाव में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण को मान लेने का जुआ खेलने का अधिकार हमको नहीं है और हम कोई ऐसा प्रस्ताव लायेंगे तो बहुत बड़ा महंगा हम देश के लिए सौदा कर देंगे। तो कम से कम, जिन्होंने कहा उनको भी सोचकर वापस लेना चाहिए और कम से कम संसद में यह आवाज नहीं उठनी चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

जो कुछ बातें उठी थीं कि गूजर या कुछ लोगों के आरक्षण का मामला है तो उसमें क्या मामला है, जरा मंत्री जी स्पष्ट करें, क्यों नहीं विधान सभा की सीटों में आरक्षण होगा, जो आदिवासी तबको में गिने जाते हैं, वह शैड्यूल्ड ट्राइब में क्यों नहीं होंगे? अगर शैड्यूल्ड कास्ट में कुछ की यह समस्या है तो आरक्षण का भी तो आप कर सकते थे, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उन चीजों को भी लेकर आप निर्णय कर लें।

इसी सुझाव के साथ मजबूरी में समर्थन तो करना ही है, लेकिन छह महीने आप पूरे मत होने दीजिए, आप दो तीन महीनें में चुनाव कराइये और यह समझकर कीजिए कि युद्ध कर रहे हैं। जनतंत्र की रक्षा के लिए भी युद्ध चाहिए, युद्ध माने हथियार का युद्ध नहीं, हालांकि हथियार के बिना आप चुनाव नहीं करा सकते हैं, लेकिन दृढ़ता से कीजिए कि हां, हममें दम हैं, इस देश में भी अपनी अखंडता की रक्षा करने की शक्ति है और राजनैतिक शक्ति भी है, जिसमें ह्रास हो गया है।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। अब केवल पंद्रह मिनट बचे हैं और अभी 6-7 सदस्यों ने बोलना है। क्या इसके लिए

एक घंटा समय बढ़ाया जा सकता है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां

सभापति महोदय : अतः गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को सायं 4.30 बजे लेगें।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : बीच में इण्टरवीन करा दीजिए।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इसको चार बजे खत्म कर दें।

सभापति महोदय : अगर आप खत्म करना चाहते तो मैं तो अभी खत्म करने के लिए तैयार हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उत्तर प्रदेश का क्या हुआ।

सभापति महोदय : वह तो स्पीकर साहब बताएंगे।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, मैं श्री एस. बी. चव्हाण द्वारा दो जून, 1995 को पेश किये गये प्रस्ताव का, जिस पर चर्चा की जा रही है, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं जानता हूं कि कश्मीर के बारे में हमारी सरकार की हमेशा यह राय रही है कि वहां चुनाव हो। अभी चुनाव कराने के लिए सरकार द्वारा कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव करा दिये जायें, लेकिन विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो आज यहां पर मौजूद नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कश्मीर के मामले में उलझाया कि उसका मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जनवरी के महीने में इनकी यात्रा केरल से शुरू हुई और यह 26 जनवरी को लाल चौक में झंडा लहराने के लिए पहुंचना चाहते थे, ऐसा करने का लोगों के जज्बातों को भड़काने के सिवा और कोई कारण नहीं था। कश्मीर के मामले में जब–जब चुनाव की बात आती है, तब तब इसको इग्नोर कर दिया जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक वैली का हिस्सा है, एक जम्मू का हिस्सा है और एक लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमारे लिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर दोषारोपण करना वाजिब नहीं है।

क्योंकि जिस मुसीबत में वे काम करते हैं, वह काबिले तारीफ है। आज हिमाचल प्रदेश भी उग्रवाद से ग्रस्त है। वहां बहुत से उग्रवादियों ने पनाह ली है। उग्रवादी डोडा और लद्दाख के रास्ते से आये और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से काम करने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और वहां के हालात को देखा। संसदीय समितियां भी कई बार वहां गई। जिस तरह से सरदार पटेल ने हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये काम किया, उसी तरह से हमें काम करना चाहिये। चाहे कुछ भी हो जाये हमें इन 6 महीनों में वहां चुनाव कराने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि वहां लोकतंत्र की बहाली हो सके।

आज प्रधान मंत्री जी के हाथ में कश्मीर की बागडोर है और वह कश्मीर के मामले को देख रहे हैं। इससे पहले राजेश पायलट जी कश्मीर के मामले को देख रहे थे। आज कश्मीर मसला बहुत गम्भीर मसला बन गया है। इसको हल करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिये। जिन लोगों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया है, उनको वहां फिर आबाद करने का प्रयत्न करना चाहिये। उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये। उनकी प्रापर्टी वापिस करनी चाहिये। हमारे यहां डोडरा–क्वार, श्यामली का इलाका है। डोडा और उधमपुर का इलाका बार्डर के साथ लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से एक्स सर्विस मैन रहते हैं। उनकी एक फोर्स बनानी चाहिये ताकि वहां के लोगों का हौसला बढ़े और वे अपने इलाके की रक्षा कर सकें। आज उन्हें अपने इलाके की बहुत चिन्ता हो रही है।

जो उग्रवादी पाकिस्तान से आते हैं, वे कश्मीर में गडबड़ी पैदा करना चाहते हैं। उस गडबड़ी को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां के एक्स सर्विसमैन को इस काम के लिये लगाया जाये ताकि वहां अमन चैन का वातावरण कायम हो सके।

मैं बजट के मुत्तालिक कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन समय कम है। इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। यहां की फोर्स को तैयार करने की जरूरत है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम कश्मीर के बारे में खासतौर से ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उनकी इस बात का विरोध करता हूं। विरोधियों का काम विरोध करना होता है और सरकार का काम सरकारी काम को चलाना और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर का मामला जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर का मामला पूरे देश के लिये लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है। बात सच भी है। देश का स्वर्ग कहलाये जाने वाले कश्मीर के फूलों में अगर खून की लाली भर गई हो और वहां की वादियों में जो घंटी और संगीत की ध्वनि सुनायी देती थी, वह चीखों और कराहों में बदल गई हो तो पूरे देश में उसके प्रति चिन्ता पैदा होना स्वाभाविक ही है। जैसे शरीर के किसी अंग को तकलीफ होती है तो व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता, उसी प्रकार देश के एक मुख्य भाग कश्मीर में अगर लोगों को चैन नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं हैं तो देश के सभी लोगों में चिन्ता पैदा होना स्वाभाविक ही है। मुस्कराता, महकता, खिलखिलाता कश्मीर आज जल रहा है। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो रही है। हर व्यक्ति, हर परिवार इस दहशत में है कि पता नहीं मौत कब उसके दरवाजे पर दस्तक दे दे और पूरा हंसता, खिलखिलाता परिवार मौत के कगार में चला जाये। वहां जो एक जलता हुआ वातावरण है, उसको चिंगारी में बदल देने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण है। दृढ़ और मजबूत नीति के अभाव में आज कश्मीर जल रहा है। वहां के लोग आतंक के साये में जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा देने के लिये सरकार कृतसंकल्प है, ऐसी उसकी घोषणा है।

लेकिन चरारे–शरीफ की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में 18 जुलाई से पूर्व चुनाव करा लेंगे, प्रधान मंत्री जी कि जिद ने लोकपथ को एक बार

फिर विभाजित कर दिया है। उनका कथन है कि चुनाव में पीछे हटने से कश्मीर में जो विध्वसकारी ताकतें हैं, वे पूरी दुनिया को यह बता देंगी कि भारत में उसकी चलती है, लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि बिना राजनीतिक भूमि पहले तैयार किए हुए चुनाव की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। वहां बिना सम्पूर्ण विकास किए हुए, बिना लोगों के अन्दर विश्वास पैदा किए हुए, विस्थापितों को कश्मीर में ले जाए बिना वहां चुनाव की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर घोषणा कर दी थी, तो क्या संगीन के साए में चुनाव कराकर और 15 प्रतिशत वोट लेकर क्या कश्मीर को वे दांव पर लगाना चाहते थे। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का मुख्य हिस्सा है। उसको दांव पर लगाने को अधिकार किसी को भी नहीं है। क्योंकि यह देश केवल सरकार का नहीं है, यह देश पूरे भारतवासियों का है। इस देश के कोई भी हिस्से को दांव पर लगाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।

हम कश्मीर में चुनाव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले वहां के लोगों को विश्वास में लेना होगा और वहां की विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करना होगा। वहां के लोगों को यह बताना होगा कि हम उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं, आपका जीवन सुरक्षित हो और चुनाव कराकर हम आपको एक लोकप्रिय सरकार देना चाहते हैं, ताकि यहां विकास का कार्यक्रम सुरक्षित रूप से चले। होता क्या है? होता यह है कि विदेश राज्य मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद, जबकि कश्मीर आतंकवाद के साए में गुजर रहा है, और भी अधिक हिंसा देकर कश्मीर में चुनाव कराना चाहते हैं। हमारे रेल मंत्री, श्री जाफर शरीफ, वहां की आतंकवादी घटनाओं से इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने हमला करने की बात कह दी। हमारे प्रधान मंत्री जी इतने अधिक धैर्यवान हैं कि उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री की बातों की परवाह किए बिना तुरंत यह कह दिया कि पाक की आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद हमारी नीति पाक पर आक्रमण करने की नहीं है। मैं पूछती हूं, यह क्या तमाशा है? एक केबिनेट का मंत्री कुछ कहता है और दूसरा केबिनेट का मंत्री कुछ कहता है और प्रधान मंत्री उसमें हस्तक्षेप करते हैं। क्या केबिनेट में जो एकता की भावना होनी चाहिए वह भावना अलग–अलग हो गई है, क्या केबिनेट में बिखराव हो गया है कि केबिनेट स्तर के मंत्री अलग–अलग ब्यान देते हैं और प्रधान मंत्री कुछ और ब्यान देते हैं। यह बहुत गंभीर चेतावनी है और समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को दृढ संकल्प लेना चाहिए। जो फैसला करना चाहिये, फिर उसी की घोषणा करनी चाहिए।

इसके अलावा प्रधान मंत्री जी ने उस इस्लाम देश के समूह को जिसने चरार–ए–शरीफ के विरोध में बात कही थी, उस इस्लाम देश की देख रेख में चुनाव कराने की बात कही है। आज उस इस्लाम देश को दोस्ती में ला रहे हैं, आज वह दोस्ती में आया है, कल वह निगरानी में आएगा और परसों वह कब्जा करने की बात कहेगा.....

सभापति महोदय : यह बात कई बार कही जा चुकी है। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदय, सब लोगों ने सारी बातें कह दी हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि वहां चुनाव हो। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने के विषय में यहां अपने–अपने भाषण देना हम लोगों को कतई अच्छा नहीं लगता है। हम भी चाहते है कि वहां चुनाव हो, लेकिन उससे पहले सरकार को अपनी एक दृढ नीति घोषित करनी चाहिए और प्लान तैयार कर लेना चाहिए। एक पैकेज सरकार की तरफ से जाना चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास हो, जब कश्मीर में चुनाव होगा, तो वहां लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और लोकतांत्रिक सरकार तभी बनेगी, जब वहां के विस्थापितों को वहां पहुंचा पायेंगे और सब लोग अपना कीमती वोट देकर वहां पर सरकार बनायेंगे। मैं यह बता देना चाहती हूं कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है और किसी भी हालत में यह विदेशी हाथ में नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हमारा देश एक होकर कश्मीर की रक्षा करने में समर्थ है। कश्मीर हमारा है और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी और लोकप्रिय सरकार बनेगी।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि और छः महीने बढ़ाने वाले संकल्प का अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं। महोदय, मैं हमेशा यह पुरजोर मांग करता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाये जायें। जब प्रधानमंत्री महोदय ने सभी दलों से परामर्श किया तो मैंने यही सलाह दी थी। लेकिन हम महसूस करते हैं कि वर्तमान स्थिति में चुनाव करवाना संभव नहीं होगा।

महोदय, मेरा यह सुविचारित मत है कि यदि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए दृढ संकल्प है और यदि ठीक ढंग से तत्काल राजनैतिक प्रक्रिया शुरु की जाये तो मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर पायेंगे। इस संदर्भ में मैं अपने राज्य मणिपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। जब यह अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मणिपुर में, जिसके सामने कई समस्यायें थीं और जिसे एक बहुत ही विक्षुब्ध क्षेत्र समझा जाता था, चुनाव करवाना संभव होगा। यह आशंका थीं कि हिंसा बढ़ेगी और चुनाव करवाना एक असंभव कार्य होगा। लेकिन मतदान केन्द्रों पर गडबडियों तथा बम विस्फोटों के बावजूद तथा उम्मीदवारों की हत्या तथा गोली से उड़ा देने की घटनाओं के बावजूद चुनाव हुए और सब से अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अतः यदि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए तैयार है तो मुझे विश्वास हे कि सभी राजनैतिक दल तथा जनता इसका स्वागत करेगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी अपनी निर्वाचित सरकार बने और वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाये जाने के पक्ष में है। अतः मैं सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना चाहूंगा।

मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिक स्वायतता देने के प्रश्न के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं श्री इन्द्रजीत के विचारों से सहमत हूं। यह सही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा मणिपुर राज्य के लोग सरकार के इस आशय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार की स्वायतता दी जायेगी। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य अर्थात् मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आदि भी उसी प्रकार की स्वायतता की आकांक्षा करते हैं जिस प्रकार की स्वायतता जम्मू कश्मीर को दी जाती है। मैं सिद्धांत रूप से संविधान के अंतर्गत अधिक स्वायतता देने के पक्ष में हूं। यह मेरी

तथा मेरे दल की राय है। यदि अधिक स्वायतता देने से समस्या का समाधान हो सकता है और राज्य की वर्तमान स्थिति में सुधार हो सकता है तो संविधान के अंतर्गत कुछ स्वायतता दी जा सकती है ताकि जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य स्थिति कायम की जा सके। अतः समस्या के समाधान में सहायता मिले तो जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ स्वायतता देने के विचार का मैं पूरा समर्थन करता हूं। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि मणिपुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को भी वहीं दर्जा दिया जाये जहां गड़बड़ी है और आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। मेरा विश्वास है कि कुछ स्वायतता देने से उन क्षेत्रों की समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने में काफी सहायता मिलेगी। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही करके पाकिस्तान को अलग–थलग करने का पूरा प्रयास करना चाहिये। इससे समस्या के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, जहां तक राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि जम्मू कश्मीर में राजनैतिक इच्छा शक्ति रखने वाले राज्यपाल की नियुक्ति की जाये। राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ करने में इससे भी काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी इन्द्रजीत जी बोल रहे थे कि "नो पोल" या "लो पोल" यदि आप यह नहीं चाहते हैं तो कश्मीर के लोगों को सुरक्षा तो प्रदान कीजिए। आज हजारों लोग कश्मीर से बाहर निकल आए हैं। यहां दिल्ली शहर में ही बहुत से लोग आ गए हैं। अभी चरारे शरीफ की घटना के बाद सरकार ने वहां के लिए और आसपास के लोगों के पुनर्वास के लिए 15 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, लेकिन जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों की संख्या बताई जानी चाहिए और उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि आप कश्मीर में चुनाव करवाना चाहते हैं तो कश्मीर के लोगों को साथ लेकर चुनाव करवाइए। आज स्थिति यह है कि आतंकवादियों का विरोध करने वाले लोगों को मार दिया जाता है। अभी फारूख नामक एक धर्म गुरु को मार दिया गया और दक्षिण कश्मीर के काजी निसार को मार दिया गया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मणि शंकर अय्यर जी ने बताया कि 1500 मुस्लिम लोगों को कश्मीर में मार दिया गया है। क्या वहां की जनता की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है? आज कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह सारा काम फौज को सौंप दीजिए और इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करवाइए तथा वहां पर चुनाव करवाइए। आतंकवाद से मुक्त होने पर हीं वहां पर चुनाव हो सकते हैं।

धारा 370 का जहां तक सवाल है, आज वहां पर धारा 370 होने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है, तो फिर इस धारा को समाप्त क्यों नही कर दिया जाता। आज हिन्दुस्तान का कोई नागरिक वहां पर बिजनेस नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, वहां जाकर रह नहीं सकता। इसलिए मैं धारा 370 को तुरंत हटाने की मांग करता हूं।

प्रधान मंत्री जी लाल किले से बोल रहे थे कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रॉक्सी वार चला रहा है। पाकिस्तान में 110 ट्रेनिंग सेंटर हैं और आई एस आई द्वारा कश्मीर में आतंकवादियों को भेजा जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये सब पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपना कोई जवान खर्च किए बगैर यहीं के लोगों से यहां के लोगों को मरवा रहा है। हिन्दुस्तान में कितनी जगहों पर बम विस्फोट करवाए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर जब कश्मीर के राज्यपाल बोल रहे थे कि सारी स्थिति हमारे काबू में है, इतना बोलने के 2-3 मिनट के बाद ही वहां पर बम विस्फोट हुआ और 5 जवान मारे गए। अभी परसो की घटना हमने कल अखबार में पढ़ी है कि श्रीनगर में एक कर्नल सहित 5 जवानों को मार दिया गया। मुम्बई में आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट करवाए गए। सरकार कहती है कि पाकिस्तान से हमारी प्रॉक्सी वार चल रही है। यदि कश्मीर में सचमुच में आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा और जहां पर इस समस्या की जड़ है, उस पाकिस्तान को खत्म करना होगा। जो पाकिस्तान बार–बार हमारे ऊपर इन आतंकवादियों के जरिए से हमला कर रहा है, बम विस्फोट करवा रहा है, उस पाकिस्तान को ही खत्म कर दीजिए।

इसलिए सर, जाते–जाते चरार–ए–शरीफ के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को उसकी राजनीति के लिए दोष दे सकते हैं, लेकिन सरकार इसमें इन्वोल्व है यह नहीं कहा जा सकता है। सरकार का पता था कि वे लोग इसको जलाना चाहते हैं तो सरकार को जितना प्रिकाशन लेना चाहिए था उतना सरकार ने नहीं लिया। सरकार कश्मीर को मिलिट्री के हाथ में सौंप दे। सब जानते हैं कि मस्तगुल वहां से निकल गया। चरार–ए–शरीफ उन्होंने जलाया, आतंकवादियों ने जलाया लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम आया। हमने बी. बी. सी. न्यूज देखी वहां छाती पीट पीटकर लोग बोल रहे थे और हिन्दुस्तान को गाली दे रहे थे। हमें वहां वर्ल्ड के जर्नलिस्टों को लाना चाहिए था राजनैतिक लोगों को लाना चाहिए था।

सभापति महोदय : रावले जी, यह इतना आसान काम नहीं है।

श्री मोहन रावले : और बताना चाहिए था कि पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं। हमारी तरफ से मीटिंग होनी चाहिये थी। आपने मुझे समय दिया में आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, चूंकि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मैं सरकार के इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार अपनी नीति को नहीं बदलती तो मैं सरकार तथा मेरे कुछ प्रतिष्ठित साथियों द्वारा व्यक्त किये गये इस आशावाद से सहमत नहीं हूं कि छः महीनों के भीतर चुनाव करवाये जायेंगे। अतः मैं सरकार को सावधान करता हूं, "आप यह ग्यारहवीं बार सभा के समक्ष आये हैं। कृपया फिर न आयें।" इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अपनी कार्यवाही अपनी नीति को बदले। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में चुनाव करवाना संभव नहीं है। चरार–ए–शरीफ की घटना से पूर्व जो असंभाव्य था चरार–ए–शरीफ की घटना के पश्चात् असंभव

हो गया है।

यह जो कह रहा है कि अलग–अलग पहले जम्मू में, फिर लद्दाख में और तत्पश्चात एक–एक जिले में चुनाव करवाये जायें या कश्मीर में चुनाव करवाये ही न जायें, यह तो, जहां तक मैं समझता हूं, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत होती। यदि आप लद्दाख और जम्मू में चुनाव करवाते और घाटी में सार्थक या विश्वसनीय चुनाव नहीं करवाते तो इसका अर्थ तो प्रतिकूल जनादेश होता। अतः मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सरकार ने स्थिति को समझते हुए चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिये हैं। लेकिन सरकार को इस सभा में यह संकल्प स्वीकृत होने के पश्चात् संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। उन्हें जम्मू–कश्मीर की स्थिति पर सभी पहलुओं से विचार करना चाहिये और कुछ मौलिक नीतिगत निर्णय लेने चाहियें।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के तरीके के बारे में विवाद है कि क्या ऐसा संवैधानिक संशोधन द्वारा किया जाना चाहिये था या इस संकल्प द्वारा किया जाना चाहिये था। कुछ विधिवेताओं ने इसका विश्लेषण किया है जिससे कुछ संदेह पैदा हो गये हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि जब मंत्री महोदय इस वाद–विवाद का उत्तर दें तो यह स्पष्ट करें कि उन्होंने यह तरीका क्यों चुना और संवैधानिक संशोधन का तरीका क्यों नहीं चुना।

सभापति महोदय, घाटी में वास्तव में यह स्थिति है कि वहां आतंकवाद फैला हुआ है और वहां के काफी लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। वहां के लोग हमारे से दूर होते जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में कश्मीरी लोगों के मन में गहरे जख्म हो गये हैं। इनको भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कोई भी मरहम लगाने वाला नहीं है। अतः वहां स्थिति बड़ी शोचनीय है। वहां पर नागरिक प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। प्रशासन की हुकूमत सरकारी भवनों तथा सुरक्षा क्षेत्र से आगे नहीं चलती। राज्यपाल सड़क पर नहीं जा सकते और न ही श्री शेषन राजभवन से हवाई अड्डे तक सड़क से जा सके। उन्हें हेलीकाप्टर का प्रयोग करना पड़ा।

सीमा पार से लोगों के आने और सीमा पार से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। हम सीमाओं की नाकेबन्दी नहीं कर सके हैं और वहां पर लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। वहां पर विकास बिलकुल ठप्प हो गया है। अर्थव्यवस्था विशेष रूप से पर्यटन उद्योग की हालत बुरी है। न्यायिक प्रणाली समाप्त हो गई है। काजी निस्सार के मिरवेज मौलवी फारूक के हत्यारे, उ० गुरू पर भी, जिसकी राज्यपाल के अनुसार पहचान कर ली गई है, मुकदमा नहीं चलाया गया है। शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ठप्प हो गई है। विद्यालय और महाविद्यालय काफी समय से बन्द हैं। हम कुछ भी कहें, घाटी में राजनैतिक गतिविधि नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम जो भी कहें, प्रश्न यह है कि हम इसे आरंभ कैसे करें?

मुझे कुछ प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है। अब लोग थक गये हैं और वे शांति और व्यवस्था की कामना करते हैं। हवा थमी हुई है और व्यथा बहुत गहरी है। हम जानते हैं कि उनकी समझ में एक बात आ गई है कि भारत में घाटी से हटाया नहीं जा सकता। दूसरे, घाटी की तथाकथित मुक्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध का खतरा नहीं लेगा। तीसरे, आतंकवादी पूर्ण रूप से मुजाहिद नहीं हैं। उनमें बहुत से समाज विरोधी और अपराधी तत्व हैं। लोगों को यह बात समझ में आ गई है लेकिन हमें इसका राजनैतिक लाभ नहीं हुआ हैं क्योंकि हमने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया है। एक नया हुरियत समूह बन गया है। शबीर शाह पिछले लगभग 20 वर्षों से जेल में था जबकि उसने शासन के विरुद्ध कभी बंदूक नहीं उठाई बल्कि वह अहिंसा में और शांतिपूर्ण बातचीत में विश्वास रखता है। अब वह आजाद है। सरकार ने उसे तथा अन्य प्रसिद्ध नेताओं को छोड़कर अच्छा काम किया है।

कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जिन्होंने मिलकर एक प्रतिनिधि संस्था बना ली है। मुझे याद है जब पिछली बार वाद–विवाद हुआ था तो गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि हम किसके साथ बातचीत करें। कम से क्रम अब एक संस्था ऐसी है जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब पाकिस्तान का प्रेसीडेन्ट उन्हें आने का निमंत्रण दे सकता है और उनसे हमारी राजधानी में बातचीत कर सकता है तो हमारे गृहमंत्री तथा प्रधानमंत्री उनको आने तथा उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं कर सकते। इस हुरियत का अस्तित्व में आना भी एक अच्छा संकेत है और इसमें बहुत जिम्मेदार लोग हैं। अतः कम से कम एक ऐसा मंच है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं।

सभापति महोदय, चरार–ए–शरीफ की घटना एक बड़ी दुर्घटना थी। यह कश्मीरियत के लिए एक धक्का था। इसने घाटी में भारत की छवि को बिगाड़ा है। हमें इन संकेतों का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिये। आज घाटी में कोई व्यक्ति भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि तथाकथित आतंकवादियों ने पहले चरार–ए–शरीफ कस्बे को 8 और 9 तारीख की रात को आग लगा दी और 48 घंटे बाद 10 और 11 तारीख को मन्दिर और मस्जिद को आग लगा दी। खानगाह के बारे में उनकी यह धारणा है। हमें इस धारणा को बदलना होगा।

कुछ बहुत ही रहस्यमय पहलू हैं जो स्पष्ट नहीं हुए हैं। सभापति महोदय, मैं एक सप्ताह या पांच दिन पहले घाटी में था। मैंने राज्यपाल, नेताओं, चरार–ए–शरीफ के लोगों आदि से बातचीत की। सभी लोगों ने कुछ प्रश्न किये जो मैं माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहूंगा। उन लोगों ने पूछा कि घेराबन्दी क्यों? सामरिक दृष्टि से घेराबन्दी की क्या आवश्यकता थी? हर कस्बे, हर गांव और हर मोहल्ले में आतंकवादी हैं। हम घाटी के हर मोहल्ले और कस्बे की घेराबन्दी नहीं करते। दूसरे, अप्रैल के आरंभ में हुरियत नेताओं को चरार–ए–शरीफ में जाने से क्यों रोका गया? शबीर शाह और मस्तगुल में मल्लयुद्ध हो रहा था तो जो भी जीतता हमें लाभ होता। लेकिन हमने उन्हें अनुमति नहीं दी। मुझे भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने आपस में ही फैसला कर लिया होता। शाह कस्बा छोड़ने चरार–ए–शरीफ छोड़ने के लिए उनको राजी करने के लिए वहां जा रहे थे। संचार माध्यम को वहां जाने से रोका गया। हमने संचार माध्यम को वहां जाने से क्यों रोका? आतंकवादी तो वहां पहले भी थे। मार्च से नहीं अपितु गत अक्तूबर–नवम्बर से आतंकवादी वहां थे। रमजान के दौरान वे वहां थे। एक आतंकवाद चरार–ए–शरीफ की बड़ी मस्जिद की तरावीह में प्रार्थना सभा का संचालन कर रहा था। क्या इसी कारण आपने संचार माध्यम को वहां जाने और स्थिति का अवलोकन करने से रोका? ऐसी बात है तो आपने आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच

वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों को क्यों नहीं डाला जैसा कि आपने हजरत बल के मामले में सफलतापूर्वक किया था? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पहले अग्निकांड और दूसरे अग्निकांड में 48 घंटे का अन्तर था और आप चाहते थे तथा आपका एकमात्र प्रयोजन यह था कि मस्जिद को बचाया जाये। ऐसी स्थिति में आपने घाटी में उपलब्ध सभी अग्निशमन गाड़ियों को चरार-ए-शरीफ में एकत्र क्यों नहीं किया और खानगाद के नष्ट होने के बाद ही पहली अग्निशमन गाड़ी मांगी गई। महोदय, पूरे कस्बे के जल जाने के बाद नागरिक प्रशासन को वापस आने की अनुमति देने में हमने पांच दिन क्यों लगाये? वहां प्रशासन पांच दिन क्या करता रहा? अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राहत और पुनर्वास का काम वहां बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इसके क्या कारण हैं? कोई राहत टेंट और कोई राहत शिविर नहीं है। मैंने खुद देखा है कि वहां कुछ भी नहीं है। वहां एक ईंट भी दिखाई नहीं देती और न ही कोई सीमेंट की बोरी या इमारती लकड़ी दिखाई देती है। लोग गलियों में भटक रहे हैं। उनको सदमा पहुंचा है और हम उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल के सलाहकार ने 28 तारीख को, जब मैं वहां था, पहली बार तथाकथित राहत आयुक्त – वित्तीय आयुक्त जिसे राहत आयुक्त नियुक्त किया गया था – के साथ चरार-ए-शरीफ का दौरा किया। मैंने इसका ब्यौरा एक विस्तृत पत्र में प्रधान मंत्री को दे दिया है और एक प्रति माननीय मंत्री को भी भेज दी है।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की स्थिति अनिवार्य रूप से राजनैतिक और निश्चित रूप से द्विपक्षीय है। यह भारत सरकार और घाटी के लोगों के बीच का मामला है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा मामला नहीं बनता। मैं पाकिस्तान से निपट सकता हूं। यदि युद्ध हो तो मैं पाकिस्तान को पराजित कर सकता हूं और मैं इसे राजनयिक चालों तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव से खामोश कर सकता हूं। लेकिन यदि कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग में आग लगी रहेगी तो मैं इसे कैसे बुझा सकता हूं। यही समस्या का निचोड है जिसकी ओर मैं कहूंगा, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आज उन्हें आर्थिक पैकेज की, जो वे काफी समय से प्राप्त कर रहे हैं, या प्रशासक अथवा प्रशासनिक कर्मचारी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हें राजनैतिक पैकेज की आवश्यकता है। मैं प्रधान मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने 16 मई को राज्य सभा में यह कहकर शुरूआत की है कि वह स्वायतता के सिद्धांत के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वह आजादी के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यह उस दिन की बात है जिस दिन मैं जेहाद में था। वहां एक विदेशी संवाददाता ने मेरा साक्षात्कार लिया। मेरे तथा प्रधानमंत्री के बीच कोई टेलीफोन सम्पर्क नहीं था। वहां मैंने भी बिलकुल यही उत्तर दिया। उन्हें आजादी तो नहीं लेकिन आजादी का माहौल दिया जाना चाहिये क्योंकि प्रभुसत्ता का सौदा नहीं किया जा सकता। अतः हमें इस पर गौर करना चाहिये। अब हमें स्वायतता की मात्रा और स्वायतता की शर्तें निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिये। स्वायतता और आजादी के बीच क्या अन्तर है? हम कश्मीर के लोगों को विशेष रूप से घाटी के लोगों को कौन सी शक्तियां देने को तैयार हैं क्योंकि कश्मीर का भारतीय संघ में हमेशा विशेष दर्जा रहा है और अब भी है। कश्मीर संघ के किसी अन्य राज्य की तरह नहीं है। यह भारत नहीं था किन्तु यह भारत बन गया और भारत बने रहना चाहिये तथापि हमें इस प्रयोजनार्थ विशेष संबंधों का सीमांकन करना होगा। हमें उनकी शिकायतों को दूर करना होगा। हमने चुनाव करवाये लेकिन उनमें धांधली हुई। हमने उन पर राज्यपाल और प्रशासक थोपे। हमने उनको स्वायतता दी और धीरे-धीरे हमने उन्हें एक हाथ से जो कुछ दिया दूसरे हाथ से उसे उनसे छीन लिया। हमने जानबूझकर ऐसा किया। अनुच्छेद 370 का कोई अर्थ नही रह गया है। हमें इसे पुनः अर्थपूर्ण बनाना होगा। अतः इस सिद्धांत के आधार पर हुरियत नेताओं को बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिये। हम स्वायतता की शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमें एक साथ बैठ कर स्वायतता के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। लोगों के साथ अत्याचार के आरोपों की सुनवाई करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक अधिकरण बनाया जाना चाहिये। लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक विशेष शिकायत आयुक्त और विशेष शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिये। इस जिला राहत आयुक्त को पिछले पांच वर्षों में पीड़ित कश्मीर के सभी लोगों को राहत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए हर जिले में जिला राहत समितियां बनानी चाहियें। उन नजरबन्द लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिये जिनके विरुद्ध कोई घृणित अपराध करने का कोई सबूत नहीं है। वहां की सुरक्षा का काम सीधे नागरिक प्रशासन के नियंत्रण में आना चाहिये। इस समय नागरिक प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूर्व सूचना तो दूर रहा उन्हें कार्यवाही के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती।

मैं आप से एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा अनुरोध यह है कि यदि आप चाहते है कि श्रीनगर और अन्य कस्बों में स्थिति सामान्य हो तो श्रीनगर की गलियों में हर 100 गज ही दूरी पर जो बंकर बनाये गये है उन्हें कृपया हटाइये। इन से डर, तनाव, विरोध और समय समय पर झगड़े पैदा होते हैं। इनका कतई कोई लाभ नहीं है। सुरक्षा बलों को प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, राजमार्गों तथा सीमाओं पर रखा जाना चाहिये। यदि संभव हो तो सीमाओं को सील किया जाये। लेकिन लोगों के मन से डर की भावना जरूर दूर की जाये और उनको सामान्य जीवन दिया जाये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान की चाल का पर्दाफाश करने के लिए सभी साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये। पाकिस्तान की चाल कश्मीर के लोगों पर छाना है। वे कश्मीर के लोगों को मुक्ति नहीं दिलाना चाहते हैं अपितु कश्मीर के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। यह क्षेत्र को बढ़ाना है और हमें पाकिस्तान की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहिये। हम अभी तक विश्व में ऐसा नहीं कर पाये हैं।

यही कारण है कि यहां लोगों ने एक राजनैतिक राज्यपाल की नियुक्त करने की बात कही। माननीय सदस्यों का कहना ठीक है। वर्तमान राज्यपाल एक उच्च कोटि का व्यक्ति नहीं है। वह अपनी छोटी सी कुटिया में एकान्तवासी है अथवा सोने के पिंजरे में एक पक्षी है। उसकी लोगों तक और लोगों की उस तक कोई पहुंच नहीं है। उसे वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी लोगों तक पहुंच नहीं है। अतः उसे हटाया जाना चाहिये। लेकिन राज्यपाल को हटाने से कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में कोई नीति नहीं बनाई है। आवश्यकता इस बात की है अब इस

सम्बंध में नीति बनाई जाये। पिछले पांच वर्षों में सरकार की बुद्धि पर जो पर्दा पड़ गया है और जिससे कश्मीर की स्थिति बिगड़ गई है उसे हटाने की आवश्यकता है। सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाकर कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग जीतने का काम करना चाहिये तब कश्मीरी लोग आगे आयेंगे। मैं आज भी यह कह सकता हूं क्योंकि कश्मीरियत अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि शेख नूरुद्दीन नूरानी की आत्मा आज भी घाटी में भटक रही है यद्यपि उनकी मस्जिद को जला दिया गया है। अतः यह अन्तिम अवसर है। इसका जरूर लाभ उठायें। सरकार को कोई राजनैतिक समाधान ढूंढकर कश्मीर की रक्षा करनी चाहियें यही मेरी अपील है।

हम इस संकल्प को स्वीकृत करते हैं लेकिन इस छः महीने में आपको कुछ करना होगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अभी सैयद शहाबुद्दीन जी ने बात कही कि कश्मीर पहले हिन्दुस्तान का नहीं था लेकिन अब हिन्दुस्तान का है। हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी जब जवाब दें तो इसको स्पष्ट करें। हम लोग यही सोच रहे थे कि कश्मीर शुरू से ही हिन्दुस्तान का था और अभी भी हिन्दुस्तान का है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करूंगा । मेरा अभिप्राय रियासतों की तरह इसे भारत से मिलाना था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शहाबुद्दीन जी ने ज्यादा समय ले लिया है। अभी एक दिल्ली रेण्ट बिल भी है जो साढ़े चार बजे से पहले पास करना है। इसलिए नवल किशोर जी, आप कम शब्दों में बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाने संबंधी संकल्प पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे हैं और अनेक बातें चर्चा में आ चुकी हैं। मैं आपके जरिये गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यह लगभग 10वीं या 11वीं बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया है और हर बार जब कभी भी सदन में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आता है तो सभी पक्ष के सदस्यों का यह मत होता है और माननीय सदस्य अपने वक्तव्यों में यह उद्गार व्यक्त करते हैं कि अब बहुत हो गया है और यह चिन्ता का विषय है। अब और आगे फिर इस बारे में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार को आना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी पक्षों का यह विचार आता है। सरकार भी आश्वासन देती है कि हम अगली बार ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। हम उससे पहले राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। न केवल हम सदन को बल्कि इस देश की जनता को भी यह लगता है कि सरकार हर बार कहती है कि आगे फिर हम प्रस्ताव के जरिये राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का काम नहीं करेंगे और वहां अच्छा माहौल बनाएंगे, ठोस स्थिति बनाएंगे।

4.00 म. प.

कश्मीर के नागरिकों में विश्वास पैदा करेंगे, कश्मीर में जो दहशत है उसको समाप्त करेंगे और उग्रवाद को समाप्त करके सीमा पार से जो षडयंत्र होता है उसका मुंह तोड़ जवाब देकर एक माहौल बनाने का काम करेंगे।

मैं इस सदन में यह चिन्ता प्रकट करना चाहता हूं कि यह 10वीं या 11वीं बार है। वहां हर 6 महीने में राष्ट्रपति शासन बढाने के लिए यहां प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करनी होगी। आखिर कब इस पर रोक लगेगी? अगर बार–बार 10 के बदले 20 बार राष्ट्रपति शासन बढाने के प्रस्ताव आते रहेंगे तो यह हमारे दिल को सालने वाली बात है। यह हमारे लिए और देश की जनता के लिए चिंता की बात है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी स्थिति पैदा करे कि आने वाले समय में उसे ऐसा प्रस्ताव यहां लेकर न आना पड़े।

रावले जी ने कश्मीर शरणार्थियों की चर्चा की। वहां से दहशत के कारण बाहर चले आए हैं उनकी तो देखरेख हो जाती है लेकिन वहां रहने वालों की नहीं होती। जम्मू में गुर्जरों की काफी तादाद है। उनके आरक्षण के मामले को लेकर कई व्यक्ति हमसे मिले हैं। शैदी गुर्जर नाम का व्यक्ति वहां का एक डेलिगेशन लेकर आया था। वे राष्ट्रभक्त हैं और उग्रवादियों को पकड़कर सरकार के हवाले करने का काम उन्होंने किया है। उन लोगों के घर उजाड़ दिए गए। वे विद्यालयों में शरण लिए हुए हैं। उनके पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास की कोई व्यवस्था नहीं है। वे ट्राइब्स की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मैं उनके लिए सभी स्तरों पर आरक्षरण की मांग सरकार से करता हूं और सरकार के जवाब में इस विषय पर उत्तर चाहेंगे।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पुनः इस रिजोलेशन को लेकर न आए और 6 महीने से पहले वहां स्थिति को ठीक करके राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने का काम करे और किसी राजनैतिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाने का काम करे। साथ ही सीमा पार का जो षडयंत्र है उसको लेकर केबिनेट मंत्री का वक्तव्य कुछ आता है, प्रधानमंत्री का कुछ और आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह चिंता का विषय है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि केबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी को समझते हुए सीमा पार के तत्वों को, चाहे वह पाकिस्तान हो या और कोई उग्रवादी संगठन हो, उसे करारा जवाब देने की कार्रवाई होनी चाहिये। हिन्दुस्तान की ओर से ऐसे तत्वों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिये। इन्हीं बातों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय आज जो रेजोल्यूशन सरकार लेकर आई है वह एक ऐसी स्थिति में लाई है कि आज हम सोच रहे थे और जिस तरह के बयानात बीच में भारत सरकार औ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आये उससे यह लग रहा था कि कश्मीर में हालात दुरूस्त हो गए हैं और वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे। शायद यही बजह थी कि हमारे मुल्क के सदर जब बाहर जा रहे थे तो

उससे पहले सरकार ने जरूरत महसूस नहीं की कि उनसे परमिशन ले लेते। प्रेजिडेंसियल आर्डर के लिए 370 1(बी) के जरिये परमिशन लेनी होती है और आखिरी वक्त में जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने वाला था तो यहां पर एमिशरी भेजकर इनको वह प्रेजिडेंसियल आर्डर करना पड़ा। इसी से मालूम चलता है कि कश्मीर के मामले में सरकार क्या सोच रखती है।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रेजीडेंट रूल हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य के लिये एक अफसोसनाक पहलू है। आज कश्मीर के जो हालात है, कश्मीर वैली में अब तक करीब 15 हजार लोग, चाहे वे मिलिटैंट्स हों, कश्मीरी हो आम आदमी हों मारे जा चुके हैं। जब भी वहां प्रेजीडेंट रूल बढ़ाने की बात सामने आती है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इससे पुलिस या आर्मी के पास ज्यादा ताकत पहुंचेगी। आज वहां स्थिमि यह है कि पूरा कश्मीर खून में डूबा हुआ है। यहां की सरकार सदन के अंदर या पूरे हिन्दुस्तान में अखबारों के जरिये जो बयानात देती है और वहां जमीन पर जो कुछ हो रहा है, दोनों में काफी अंतर है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमें किस तरह से विश्वास आये।

यहां पोलिटिकल पैकेज या पैकेज टू कश्मीर की बात कही गई, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश के नार्थ ईस्ट में, असम में, कश्मीर को छोडिये, पंजाब के अंदर, सरकार ने जिन पैकेजेज का वायदा किया था,, आज वे पैकेजेजं कहां हैं। आज हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया सोचती है कि वहां के हालात दुरूस्त हो गये है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन पैकेजेज का क्या हुआ, जिनका सरकार ने वायदा किया था। राजीव लौंगोवाल एग्रीमेंट का क्या हुआ? मैं समझता हूं दिल्ली की हकूमत राज्यों की तरफ ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने दूसरे सदन में बयान दिया था कि जो कुछ आजादी के करीब हो, मैं वहीं देना चाहता हूं, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो आज असम में हालात दुरूस्त है, जो पैकेज देने का आपने वहां के अवाम से वायदा किया था, आप उसके लिये कुछ करते। आज पंजाब के हालात दुरूस्त हैं, वहां भी राजीव लौंगोवाल एग्रीमेंट को इम्पलीमेंट कराने के लिये कुछ किया जाता .। मैं समझता हूं कि आज राज्यों और सेन्टर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जो बहुत अफसोसनाक है।

अब वहां पोलिटिकल प्रोसैस की बात हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि पोलिटिकल प्रोसैस का मतलब क्या सिर्फ इलैक्शन कराना है और क्या पोलिटिकल प्रोसैस के जरिये आप वहां के अवाम को कन्विन्स नहीं करना चाहते कि हम किस तरह आपको सहूलियतें देंगे, जिससे आपको महसूस हो कि आप हिन्दुस्तान में रहते हैं और हिन्दुस्तान में रहते हुये आप अपने राज्य को आजादी से चला सकते हैं। आपको याद होगा कि जब 1984 में कश्मीर के हालात खराब हुये, उस समय दिल्ली की सरकार ने वहां फारूख अब्दुल्ला की हकूमत को हटाकर अपने किसी चाहने वाले आदमी को गद्दी पर बैठाया था, जिससे हालात बिगड़ते चले गये। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों और सेन्टर में जिस तरह से गैप बढ़ता जा रहा है, उससे हिन्दुस्तान का काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो पोलिटिकल पैकेज आप कश्मीर को देना चाहते हैं, उसे देने का काम कीजिये। आपको चाहिये कि वहां के अवाम को कन्विस किया जाये कि हम आप पर जुल्म नहीं करना चाहते, हम आपके सियासी हालात में इंटरफीयर नहीं करना चाहते। आज वहां जो हालात हैं, वहां जो घटनाएं हुई हैं, जैसे पंजाब में एक मंदिर पर हमला हुआ था और उसे डैस्ट्रौय किया गया था, जिस तरह बाबरी मस्जिद का डिमौलीशन हुआ, आज फिर चरारे शरीफ में जो कुछ हुआ, जो कि कश्मीर के लिये सबसे महत्वपूर्ण जगह समझी जाती है, उसे भी नष्ट होने से नहीं बचाया जा सका। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार नैगोसियेशन के जरिये हजरत बल को बचा सकती थी, उसी तरह चरारे शरीफ को बचाने में कामयाब क्यों नहीं हुई। मैं मांग करना चाहता हूं कि चरारे शरीफ के मामले की ज्यूडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये और जब होम मिनिस्टर साहब यहां जवाब दें तो इस बारे में रोशनी डालें कि क्या वजह थी कि चरारे शरीफ को आप बचा नहीं सके और उसकी ज्यूडीशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती। आज कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने जो रूख अपनाया है, पूरी दुनिया में उसने इस बात को रखा है कि यू. एन. रिजौल्यूशन के अंदर हम कश्मीर का समझौता चाहते हैं।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान ने कोई काउंटर इफैक्टिव एक्शन नहीं लिया है। बाहरी दुनिया के अंदर यही समझा जा रहा है कि हिन्दुस्तान की आर्मी कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रही है। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब जब अपना जवाब दें, तो हमें बताएं कि हिन्दुस्तान ने हिन्दुस्तान के बाहर किस तरह से अपनी पोजीशन को रखने का काम किया है। अगर आप इंटरनेशनल फोरम के अंदर जायें, तो आपको यही बताया जाएगा कि वहां जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं। हयूमन राइट के नाम पर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हमने बाहरी मुल्कों के सामने कोई भी काउंटर एक्शन बड़े पैमाने पर करने का काम नहीं किया है।

सभापति महोदय, हमारे राजेश पायलट एक बयान देते हैं, गृह मंत्रालय के ही दूसरे वरिष्ठ मंत्री दूसरा बयान देते हैं, प्रधान मंत्री कोई तीसरा बयान देते हैं और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल चौथा बयान देते हैं। अब कौनसा बयान सही है और कौन से बयान के मुताबिक सरकार काम करेगी यह कहना मुश्किल है। मैं होम मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि यह बहुत अहम मामला है। इसलिए होम मिनिस्टर साहब को इस बारे में जरूर बोलना चाहिये।

सभापति महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं आखिर में तीन–चार सुझाव देकर अपनी जगह लूंगा। पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर में तुरंत पोलिटिकल प्रौसेस स्टार्ट हो और यदि जरूरत पड़े तो उसके अंदर जो मिलिटेंट है, जो अपनी बात सरकार से कहना चाहते हैं, जो अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह चाहूंगा कि चरार–ए–शरीफ की जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसको किसने और क्यों बर्बाद किया और तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर के मामले में बाहरी मुल्कों में अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखना चाहिए ताकि जो गलतफहमियां बाहर के देशों में फैली हुई हैं वे दूर हो सकें और हयूमन राइट के नाम जो कुछ गलत प्रचार किया जा रहा है वह रूक सके और इस बात को उजागर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मेरी चौथी मांग सरकार से यह है कि आप कश्मीर में अभी छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा रहे हैं, परन्तु मैं अभी से कह देना चाहता हूं कि छः महीने के बाद फिर यही स्थिति आएगी और आप फिर इसको और बढ़ाने की

बात करेंगे इसलिए आज ही इसके एक्सटेंशन के साथ–साथ ऐलान कीजिए कि कश्मीर के लोगों के लिए क्या पैकेज है और क्या उस पैकेज का वहीं हाल तो नहीं होगा, जो पंजाब में राजीव–लौगोंवाल समझौते का हुआ था फिर नार्थ ईस्ट के अंदर असम समझौते का हुआ है?

समापति महोदय, मेरी ये चार बातें हैं। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री महोदय अपना जवाब दें, तो वे इन चार बातों के बारे में अपने भाषण में जरूर बताएं। इन्हीं चन्द अलफाज के साथ मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

गृहमंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : समापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया और स्थानीय लोगों में विश्वास का वातावरण पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिये, इसके बारे में सरकार को सलाह दी। चरार–ए–शरीफ की यात्रा के आधार पर संसद सदस्यों की यह भावना बन गई है कि सरकार जिस ढंग से स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है वास्तव में स्थिति उससे बिलकुल भिन्न है।

मैं माननीय सदस्यों को नम्रतापूर्वक किन्तु जोरदार शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि चरार–ए–शरीफ में उन्होंने जो कुछ देखा वह दिखावा मात्र था। हमें समझना होगा कि बहुत से आतंकवादी आसपास घूम रहे थे और तोप के डर से उन्हें कुछ बातें कहनी पड़ीं जो सामान्यतया वे कहते या न कहते। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति दबाव में आकर कोई वक्तव्य देता है और यदि कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है और हमें समझ लेना चाहिये कि इन सभी चीजों का क्या प्रयोजन है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें इसकी न्यायिक जांच के आदेश देने चाहियें। मुझे इस पर वास्तव में आश्चर्य हुआ है। सेना ने जिस ढंग से यह काम किया है उसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है और यह एक अलग मामला है।

4.16 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं उन सभी माननीय सदस्यों के साथ, जो प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि मस्जिद को कैसे बचाया जा सकता था जब मस्जिद को न गिराने के सेना को बहुत ही स्पष्ट आदेश थे। मस्जिद पर कब्जा किये बिना सेना ने इसे बचाना था। यह उद्देश्य हम कैसे प्राप्त कर सकते थे यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना होगा। इस तथ्य के बावजूद एक धार्मिक स्थलों का प्रयोग समाज विरोधी गतिविधियों के लिए न करने के बारे में कानून है, सच्चाई यह है कि इन स्थानों का प्रयोग सामान्यतया छिपने के लिए किया जाता है। वे इन स्थानों पर अपने हथियार और गोला बारूद जमा कर लेते हैं और तत्पश्चात हम सोचते हैं कि मस्जिद को कुछ नहीं होना चाहिए। मन्दिर को कुछ नहीं होना चाहिये, किसी पूजा स्थल को कुछ नहीं होना चाहिए। तो साथ ही हमें लोगों को इस मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिये। मैं समझना चाहता हूं कि यह जानते हुए कि कुछ लोग जो उस क्षेत्र में छिपे हुए हैं मस्जिद की पवित्रता में विश्वास नहीं रखते, हम कैसे इन लोगों को बाहर निकालने में सफल हो सकते थे। वे ऐसे मुस्लिम पंथ के लोग थे जिनकी वास्तव में मस्जिदों और मजारों में कोई आस्था नहीं है। यह सूफी संत नूरानी की सूफी मस्जिद है। इस क्षेत्र के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि यहां नंद ऋषि का जन्म हुआ था। इस क्षेत्र में सदैव शांति का वातावरण रहता था। इस क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द का प्रचार किया जाता था। आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वे लोग जो पाकिस्तान के एजेन्ट हैं और जिनको आई एस आई ने भेजा है, हमें मस्जिद का बचाव करने देंगे? निस्संदेह हमने हजरतबल को बचाने का पूरा प्रयास किया। हम उस क्षेत्र की 25 दिनों तक घेराबन्दी के पश्चात सफल हो सके। हमारा अनुमान था कि हमने घेराबन्दी की और उन लोगों को राजी करने का प्रयास किया तो वे लोग बाहर आ सकते हैं लेकिन मस्जिद को गिराने या कोई अन्य कार्यवाही करने से वे बाहर नहीं आयेंगे। निस्संदेह यह तो पहले ही स्पष्ट था कि वे मस्जिद को सही सलामत छोड़कर वहां से नहीं जायेंगे, वे इसे गिराकर ही जायेंगे। हम सभी को इस बात पर गौर करना होगा और इसका कोई समाधान ढूंढने का प्रयास करना होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें इसे एक दलीय मामला नहीं बनाना चाहिये। मैं उन से पूरी तरह सहमत हूं। यह कोई दलीय मामला नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मसला है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ दल, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने पर उतारू हैं और यदि संभव हो तो वे उस क्षेत्र में अपना पांव जमाना चाहती हैं। चार–पांच देश एक साथ लगते हैं और उनकी सीमायें सियाचीन क्षेत्र में इन्दिरा फाल में हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन चार–पांच देशों की सीमायें एक साथ मिलती हैं। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि कुछ लोगों की यह बड़ी आकांक्षा है कि उनका पांव वहां जम जाये ताकि वे उन कुछ देशों पर नियंत्रण कर सकें जिनके बारे में उनकी कुछ पूर्व धारणायें हैं। इस आधार पर मैं यह कहता हूं कि हमें राजनैतिक दलों के नेताओ को बुलाने और उनके साथ बार–बार बातचीत करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा आपस में विचारों का आदान–प्रदान हो। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश जाना चाहिये कि हम सब एक हैं और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हमें इस प्रकार का संदेश भेजना होगा।

मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सेना को बदनाम न करें। सेना ने प्रशंसनीय काम किया है। मैं सेना का बहुत आदर करता हूं और मैं उन सैनिक अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने हर समय की उत्तेजना के बावजूद बहुत ही संयम से काम लिया है। हमें उन पर गर्व होना चाहिये।

इसके बावजूद और मामले की जांच किये बिना सदस्यों का यह कहना ठीक नहीं है कि सेना ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया है और उनके विरुद्ध न्यायिक जांच की जानी चाहिए। यह राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल है। मैं समझता हूं कि आपने अपने वक्तव्य का निहितार्थ नहीं समझा है। वास्तव में माननीय सदस्य ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वह बहुत ही खतरनाक है। हम इस तरह की चीज से कभी सहमत नहीं हो सकते।

माननीय सदस्य श्री शहाबुद्दीन ने संवैधानिक संशोधन लाने के लिए अपनाये गये तरीके के बारे में पूछा है। मुझे विश्वास है कि उन्हें अनुच्छेद 370 तथा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी है। अब तक हमने कोई दो दर्जन बार इस अनुच्छेद का सहारा लिया है और एक विशेष तरीके से इस अनुच्छेद में संशोधन करके संवैधानिक संशोधन लाये गये हैं। माननीय सदस्य को इसकी पूरी जानकारी है और साथ ही वह चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि मुझे इसकी जानकारी है अथवा नहीं। मुझे इसकी पूरी जानकारी है और माननीय सदस्य को भी इसकी पूरी जानकारी है। माननीय सदस्य इस अनुच्छेद 370 का ठीक ढंग से प्रयोग करने की सलाह देते रहे हैं ताकि हम स्थिति में परिवर्तन ला सकें।

महोदय, पाकिस्तान के लोग हिन्दुओं और मुलसमानों में न केवल कश्मीर अपितु देश के अन्य भागों में भी साम्प्रदायिक फूट डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार पूजा स्थल को अपवित्र नहीं किया है। लोगों को उत्तेजित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चाल चली जा रही हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में साम्प्रायिक तनाव पैदा हो। अतः हमें ऐसी स्थितियों से सावधान रहना होगा क्योंकि उस क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं होता।

मैं बिना किसी प्रतिवाद के डर के कह सकता हूं कि लगभग छः सात महीने पहले मैंने इस क्षेत्र का दूर दूर तक दौरा किया था और वापस आने के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट था कि पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान से लोगों का भ्रम दूर हो गया है। उनका कहना है 'हमें न तो पाकिस्तान के साथ विलय में दिलचस्पी है और न ही हम आजादी की मांग करते हैं। हम मुख्यधारा के साथ रहना चाहते हैं। वास्तव में हमें पिछले दस वर्षों में जेहाद का अनुभव हुआ है। जेहाद के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है। वे महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। वे जबरदस्ती लोगों के घरों में घुस जाते हैं और उन्हें खाना देने के लिए बाध्य करते है। ऐसी चीजें हुई हैं और लोगों के मन में तनिक भी संदेह नहीं है कि इन लोगों की किसी तरह की धार्मिक गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे बिलकुल अधार्मिक हैं और धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब लोग समझ गये हैं कि यह पाकिस्ताम की चाल है और पाकिस्तान ही उनको उत्तेजित कर रहा है, आतंकवादियों को वहां भेज रहा है ताकि उनका भाड़े के सैनिकों के रूप में प्रयोग करके इस क्षेत्र में समस्या पैदा की जा सके।

मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि चरार–ए–शरीफ की घटना के बाद पूरी स्थिति बदल गई है। मुझे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। यद्यपि चरार–ए–शरीफ की हिन्दु तथा मुसलमान दोनों पूजा करते थे और अन्य विभिन्न धर्मों के लोग भी पूजा करते थे, वे यह भी जानते हैं कि चरार–ए–शरीफ को सेना ने नहीं अपितु इन आतंकवादियों ने जलाया है। इसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। इस घटना से निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और इसी कारण जो लोग 18 जुलाई से पहले चाहते थे कि चुनाव अवश्य होने चाहिये अब चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं हैं जिससे राष्ट्रपति शासन की अवधि और छः महीने के लिए बढ़ाने के लिए इस प्रकार का संशोधन लाना आवश्यक हो गया ताकि कश्मीर में पहले जैसी सामान्य स्थिति कायम की जा सके।

केवल दो ऐसे मुद्दे हैं जिन के बारे में मैं वास्तव में कुछ कहना चाहूंगा। एक मुद्दा तो प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि आजादी को छोडकर हम किसी भी चीज पर विचार करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं यह ऐसा मसला है जिस पर बातचीत जारी रखनी होगी और इस स्थिति में यदि प्रधान मंत्री ने तत्काल घोषणा करनी होगी कि इस मामले में हम ऐसा करना चाहते हैं तो किसी तरह की बातचीत के लिए कोई गुजांइश नहीं रह जाती और हम इसे आधार बना कर आगे चर्चा कर सकते हैं। यदि हम चुनाव करवाने में सफल होते हैं तो चुनावों के बाद प्रतिनिधि सरकार नये सिरे से इस मुद्दे पर विचार करेगी लेकिन प्रतिनिधि सरकार को भारत सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसे ध्यान में रखना होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चुनाव से पहले कही जा सकती हैं और कुछ चीजों की घोषणा बाद में की जा सकती है। मुझे नहीं पता कि प्रधान मंत्री के मन में क्या है। प्रधानमंत्री के मन में जो कुछ है उसे वह सभा को बता सकते हैं। प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह निश्चित रूप से सभा में आयेंगे और सभा को जो कुछ उनके मन में है बतायेंगे।

महोदय, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह इस मुद्दे का सब से अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वायतता का अर्थ विशेष रूप से सरकारियां आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में ठीक ढंग से समझना होगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि हम जम्मू कश्मीर को स्वायतता देते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य भी उसी तरह ही स्वायतता की मांग कर सकते हैं। मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि जैसी कि इस समय स्थिति है, देश के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर का दर्जा अलग है और यही कारण है कि जब सरकारिया आयोग ने भी शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, दोनों प्रशासनिक और वित्तीय की सिफारिश की है तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ अलग तरह का व्यवहार करना होगा। किन्तु अन्ततः प्रधानमंत्री के वक्तव्य से ही स्थिति स्पष्ट होगी। मेरी बात इस बारे में अधिक प्रमाणिक नहीं हो सकती।

महोदय, जहां तक आर्थिक पैकेज का संबंध है, मैं जानता हूं कि जब मैं योजना आयोग का उपाध्यक्ष था तब से गैर योजना अन्तर भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। हमारी समझ में यह बात नहीं आई है और तब भी पैकेज यह था कि जो राशि दी जायेगी उसमें से 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जायेगी। यह जमा होती रही। अंततः हमने देखा कि गैर योजना अन्तर की काफी राशि जमा हो गई है और हमारे सामने मुख्य मुद्दा यह था कि अन्ततः इस अन्तर को कैसे पूरा किया जाये। आरंभ में वित्त मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को योजना राशि का प्रयोग गैर योजना प्रयोजनों के लिए करने की अनुमति दे दी जो, मेरी राय के अनुसार एक अच्छी प्रथा नहीं है। योजना राशि का प्रयोग गैर योजना प्रयोजनों के लिए करने से योजना के काम में बाधा आती है। वास्तव में हमें जम्मू और कश्मीर में विकास संबंधी गतिविधियों की गति तेज करनी होगी। अतः यह उस सिद्धांत के प्रतिकूल है और यही कारण है कि अब उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि हमें 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में देनी होगी। इससे स्थानीय लोगों की बाकी आकांक्षायें भी पूरी होंगी। पिछले वर्ष भी 1993-94 तक उनकी वित्तीय स्थिति भिन्न थी लेकिन 1994-95 से, मैं समझता हूं। हमने 950 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर के लिये दिये

हैं ताकि जम्मू कश्मीर के सामने घाटे की जो विशेष समस्या है उसे दूर किया जा सके।

महोदय, मैं जानता हूं आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ माननीय सदस्य सोच रहे होंगे कि ये तो सामान्य चीजें हैं जो चलती रहती हैं और इसमें पैकेज नाम की कोई चीज नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं कुछ शब्द कह सकता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी जो यहां बैठे हैं उनके यहां ऊधमपुर से बारामुल्ला तक एक रेल लाइन बनाने की परियोजना है। ऊधमपुर–बारामुल्ला रेललाइन की स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दी है और सरकार कुछ पन–बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। दो तीन अन्य पन–बिजली परियोजनायें भी हाथ में ली जाने वाली हैं। वास्तव में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमें इन परियोजनाओं की मंजूरी भी देनी पड़ेगी और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इन परियोजनाओं को समय पर आरंभ किया जाये। अतः इन पन–बिजली परियोजनाओं और रेल परियोजना से, जो उस क्षेत्र के लिए नई चीजें हैं, रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दोनों पुलिस तथा अर्ध–सैनिक बलों में इस क्षेत्र के काफी युवकों की भर्ती की गई है ताकि उनको यह महसूस हो कि सरकार द्वारा घोषित रोजगार योजना से उन्हें कुछ लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना भी उनके पास है। जो लोग अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं वे उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने इस तरह के सामान्य मुद्दे उठायें हैं और मैंने यथासंभव स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। केवल एक मुद्दा रह गया है जो प्रवासियों के बारे में है। इस सम्बंध में प्रश्न यह है कि प्रवासियों का क्या होगा। जहां तक प्रवासियों का सम्बंध है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनकी मतदाता सूचियां तैयार करने के आदेश दिये थे। अब उनकी मतदाता सूचियां तैयार हो गई हैं और निस्संदेह मुख्य चुनाव आयुक्त कोई ऐसा उपाय ढूंढेगे जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यदि ऐसा हो जाता है तो उस क्षेत्र में जो असंतुलन पैदा हो गया है उसमें किसी तरह का सतुंलन लाया जा सकेगा और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मैं इन्हीं मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस आज लेना है?

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लगातार उसका बलिदान हो रहा है। यह एक अच्छी परिपाटी नहीं है। गैर सरकारी दिवस को निरंतर 2-3 बार टाल दिया गया। कल हम से कहा गया कि आज गैर सरकारी दिवस होगा। आज भी एक घंटा अधिक ले लिया गया। ऐसा न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना दुरूस्त है। 2-3 चीजें हैं। कुछ मैम्बर्स को दूसरे मुद्दों पर अपने विचार रखने हैं। प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी है, एक दिल्ली रैंट बिल है जो कि बिलकुल पास होने के कगार पर है। आप सब की जैसी राय हो, वैसा करेंगे।

श्री कालका दास (करोल बाग) : आज सत्र का आखिरी दिन है। इसलिए जीरो आवर में सब की बात सुनी जाये।

[अनुवाद]

श्री राम नाइक : यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। अनेक सदस्यों ने इसके बारे में नोटिस दिये हैं। उन्हें भी अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाये।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया जाये और प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस बाद में ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले रेजोल्यूशन ले लेंगे। उसके बाद अगर आप एग्री करते हैं तो विदआउट मिनिस्टर रिप्लाई पुट–अप करना है तो बिल ले लेंगे। आपने जो कहना हो कह दीजिए। उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिल ले लेंगे।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, हमें बताया गया था कि 4 बजे गृह मंत्री जी बयान देने वाले हैं। उसका क्या हुआ? यह एक अहम मसला है।

[अनुवाद]

श्री एस बी चव्हाण : महोदय, वक्तव्य मेरे पास तैयार है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अपने भाषण में 3-4 मुख्य प्वाइंट रखे थे। मुझे दुख है कि मंत्री जी की तरफ से उनका कोई जवाब नहीं आया है। जो वहां के गवर्नर हैं, उनको वहां से हटा दिया जाये..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : दूसरी बात डिलिमिटेशन के सम्बंध में कही थी। अकेले जम्मू में शेडयूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन 20 परसेंट है और खासतौर से गूजर, बकरवाल की संख्या 20 परसेंट है। 88 सीटों में से जम्मू में 37 सीटें हैं, 47 सीटें कश्मीर में हैं।

उस 37 सीटों में से एक भी सीट डि–रिजर्व नहीं की गई है और जो दस सीटें बढ़ाई गई थी, इनमें से एक भी सीट नहीं बढ़ाई गई है, जो कि पोपुलेशन के मुताबिक बढ़ाई जानी चाहिए थी। मंडल कमीशन लागू हो गया है....

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात लम्बी हो रही है, पूरा भाषण हो जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : तीसरी बात, मिसयूज आफ मनी – जो पैसा भारत सरकार दे रही है, उसका यूज हो रहा है या नहीं, क्या मिसयूज हो रहा है? ये सार्वजनिक हित के प्रश्न हैं, जो एकता को कायम रखते हैं। इस संबंध में मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : जहां तक आरक्षण का सम्बंध हे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं निश्चित रूप से यह मामला निर्वाचन आयुक्त के ध्यान में लाऊंगा। अन्ततः यह काम निर्वाचन आयोग को करना

है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

जहां तक उस क्षेत्र के विकास के लिए दी गई राशि का सम्बंध है, जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक प्रकोष्ट बनाया है और वित्तीय आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं। इसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार के स्तर पर एक सचिव समिति है जिससे इस पर निगरानी रखने की आशा की जाती है। यह समिति न केवल धनराशि के व्यय पर नजर रखेगी अपितु यह भी देखेगी कि वास्तव में काम हुआ भी है या नहीं। वित्तीय आयुक्त की अध्यक्षता में श्रीनगर में बनाया गया प्रकोष्ठ इन दोनों पहलुओं की पुनरीक्षा करेगा। ...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक छोटा सा स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं। संभवतया मैं आपको याद दिला दूं। एक वर्ष पहले इस सभा में यह मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर मामलों के बारे में एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिये। आप इससे सहमत हो गये थे; समिति का गठन किया लेकिन समिति की एक भी बैठक नहीं हुई और समिति निष्प्रभावी हो गई। अतः क्या आप इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करेंगे और सलाहकार समिति बनायेंगे?

यहां पर दूसरी मांग यह की गई है कि क्या आप हुरियत के लोगों को आमंत्रित करने की मांग पर विचार करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे?

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मुझे अफसोस है कि समिति की सलाह नहीं ली गई। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम निश्चित रूप से इसको पुनः गठित करेंगे और इस मामले में उनकी सलाह लेने का प्रयास करेंगे। मैंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है और प्रधान मंत्री ने भी एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वह हिंसा पर उतारू नहीं होता और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहता है तब तक निश्चित रूप से उसका स्वागत है। लेकिन हुरियत के लोग खुद ही हम से बातचीत नहीं करना चाहते और वे सोचते हैं कि यदि वे सरकार से किन्हीं मामलों पर बातचीत करेंगे तो हुरियत के दूसरे लोग इसका दूसरा अर्थ लगा सकते हैं। स्थिति यह है।

श्री सैयद शहाबुद्दीनः प्रश्न यह है कि क्या आप उनको आमंत्रित करेंगे ...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आन्सर आवर हो रहा है। आप सब लोगों के सामने डिफिकल्टी है इतने सारे मैटर्स हैं। असल में यह क्वेश्चन आन्सर आवर नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

कृपया कठिनाइयों को समझें।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई 1995 से और छह मास की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.41 म. प.

दिल्ली किराया विधेयक - जारी

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन उससे पूर्व यदि सभा सहमत हो तो दिल्ली किराया विधेयक को आसानी से पारित किया जा सकता है। अब यह विधेयक पांच मिनट में पारित कर सकते हैं और तत्पश्चात् वक्तव्य हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिसरों से सबंधित किराये, मरम्मत और अनुरक्षण तथा बेदखली और होटलों तथा वासों की दरों के विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगे। प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 से 82 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 82 विधेयक में जोडे गये

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये

श्रीमती शीला कौल : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.42 म. प.

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति - जारी

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री विनय कटियार को बोलने की अनुमति दूंगा। यहां लोक सभा में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। अतः माननीय सदस्य मंत्री के वक्तव्य से पहले अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में कई बार यहां पर प्रश्न उठा है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार इस प्रकार की घटनायें होती रही हैं। जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं थीं। हम लोगों ने कई बार इसकी मांग की कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में घटना घटित होती है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे लोग उस केस में आए, लेकिन उन आफिसरों को दंडित किया गया जो लोग सत्ता पक्ष के निकट में नहीं थे। वहां उनके आफिसरों को दंडित कर दिया गया। यह घटना सरकर के द्वारा कराई गई। मुजफ्फरनगर की घटना घटित हो जाती है। इस सदन में सी बी आई की रिपोर्ट आ चुकी है, बार–बार मांग उठाती रही है कि उस पर कार्यवाही होनी चाहिये, लेकिन वहां पर जो आफिसर दोषी हैं उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की गई। उनके खिलाफ इसलिए कार्यवाही नही की गई, क्योंकि वे आफिसर उनके नजदीक के थे। यानी आफिसर भी कौन किस का है, यह भी विचार करके कि किस पर कार्यवाही की जानी चाहिए, किस पर नहीं कि जानी चाहिए, कौन हमारी पार्टी का वर्कर बन कर काम कर रहा है और कौन आफिसर काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार की भी वहां पर कार्यवाही होती रही और अत्याचार बढ़ते रहे। हमारे संसदीय क्षेत्र में जिन पर अपराध के 18-18 मुकदमें थे उनको सरकार ने दो दिन के अंदर वापस कर लिया।

यह कोई एकाध घटना या सिर्फ मेरे ही क्षेत्र की घटना नहीं है, संपूर्ण प्रदेश में यही हुआ है। हर क्षेत्र में कई लोग, जो शायद पुलिस को मिल जाते तो पुलिस के हाथों मारे जाते, इस प्रकार के अपराधियों को छोड़ दिया गया, उनके मुकदमें वापिस ले लिए गए, जिसके कारण वहां पर अपराधीकरण बढ़ता गया।

पंचायतों के चुनावों के संबंध में भी यहां पर चर्चा हो चुकी है। प्रदेश का मामला कह कर उसके बारे में कह दिया गया कि इसके बारे में प्रदेश में चर्चा होनी चाहिये, यह आपने ठीक किया। लेकिन जब प्रदेश सरकार और उसका मुखिया स्वयं अराजकता में लिप्त हो रहा हो, तो स्वाभाविक है कि इस सदन में उस पर विचार होना चाहिए और इस सदन को उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिये। आज उत्तर प्रदेश में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापिस लेने से वहां की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसके बारे में राज्यपाल महोदय को निर्णय करना चाहिए मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन सरकार को बचाने के लिए जब मुखिया ही अपराधी बन जाए, अपराध करने लग जाए, तो फिर ऐसे समय में केन्द्र सरकार को और संसद को चुप नहीं बैठना चाहिए। यह राज्यपाल महोदय का मामला जरूर है, लेकिन राज्यपाल से बढ़ कर इस समय यह मामला केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय का हो गया है। जब वहां का मुख्य मंत्री स्वयं अपराधी बन कर सारी कार्यवाही करवा रहा हो, विधायकों का अपहरण करवा रहा हो, मारपीट करवा रहा हो, ऐसे माफिया विधायक उसके साथ हों जिनका पिछला जीवन अपराधीकरण का रहा है, ऐसे माफिया विधायक उसके साथ हो जिनका पिछला जीवन अपराधीकरंण का रहा है, इसलिए राज्यपाल अपना निर्णय लें, यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा विषय यह हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री सारे अपराधियों को संरक्षण दे रहा हो, प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया हो, कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, तो स्वाभाविक है कि केन्द्र सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए और तत्काल उस सरकार को बरखास्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, भीष्म पितामह के पास बहुत ताकत थी, लेकिन वे कही न कहीं से बंधे हुए थे और अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। मुझे विश्वास है कि इस सदन में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो कही न कहीं से बंधे हुए है और अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं हो रहा है और न्याय का गला घोंटा जा रहा है। अगर केन्द्र सरकार ने समय रहते तत्काल, आज ही निर्णय नहीं लिया तो केवल लखनऊ के अंदर ही मारपीट सीमित नहीं रहेगी, यह जिलों तक बढ़ेगी और जातीय वर्ग संघर्ष छिड़ने की संभावना है। जो लखनऊ में हो रहा है, मुझे समाचार मिले हैं कि वहां पर तैयारी हो रही है तथा वहां पर भीषण संघर्ष हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि प्रदेश की शांति और व्यवस्था भंग होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार तत्काल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे, केवल राज्यपाल महोदय पर मामले को न छोड़ा जाए। अल्पमत वाली सरकार के खिलाफ तो राज्यपाल महोदय निर्णय लेंगे ही, लेकिन जब कोई मुखिया ही अपराधियों को संरक्षण देने लगे, तो भारत सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और जिस धारा के अंतर्गत हो सकता है, उसके अंतर्गत इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब को अनुमति दूंगा। आप सब संक्षेप में निवेदन करें।

श्री सोनकर शास्त्री जी संक्षेप में अपना निवेदन करेंगे ताकि कई अन्य सदस्यों को भी अवसर दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस अहम मसले पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कुछ हो रहा है इसकी कल्पना कोई भी प्रजातांत्रिक देश में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा–तत्व हावी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये गुंडा–तत्व उन लोगों द्वारा लगाए गए हैं जो सरकार के रक्षक हैं या सरकार कहे जाते हैं।

कल वहां बहुजन समाज पार्टी के लोग गैस्ट हाउस में अपनी मीटिंग कर रहे थे। अब हम यह नहीं कहते कि वे सही है या गलत है, उनकी मंशा क्या है। लेकिन कोई भी राजनैतिक दल का आदमी जब शंतिपूर्वक अपनी बैठक कर रहा हो और बाहर से दूसरी पार्टी के लोग भारी संख्या में पहुंचकर, साढे तीन हजार आदमी गुंडे, बदमाश और राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ता, ये लोग पहुंचकर गैस्ट हाउस पर हमला करते हैं, उस बैठक में घुस गए और वहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को खींच खींचकर पीटना शुरु किया। पूछा कि यह किस पार्टी का विधायक है। मालूम होने पर कि बहुजन समाज पार्टी का है तो मारना शुरु कर दिया। अखबारों में गाड़ी नम्बर तक आया है। जबर्दस्ती सरेआम उनको खींच ले जाया गया। वहां पर पुलिस खड़ी असहाय देखती रही। कोई बाथरूम में घुस रहा था, कोई कुर्सी के नीचे अपनी जान बचाने के लिए बैठ रहा था। स्पीकर सर, वहां पर बिल्कुल अव्यवस्था हो गयी। पिस्तौल लगा दी गई। कहा जाता है कि मायावती वहां थी। उसको भद्दी–भद्दी गाली दी गई। हरिजन कहकर उसको अपमानित किया गया। हमारा इस बात पर बड़ा खेद है कि जो यहां पर माहौल है इस समाज का उसमें हमें, अनुसूचित जाति के तो हैं हम लेकिन हमारी बिरादरी का नाम लेकर कि यह चला है, खटीक चला है, यह भाषा तो यहां डाली नहीं जा सकती है। आप जो भी फैसला करेंगे हम अपने शब्द वापिस ले लेंगे। लेकिन श्रीमान, यह कहा गया कि चमरा चली है, चमैनिया गद्दी पर बैठने चली है, चमैनिया मुख्यमंत्री बनने जा रही है। यह बड़े शर्म की बात है और आंखों में आंसू आ जाते हैं यह सब सुनकर और यही कारण है कि मैं उत्तेजित हुआ आज सुबह। हम अनुशासन का पालन करते हैं, संसद के नियमों का पालन करते हैं लेकिन हमें वैल में जाना पड़ा। हमारे दिल में दर्द था। हमें खुशी है कि वाजपेयी जी ने हमें बोलने का मौका दिया था जबकि हमारी आवाज यहां दबाई जा रही थी। हम नहीं कहते कि राज्यपाल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राज्यपाल विद्वान आदमी है। जैसा नियम हो वैसा वे करे। लेकिन कुछ चीजें आम हो चुकी है। चन्द्रभान गुप्ता वहां थे लेकिन जब उनका बहुमत खत्म हो गया तो उन्होंने अपना त्यागपत्र तत्काल दे दिया था। बाबू संपूर्णानन्द ने त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरणसिंह ने त्यागपत्र दे दिया। आज जब बसपा के लोगों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया तो माननीय मुलायम सिंह को चाहिये था कि स्वतः ही अपना त्यागपत्र वे दे देते। लेकिन उन्होंने अपना त्यागपत्र नहीं दिया।

एक घंटा पहले हमें सूचना मिली है कि वहां पर बसों में भर–भरकर गुंडों को गांव से बुलाया जा रहा है और वे गांव से चल चुके है। हमारे गृहमंत्री जी बैठे हुए है। अगर आज इन्होंने नियंत्रण नहीं किया तो कल हर गांव में युद्ध होगा। हर गांव में चमार रहता है, भंगी रहता, खटीक रहता है, पासी रहता है और दूसरे लोग जाकर के उन्हें पीटेंगे।

इसने हमारे से इस्तीफा लिया है और वहां पर दुश्मनी होगी, घर–घर में आग लगने जा रही है। उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ चुका है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे गृह मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए है, हम सत्ता पक्ष से सम्बद्ध हैं, किसी को हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जिस किस्म से अब तक होता रहा है, यह बर्दास्त के बाहर हो चुका है, पानी घड़े से बाहर बह चुका है। यदि ऐसी ही हरकतें होती रहीं, हमारे विधायकों को अपमानित किया जाता रहा और अगर ये 29 करोड़ लोग संगठित हो गये तो इस मुल्क का जनतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। हम लोगों का संसद में आकर बैठना और बहस में शिरकत करना, चुन कर यहां आना बिलकुल अस्पष्ट सा है, उसका कोई लाभ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यहां हमारे गृह मंत्रीजी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी दल के विधायक हों, लेकिन अनुसूचित जाति के विधायकों की, चाहे वे गांव में रहते हों, चाहे दिल्ली में रहते हों, चाहे लखनऊ में रहते हों, उनकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से श्री मोतीलाल वोरा, जो वहां के राज्यपाल महोदय हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जिसका भी बहुमत है उसको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। वहां पर प्रजातांत्रिक सरकार बननी चाहिए। मुलायम सिंह अपना बहुमत खो चुके हैं, उनको एक मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग भी कुमारी मायावती को समर्थन देते हैं, वह सही बात है और कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में पहली अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री होंगी इसलिए उनको इस पद पर पहुंचाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिये।

श्री श्रीशचन्द दीक्षित (वाराणसी) : श्रीमन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो सदन में रिपीट हो चुकी हो। वहां की घटना के बारे में सारी सूचना आपको मिल चुकी है। मैं दो–तीन बुनियादी मुद्दों की तरफ आपका, सदन का और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो

रहा है, जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, वह एक तरह से महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार वहां स्वतंत्र भारत में दलितों की पार्टी की सरकार, हरिजनों की सरकार बनने जा रही हैं, जो कि पहले किसी राज्य में नहीं हुई। कल हमने यहां पर रिजोलुशन पास किया। हमने संविधान संशोधन बिल पास किया, आरक्षण की बात का, उनके हितों की बात का, अगर किसी राज्य में वे सत्ता में आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है। .... **(व्यवधान)**..... अगर आपको सत्ता से इतना मोह है तो हम आपको तरकीब बताते हैं कि आप मायावती का साथ दें और सरकार में शामिल हो जायें। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें सत्ता से प्यार नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सामाजिक न्याय की बात करने वाले ही ऐसी बात कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : आप जब होते हैं तो अपने ही सदस्यों को डिस्टर्ब करते हैं।

श्री श्रीशचन्द दीक्षित : मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मुझे कुछ प्रशासनिक अनुभव है। आज उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वह करीब–करीब दो भागों में बंट गया है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिनको न कायदे–कानून का ख्याल हैं, न इज्जत का ख्याल हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्हीं लोगों को महत्व दिया जा रहा है। गैस्ट हाउस में कल जो घटना घटी, उसका एक पहलू यह भी है कि वहां पर अपराधी तत्व के लोग तो उनके विधायक थे, उनके साथ थे ही लेकिन वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

5.00 म. प.

उनके सामने बिजली और टेलीफोन के तार काट दिये गये। तोड़–फोड़ की गयी, लोगों को मारा–पीटा गया और जबरदस्ती उठा लिया गया लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। अगर यह हो जायेगा तो राजनेता लोग, चाहे वह मुलायम सिंह यादव हो या कोई और हो, ये क्षणभंगुर हैं, किसी समय सत्ता में आये, कुछ समय सत्ता में आये, कुछ दिन यहां रहे और फिर चले गये लेकिन इससे प्रशासन तो चौपट हो गया। यदि इस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसे लोगों को लाकर बैठा दिया तो क्या प्रभाव होगा? यदि पुलिस कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार हो जायेगा या प्रशासन पार्टिजन हो जायेगा तो जैसा श्री सोनकर जी ने कहा कि इससे तो गांव में झगड़ा होगा, उससे कोई बच नहीं पायेगा। अभी पंचायत के चुनावों में इस प्रकार की घटनायें हो गयी कि कौन जीता, उसे हरा दिया गया और जो हारा, उसे जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। इस प्रकार की कितनी ही घटनायें हुई कि जो वोट देना चाहते थे और अगर उनको खिलाफ देंगे तो उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। कौन रोक रहे थे? उन्हें प्रशासन के अफसर रोक रहे थे, पुलिस अफसर रोक रहे थे। अगर ऐसी बात है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जायेगी। इस प्रकार *से तो सारा प्रशासन ही चौपट हो जायेगा। आज मुलायम सिंह मुख्यमंत्री* हैं, कल कोई दूसरा आ जायेगा। लेकिन परिणाम भीषण होंगे यह आप *जानते हैं।*

अध्यक्ष महोदय, तीसरी और अंतिम बात यह है कि गृह मंत्री जी अपना भाषण दे देंगे लेकिन हमें मालूम नहीं, वे क्या कहेंगे? लेकिन यह कह देना कि वहां जो कुछ हो रहा है, उसके लिये राज्यपाल निर्णय लेगें और हम सदन में यहां मूकदर्शक बने रहेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसलिये मुझे मालूम नहीं कि वे क्या कहने जा रहे हैं। यह इनका दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह मात्र राज्यपाल पर बात छोड़ देने से काम नहीं बनेगा। हमारा कर्तव्य है कि इन परिस्थितियों से उनको अवगत कराने के साथ–साथ दबाव डाला जाये कि जो गलत काम हो रहा है, वह नहीं होना चाहिये और उस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिये क्योंकि कांस्टीट्यशनली और मारिली उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम आशा करते हैं कि गृहमंत्री इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। वह मुख्यमंत्री जो इस प्रकार की घटनाओं को करवा रहा है, इसमें संदेह नहीं कि यदि यह घटना आजमगढ़ बलिया या मेरठ में हुई होती तो कहा जा सकता था कि मुख्यमंत्री को मालूम नहीं। लेकिन मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गैस्ट हाउस में, जहां मंत्री एम. एल. ए. एज, या अधिकारी लोग रहते हैं, वहां इस प्रकार की घटना हो और मुख्यमंत्री कहे कि उन्हें मालूम नहीं या कहे कि इस प्रकार की घटना नहीं हुई तो राज्य के अन्य कस्बों, गांवों या शहरो में क्या स्थिति होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिये और वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं केवल दो–तीन वाक्य बोलूंगा। पहला यह है कि जब श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई तो हमारे दल ने आरंभ में उसे अपना समर्थन दिया। बाद में हमने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसका कारण यह था कि दलबदली को बढ़ावा देने तथा हमारे दल को तोड़ने के लिए हमारे दल के विरुद्ध कुछ गलत तरीके अपनाये गये। इसके विरोध में हमने अपना समर्थन सात महीने पहले वापस ले लिया था और इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी इसकी जानकारी है और कुछ दिन पहले संचार माध्यमों ने इसके बारे में मुख्य रूप से समाचार दिया था।

जहां तक पंचायत चुनावों का सम्बंध है, हमारी एक महिला सदस्य श्रीमती तारा देवी जो अनुसूचित जाति समुदाय की है; हमारे कार्यालय लखनऊ में थी। वह हमारे दल के कार्यालय मैं बैठी थी तो लोगों की एक भीड, जिसमें समाजवादी दल के एक विधेयक और कुछ पुलिसकर्मी भी थे, कार्यालय में घुस आई, कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की पिटाई की और इस महिला का अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उसे उठाकर कर ले गये। पुलिस ने पहले तीन दिनों तक कोई मामला या शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया। काफी दबाव डालने के बाद मैं आभारी हूं *कि वहां सभी दलों ने इस मामले में उस महिला का समर्थन किया और* उसके इस अपहरण का विरोध किया – पुलिस ने शिकायत दर्ज करने *की कृपा की। बहरहाल यह इसका एक पक्ष है।*

इस का दूसरा पक्ष यह है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा मंत्रिपरिषद

से अपने मंत्री हटा लिये जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में दो दलों की मिली जुली सरकार थी जिसमें श्री मुलायम सिंह के अधिक सदस्य थे और बहुजन समाज पार्टी के कम अर्थात 69 सदस्य थे —श्री मुलायम सिंह सरकार का बहुमत नहीं रहा है। यदि उनका बहुमत नहीं रहा है तो उचित यही है कि वह त्यागपत्र दें। सभी संसदों या सभी लोकतांत्रिक विधानमंडलों में यही सामान्य प्रक्रिया है। अतः उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिये। यदि वह सत्ता नहीं छोड़ते, जैसा कि हमें अब तक मिल रही खबरों से पता चलता है, तो राज्यपाल के पास काफी शक्तियां हैं। यदि आवश्यक हो तो वह इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। राज्यपाल क्याा करने जा रहे हैं; वह क्या सोच रहे हैं या उन्होंने विभिन्न दलों को क्या बताया है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं नैतिक दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव को त्याग पत्र दे देना चाहिए। वह सभा में शक्ति परीक्षण के लिए 8 जुलाई तक का समय नहीं ले सकते।

महोदय, तीसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस खलबली में उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के होस्टल बल्कि अतिर्थि गृह में कल हिंसा होने की जो सूचना इस सभा को दी गई है उसकी हम निन्दा करते हैं। हम इस प्रकार के प्रहारों की धमकियों और लोगों को धमकाने तथा आतंकित करने के लिए किये गये प्रयासों की घोर निन्दा करते हैं। जो भी दल इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है उसकी निन्दा की जानी चाहिए।

अन्त में यह कहना चाहता हैं कि जहां तक हमारे दल का संबंध है, यदि कुमारी मायावती इस झंझावत से बाहर निकल आती है और अंततः सत्ता में आने में सफल हो जाती है और मुख्य मंत्री बन जाती है तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। कुमारी मायावती ने शायद प्रेस को बताया है कि सी. पी. आई. ने उसकी सरकार का समर्थन करने की पेशकश की है। यह बिल्कुल गलत है। मैं अपने दल की ओर से इसका यहां पुरजोर खंडन करता हूं। उनके समक्ष कभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है और न ही ऐसा प्रस्तान किया जायेगा क्योंकि हम ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते जिसको अपने अस्तित्व के लिए भाजपा पर निर्भर रहना पडे और जो अन्यथा सत्ता में न आ सकती हो।

अतः हम इस प्रकार ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। बहरहाल, मुझे आशा है कि राज्यपाल को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वह उसका प्रयोग करते हुए कोई कार्यवाही करेंगे और हो सकता है उन्होंने अब तक केन्द्र को रिपोर्ट भेज दी हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है तो केन्द्र को उनसे एक रिपोर्ट मांगनी चाहिये। राज्यपाल द्वारा अपने आप कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जाती तो केन्द्र को उनसे एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए और उसके आधार पर सोच समझ कर कोई सही निर्णय लिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आखिरी बात जो इन्द्रजीत जी ने कही थी, उसको छोड़कर मैं उनकी सब बातों से सहमत हूं। यद्यपि उस आखिरी बात के बारे में भी वे भूल गए कि हम दोनों ने एक ही सरकार को समर्थन देकर साल भर तक चलाया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसका नतीजा क्या हुआ वह भी हम नहीं भूले हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर कोई सरकार इस प्रकार से अपने समर्थकों को फॉर ग्राण्टेड लेकर चलेगी तो यह नतीजा सबके साथ हो सकता है।

अब चन्द्रशेखर जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया कि उनके खिलाफ सदन में कोई प्रस्ताव पारित हो। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि उनके परम शिष्य और आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस स्थिति के पैदा होने पर उनसे शिक्षा नहीं लेते।

अध्यक्ष जी, साधारणतया मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हमेशा इस बात पर वजन दिया है कि किसी सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं इसका निर्णय सदन के फ्लोर पर होना चाहिए। यह हमेशा हमने कहा है कि उससे मैं इन्कार नहीं करता हूं, यह साधारतया बिलकुल सही है।....... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेडय्या यादव (मछलीपटनम) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को समय दूंगा। अब कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश की सपा, बसपा की सरकार और आज जिस प्रकार की स्थिति उस सरकार के बारे में पैदा हुई है यह एक अनोखी, अद्वितीय, अनप्रेसिडेटिव स्थिति है। इस नाते जिसको कह सकते है। 'यह अद्वितीय स्थिति है' और उसका उल्लेख कुछ मात्रा में इंद्रजीत जी ने किया। सपा सदन में सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। सपा और बसपा मिलकर भी हमसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी सरकार क्यों बनी। क्योंकि सपा और बसपा के हमसे कुछ ही मत कम थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देने का विश्वास दिया। इंद्रजीत जी की पार्टी ने उनको समर्थन देने का विश्वास दिया और जहां तक मुझे स्मरण आता है जनता दल की पार्टी जिसकी उस समय संख्या 28 थी, चाहे आज दो रह गयी है, समर्थन दिया।

श्री राम विलास पासवान : बाकी 8 कहां गए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 8 नहीं 26। लेकिन जिन परिस्थितियों में श्री मुलायम सिंह मुख्य मंत्री बने थे उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में एक मौलिक परिवर्तन हो गया। उसमें सुइजेनेरिस मैंने इसलिए कहा कि दो पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और उस कोलिशन गवर्नमेंट को राज्यपाल आमंत्रित करता है तो जिस समय उनमें से एक पार्टनर कहता है कि हम इनके साथ नहीं हैं, न केवल नहीं है बल्कि जिस पत्र को उन्होंने राज्यपाल को सुपुर्द किया उसी पत्र में उन्होंने कहा कि हम एक तरफ से अपना समर्थन वापस लेते हैं और दूसरी तरफ आपको यह कहने आए है कि अभी भी इस उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि एक स्थायी सरकार बन सकती है, क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी ने

समर्थन का विश्वास दिया है। उन्होंने औरों का नाम दिया, जिसके बारे में आपने तो कह दिया कि हमने नहीं दिया है। मुझे पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने दिया है या नहीं दिया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनके उन पत्रों में कांग्रेस पार्टी का उल्लेख है कि कांग्रेस पार्टी ने हमको समर्थन का विश्वास दिया है। मुझे पता नहीं है कि जितेन्द्र प्रसाद जी ने दिया है या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री पी. वी. नरसिम्हाराव जी ने दिया है या नारायण दत्त तिवारी ने दिया है, लेकिन उस पत्र में उस बात का उल्लेख है। कल मैंने उनका एक बयान टी.वी. पर देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अर्जुन सिहंजी से बात की है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह साफ हो गया है कि जिस आधार पर वह सरकार बनी है वह आधार समाप्त हो गया।

दो पार्टियों की सरकार थी, जिसमें से एक पार्टी ने उन पर कोई साधारण आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों की सरकार है, जिसका अनुभव हमको पिछले 18 महीने में लगातार होता रहा है। जातिवादिता बहुत भयंकर बीमारी है लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार केवल जातिवादी नहीं थी। यह सरकार अपराधियों की सरकार थी, भू–माफिया की सरकार थी और माफिया की सरकार होने के कारण कई प्रकरण पिछले 18 महीनों में पैदा हुए। अदालतों पर हमला हुआ, अखबारों पर "हल्ला बोल" हुआ और शुरू–शुरू में सदन के भीतर और कल व परसों तो सदन के बाहर विधायकों पर हमला हुआ। ये सब हमले होने के बाद, जब हम केन्द्र सरकार से कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 356 का उपयोग यदि करना हो तो उत्तर प्रदेश में किया जाये क्योंकि यहां लोकतंत्र के तीनों खम्बों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं लेकिन इस सरकार ने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में, अदालत के कहने पर सी. बी. आई. की रिपोर्ट जब सामने आयी, उनसे पूछा गया कि क्या इनकी प्रेरणा से वहां बलात्कार हुआ, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हां, बलात्कार हुआ, रेप हुआ।

[अनुवाद]

यह केवल छेड़छाड नहीं है इन लोगों ने प्राधिकारियों के संरक्षण में बलात्कार किया।

[हिन्दी]

लेकिन उसके बाद भी वह सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को मैं गुंडों की सरकार मानता हूं, अपराधियों की सरकार मानता हूं क्यों कि यह सब कुछ देखते हुए भी कुछ करने को तैयार नहीं है। इसके कारण ही वहां ऐसी स्थिति पैदा हुई जिस समय वहां सरकार का एक अंग उससे अलग होने को तैयार है, लेकिन अध्यक्ष जी, कोई विधायक ऐसा नहीं चाहता कि वह सदन भंग हो जाये और उन्हें फिर से चुनाव का सामना करना पडे और वह भी केवल 18 महीने बाद। साधारणतः कोई मंत्री भी नहीं चाहता कि उसका मंत्री पद चला जाय.... **(व्यवधान)** यहां बैठे सारे मंत्री हंस रहे हैं। सारी स्थिति को पहचान कर, जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल सरकार को अपना समर्थन दिया था, उस समय भी हम ने कहा था कि हम जनता दल के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं लेकिन हम जानते हैं कि अगर जनता दल का समर्थन नहीं करेंगे तो बोफर्स से मामलों में भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी वापस आ जाएगी, इसलिए हमने समर्थन दिया था। आज भी बसपा के दृष्टिकोण से सहमत न होते हुये भी, हम जानते हैं कि अगर हम इस सरकार को समर्थन नहीं देंगे तो वहां पर गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, हत्यारों की सरकार है, वह बनी रहेगी, इसीलिए हमने समर्थन देने का फैसला किया।

अध्यक्ष जी, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 163 और 164 दो ऐसे अनुच्छेद हैं, जिनमें प्रदेशों की कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्याख्या है। उसकी व्याख्या करते हुये, उसमें नियुक्ति का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किस आधार पर करेगा, जिसका वह बहुमत देखेगा या उसे अंदाजा हो जायेगा कि किस का बहुमत है। उसमें आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति की जायेगी। आगे उसमें यह भी कहा गया है–

[अनुवाद]

"ये सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।"

[हिन्दी]

इसीलिये इस मामले में हम बिल्कुल असमर्थ नहीं हैं। इसके दो तरीके हैं – पहला तरीका यह है कि यहां की सरकार इंटरवीन कर सकती थी, ऐसी स्थिति थी और पिछले लगभग 18 महीनों में कई बार ऐसी स्थिति आती रही है लेकिन इस सरकार ने कुछ अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण एक्शन नहीं लिया और आज भी यह अपने को पंगु मानती है। आज भी यह समझती है कि अगर हमने मुलायम सिंह की सरकार को डिसमिस किया तो हमें नुकसान हो जायेगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जितने लोगों ने बात कहीं, लेकिन बाहर आकर कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर यह सरकार आज भी एक्सन नहीं लेती, अगर वहां के गर्वनर आज भी एक्सन नहीं लेते तो हमें आगे चलकर जितना नुकसान होगा, वह बहुत भंयकर होगा। मुझे इसकी चिन्ता नहीं क्योंकि हमें तो उससे फायदा होगा लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की चिन्ता है कि वहां जो सरकार स्पष्ट रूप से अल्पमत में आ गयी है, अगर उसे अपने अल्पमत को बहुमत में बदलने का मौका दिया गया, एक तरफ तो हमने पंजाब और कश्मीर में राज्य–प्रेरित उग्रवाद देखा लेकिन आज वहां राज्य–प्रेरित हिंसा देख रहे हैं, राज्य–प्रेरित गुंडागर्दी देखा रहे हैं। ऐसी राज्य–प्रेरित गुंडागर्दी के माध्यम से अपने अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करने का अगर हम आपको अवसर देना चाहते हैं तो आप जानिये लेकिन कम से कम हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि बसपा के निर्णय के बाद और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बसपा को समर्थन देने के बाद, एक दिन भी मुलायम सिंह की सरकार आगे बनाये रखना एक राजनैतिक अपराध है, संविधान के खिलाफ अपराध है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने यदि यह कहने का प्रयास किया कि मैं आमतौर पर किसी राज्य के मामलों में केन्द्र सरकार के किसी हस्तक्षेप अथवा किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का समर्थन नहीं करता और मैं आमतौर पर चाहता हूं कि सरकार का शक्ति

परीक्षण विधानमंडल अथवा लोक सभा में, जैसी भी स्थिति हो, होना चाहिये तो मैंने कोई अनैतिक बात नहीं कही है। मेरी इस सामान्य मान्यता के बावजूद उत्तर प्रदेश के मामले में मैं यह चाहते हुए भी कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त करे, प्रयास करने के बावजूद भी ऐसा न कर सका। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ अन्य लोगों की तरह मैं सिद्धांतहीन नहीं बन सकता। हमारा दल सदैव यह कहता रहा है कि शक्ति परीक्षण विधानसभा अथवा लोकसभा में, जैसी भी स्थिति हो, होना चाहिये। उत्तर प्रदेश के मामले में भी हमारी यही मान्यता है। कोई अन्तर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम इस प्रक्रिया को बदलते हैं तो राज्यपाल को हेरफेर करने का अवसर मिलेगा। एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। इस बात की भी अनुमति नहीं दी जा सकती कि एक राज्य के मामले में केन्द्र सरकार जो चाहे कर सके।

मुझे कुमारी मायावती के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। वह उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बन जाती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। लेकिन उसके लिए उन्हें भाजपा या सी.पी.आई. या किसी अन्य दल का ही समर्थन नहीं लेना पड़ेगा अपितु उन्हें अपने दल को भी एकजुट बनाये रखना होगा। यह कैसी विडम्बना है कि एक व्यक्ति मुख्य मंत्री बनना चाहता है और संकट के समय कुछ सदस्य 7 या 8 या 25 जो भी संख्या हो – उसके दल को छोड़ देते हैं और फिर भी वह मुख्य मंत्री बनना चाहती है। मैं विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करने अथवा उन्हें डराने धमकाने जैसी बातों का समर्थन नहीं कर सकता। यह पूर्णतया अस्वीकार्य है। इस दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान मुख्य मंत्री को कोई परामर्श दिया जाना अपेक्षित हो तो केन्द्र सरकार को ऐसा करना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई स्पष्टीकरण देना होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को उनसे यह जानने का अधिकार है कि जो गठबंधन चुनाव से पहले बनाया गया था, और जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और जो सत्ता में आया, उसे किन कारणों से समाप्त किया गया है।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : स्पष्टीकरण और विस्तार से दिये जाने की आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को समाप्त कर दे और सत्ता में आने का प्रयास न करे तब तो बात समझ में आती है। लेकिन वे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाजपा का समर्थन मांग रहे हैं। यह किस प्रकार की नैतिकता है, मैं जानना चाहता हूं। उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों को यह स्पष्टीकरण देना होगा। महोदय, हम सभी जानते हैं कि कुमारी मायावती या अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई सहानुभूति होने की वजह से भाजपा द्वारा कतिपय चीजें नहीं कही जा रही हैं। इसमें उनकी अपनी राजनीति हैं।

आडवाणी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके कई मतभेद हैं। इससे उनके उद्देश्यों के बारे में मेरे संदेह की पुष्टि होती है। मैं मांग करता हूं कि शक्ति परीक्षण विधान सभा में होना चाहिये क्योंकि यदि श्री मुलायम सिंह शक्ति परीक्षण में असफल रहते हैं और कुमारी मायावती मुख्य मंत्री बन जाती है और एक महीने बाद फिर जैसी स्थिति सामने आती है और भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेती है तो कुमारी मायावती कहां जायेंगी? मैं उन्हें विधान सभा में जाने और अपनी शक्ति दिखाने का परामर्श दूंगा। यही सिद्धांत होना चाहिये और मैं इस सिद्धांत का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेशानन्द स्वामी (जलेसर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। यद्यपि मुलायम सिंह सरकार के द्वारा मैं बहुत प्रताड़ित रहा हूं। छः महीने तक जेल में रहा, लेकिन मैंने अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए कभी अपनी व्यग्रता नहीं दिखाई, परंतु उन्होंने अपने प्रतिकूल रूख अपनाने वालों को कुचला है। झूठे केसों में फंसाया है। उनकी जानमाल की हानि हुई है। विशेषतः मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन बार चुनाव हुए। उन्होंने अपने बाहुबल से और अपने प्रशासनिक अधिकारी तथा अपने गुंडा तत्वों के बल पर चुनाव जीता। पंचायत के चुनाव में भी यही हुआ कि हमारे फिरोजाबाद का तो प्रतिनिधि डी.एम. आफिस के प्रांगण में गोली चलवाकर के उसका अपहरण कियां गया। अब चूंकि बी. जे. पी. के साथ अन्य लोग अछूत जैसा व्यवहार करते हैं इसलिए यहां कम्युनिस्टों की बात बहुत उठी, लेकिन हमारी फिरोजाबाद वाली बात बहुत नहीं उठी। हमारे मैम्बर ऐसे कई बार उठाए गए। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनके खलिहान फूंके गए। मेरे क्षेत्र में करीब दस ऐसे लोगों के खलिहानों में आग लगा दी गई जो हमारी पार्टी के समर्थक हैं।

जब इस सरकार से बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन वापिस ले लिया तो उन्होंने कहा कि देखिये मल्होत्रा जी की वजह से यह सब हो गया। उन्होंने ऐसा कहा कि परसों ही उनका अपहरण हो गया और कल उनकी डेड बॉडी पाई गयी। फतेहपाल दत्ता, रमेश गुप्ता और पिंटू स्वर्णकार नाम के तीन आदमियों की लाशें अवागढ़ जहां मेरा आश्रम है, वहां प्राप्त हुई। इसके अलावा मेरे प्रतिनिधि के भाई, जिनका नाम भूरे सिंह था, मेरे प्रकण्ड के बाद उन्हे भी गोली मार दी गयी। इस तरीके से तकरीबन 15 आदमियों को, जो कि मेरे निकटतम थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया लेकिन मैंने यह आवाज यहां नहीं उठाई। मैंने कई बार गृहमंत्री जी को भी लिखा, अपनी सुरक्षा के विषय में भी लिखा लेकिन हर बार वहां से यही जवाब आता रहा कि हमने जांच कराई है लेकिन वहां का एस. पी. यह नहीं मानता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जांच आने के बाद भी पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी मुझ पर फायर किये गये लेकिन मैं हर बार बचता रहा। अगर वहां यह सरकार रही तो निश्चित रूप से न मालूम कितने लोगों की जानें जायेंगी, कितने भले आदमियों के माल का नुकसान होगा, कितने खलिहानों में आग लगाई जायेगी, और जमीन तथा कोठियों पर कब्जा किया जायेगा।

एटा में सपा का अध्यक्ष अजय यादव जो बना है, उसने मेरे अवागढ़ के लाला श्री कमल कुमार जैन की कोठी, जो करीब 70 लाख की होगी, पर कब्जा कर लिया। उसके आधे भाग में सपा का कार्यालय बना लिया तथा आधे हिस्से में वह खुद रह रहा है। मैं पिछले रविवार को अपने निधौली क्षेत्र गया तो मैंने वहां देखा कि कुछ विद्यार्थियों ने, जो कि वहां परीक्षा देने आये थे, एक दुकान में जाकर मिठाई खाई, पानी पिया और बिना पैसे दिये चलने लगे। जब उनसे पैसे मांगे गये तो वे कहने लगे

कि तुम हमसे पैसे लोगे, तुम जानते नहीं हो कि हम युवा सपा के कार्यकर्ता है।

मान्यवर, उस दुकानदार की प्रशासन ने शिकायत तक नहीं सुनी। आज वह लाला एटा की जेल में बंद है। शायद उन्होंने जमानत करा ली हो। इस तरीके से जो भी शिकायत करता है, उसकी हानि हो जाती है, उन्हीं पर किसी न किसी तरीके से गलत केस बना दिये जाते हैं। यह हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। ऐसी स्थिति में हम नहीं जानते कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि मुलायम सिंह का जाना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही हितकर होगा, प्रजातंत्र की रक्षा होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो यह सदन, जो कि प्रजातंत्र की बात करता है, वह प्रजातंत्र का गला घोंट रहा है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, वह अत्यंत भयावह है। यह भयावह स्थिति दो दिनों से नहीं है बल्कि पिछले कुछ सालों से वहां हालत बिगड़ रही है।

हमारे माननीय सदस्य श्री दीक्षित जी कह रहे थे कि सरकारी अफसर बैठे रहे और सदस्यों को घसीटा जा रहा था लेकिन दीक्षित जी शायद भूल गये कि सरकारी अफसर बैठे रहे और देश की परम्परा घसीटी जा रही थी। उस दिन को हम लोग नहीं भूले हैं। राजनैतिक लोग हर अपराध के लिए नौकरशाही पर अंगुली उठा दें, यह एक सामान्य बात बन गयी है। हम लोगों की यह भी धारणा है कि हम जो पुराने लोग हैं, सारा ज्ञान, सारा शिष्टाचार उन्हीं में है। जो नये अधिकारी आते हैं, वे सब निकम्मे हैं, ऐसी बात नहीं है। अधिकारियों को निकम्मा बनाने की बड़ी जिम्मेदारी राजनैतिक लोगों की है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, शायद मैं बोलता भी नहीं लेकिन मुझे आडवाणी जी का भाषण सुनकर दुख हुआ। वहां अब देवऋषियों की सरकार बनने जा रही है। वही सरकार जिस सरकार का आधा हिस्सा डाकू, लुटेरे, गुंडों का था और आधा हिस्से में मीरा का संगीत हो रहा था। वहां अब मीरा की सरकार बनेगी और गुंडों की सरकार गिरेगी। हम लोग किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग राजनीति किस धरातल पर ले जाना चाहते हैं? पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हुई है, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के स्वामी जी बोले रहे थे। यह सही है कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है।

वे जानते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से उसके बारे में विरोध किया था। पिछले दिनों जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, यदि उस तरह से कोई भी सरकार चले तो किसी को भी क्षोभ होगा, दुख होगा। आडवाणी जी, यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, वे हमारे शिष्य नहीं है, सब शिष्य गुरू हो गए हैं और गुरू लोग कहां चले गए, कुछ पता नहीं है, मैंने उनसे कहा कि आप जो कर रहे हैं, इससे आप अपने को बर्बाद करेंगे, राज्य को बर्बाद करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। देश को इस हालत में मत पहुंचाइए लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारे गुरूजी भी अकेले में हमारी बात सुनते हैं, जब बाहर जाते हैं तो नहीं सुनते। मैं यह कहता हूं कि यदि कोई सरकार गलत कार्य कर रही है तो आपको उस सरकार को हटाने का पूरा नैतिक, राजनैतिक अधिकार है। लेकिन उसको हटाने के लिए अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना क्रोध न लाइए कि बुरे लोगों को उस सरकार में बिठा दें।

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन राजनीति में कुछ मान्यताएं होनी चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए। मुझे किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। राजनीति में व्यक्तियें का राज नहीं बनता, राजनीति में मान्यताओं का राज बनता है और मान्यताओं की सरकार बनती है, परम्पराओं की सरकार बनती है। कोई दलित पैदा करके दलितों की सरकार नहीं बना देता, जो लोग दलित पैदा हुए, वे डाकू भी बने और दलित पैदा होने वाले रविदास संत परम्परा के एक प्रतीक भी बन गए। इसलिए जातियों के नाम पर किसी को किसी पद पर बिठा देने से वह सरकार, वह राज्य उस वर्ग विशेष का समर्थक हो जाता है, पोषक हो जाता है, मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यदि हम उन नारों को देकर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो दूसरी बात है लेकिन हम उन नारों के आधार पर देश की परिस्थितियों को, देश के समाज को, मान्यताओं को नहीं बदल सकते।

उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, वह दुखद है, जो कुछ हुआ वह लज्जाजनक है। यदि सरकार के पास ऐसी सूचना है कि संविधान की धारा का उल्लघंन हुआ है तो मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि किसी सरकार को धारा 356 का उपयोग करने का अधिकार है और होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी मैं यह मानता हूं कि परिस्थतियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें केन्द्र में बैठी हुई सरकार अपनी बातें न सर्वोच्च न्यायालय को बता सकती है, न कभी—कभी सदन के सामने बता सकती है। कोई कदम उठाने पड़ेगे, उसके बाद वह सदन के सामने आए। लेकिन यह सरकार तो सर्वोच्च न्यायालय से डरी हुई है और आडवाणी जी, यह डर आपने पैदा किया है क्योंकि अपने मुकदमा दायर किया था। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे सामने बराबर उस मुकदमे का चिटठा रख देते है। कहा जाता है कि कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो गडबड़ी हो जाएगी, पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देगी। यदि आपके पास ऐसे आधार हों जिन पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, वह गुंडों की सरकार है, वंह संविधान को तोड़ रही है और आप उस पर कुछ एक्शन लीजिए, यदि ऐसा नहीं है तो जैसा हमारे मित्र चौधरी जी ने कहा, आपको उस बात को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संविधान आज टूट रहा है। आडवाणी जी, आप डेढ वर्ष तक गुंडों की सरकार बर्दाश्त करते रहे तो 10 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए और उसे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दीजिए। बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार चली जाएगी। हम इस तरह से ईर्ष्यावश .... **(व्यवधान)** 8 जुलाई की बात मैं नहीं करता। यह निर्णय तो वहां के राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। राज्यपाल को अधिकार है, 8 जुलाई को बुला सकते है, 15 जून को बुला सकते हैं, 12 जून को बुला सकते हैं, 20 जून को बुला सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या परम्परा है, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए, मैं नहीं जानता। जितने दिन का नोटिस है, कम से कम उतना नोटिस तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, इस सारे विवाद को हम ऐसा न बदल दें कि यदि लखनऊ में झगड़ा सीमित भी हो लेकिन यहां के विवाद से वह झगड़ा गांव—गांव में फैल जाए। मुझे इस बात का डर है कि हम इस विवाद को जिस धरातल पर ले जा रहे हैं, उससे हम इसे सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं।

मैं शिष्यों और गुरूओं के व्यक्तिगत संबंधों से प्रभावित होता हूं।

राजनीतिक विचारों में शिष्यों और गुरूओं से कभी–कभी मेरे गहरे मतभेद हो जाते हैं गुरूओं से तो कुछ शिष्टाचार होता है, मैं शिष्यों से ऐसा शिष्टाचार निभाने के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं राजनैतिक परम्पराओं, मान्यताओं, नैतिकता के नाते यह निवेदन करूंगा कि हम इस विवाद को उस धारा तक न ले जाएं जहां हालत और बिगड़े।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, 18 महीने पहले उत्तर प्रदेश में एक सरकार बनी थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी वो यह संदेश एक दल के द्वारा दिया गया था, उस समय इस सदन के सदस्य विश्वनाथ प्रताव सिंह होते थे, उनका दल भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गया था तो उन्होंने यह संदेश दिया था कि वहां एक विचारधारा की जीत हुई है, वह विचारधारा मैं ने अपने देश में दी है और उसी विचारधारा के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा रही है, हम लोगों ने भी सोचा था कि चलिए, विश्वनाथ प्रताव सिंह जी ने एक विचारधारा दी है, देश में उसी विचारधारा की सरकार बनने जा रही है, देखा जाय कि कैसी विचारधारा है। लेकिन उस विचार–धारा की बनी हुई सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चला, जिसका सारे वक्ताओं ने वर्णन किया है, उस बारे में मैं बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, चाहे जिस भी कारण से यह सरकार टूटी हो, वह गठबंधन के लोग जानते हैं, उनके नेता जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कैसे यह सरकार टूटी।

वहां सरकार टूटने के बाद केन्द्र में बैठी हुई सरकार की कुछ भूमिका नहीं होती, मैं यह सवाल केन्द्र की सरकार से करना चाहता हूं? जब भी किसी प्रदेश में, जब भी किसी सूबे में इस तरह की घटना होती है तो केन्द्र की सरकार चुपचाप बैठी रहती है कि यह प्रदेश का मामला है, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, प्रदेश के डी जी पी से मैंने बात की है, गृह मंत्री कहते हैं कि होम मिनिस्टर से बात की है, राज्यपाल से बात की है तो मेरे जैसे कम जानने वाले कुछ लोग यह कहते हैं कि केन्द्र की सरकार तब क्यों है? मेरे जैसे कम जानने वाले लोग यह बार–बार जानते हैं कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री भी भूमिका सारे देश को जानने की होती है, कानून व्यवस्थाको जानने की होती है और सारे देश की सारी व्यवस्था को जानने की प्रधान मंत्री की भूमिका होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि सारी व्यवस्थाओं को जानने की जो प्रबल इच्छा होती है, वह सारी इच्छाऐं राजनैतिक लाभ पर दृष्टि रखकर ही सब पूरी करना चाहते हैं।

सरकार किसकी बनती है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, किसके समर्थन से बनती है और कब तक कौन सरकार चलती है और कौन सरकार क्या करती है, मुझे उसक बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करना है, बहुत से वक्ताओं ने वर्णन कर दिया है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में यही होता रहेगा और यहां बैठा हुआ सदन सारे देश में यही देखता रहेगा? केन्द्र सरकार इतनी अक्षम हो गई है, दुनिया के दूसरे देशों के दबाव के आगे घुटने टेकती है, अगर कोई प्रदेश की सरकार अक्षम हो जाती है, प्रदेश में कहीं अराजकता होती है तो घुटने टेकती है, इसलिए इस घुटना टेकू सरकार को प्रदेश की सरकार से पहले स्वयं चले जाना चाहिए, मैं तो यह कहना चाहूंगा।

जहां प्रदेश में, देश में किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं हो, जहां अराजकता फैल रही हो, जहां चुने हुए प्रतिनिधि मारे जा रहे हों, वहां इस सरकार को क्या कुछ नहीं करना चाहिए? जहां तक जातिवाद की बात है तो जातीयता का ज्वार तो तभी चला था, जब 1989 की सरकार बनी थी। उस जातीयता के ज्वार की विचारधारा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी तो जातीयता के ज्वार को और बढ़ावा मिला। गरीबों की गरीबी हटाने के लिए जातिवाद और जाति की जो लोग चर्चा करते हैं, हमें अभी तक समझ में नहीं आता है कि गरीबों की गरीबी की बात जाति से कैसे जोड़ दी जाती है और इस आधार पर अगर कोई लड़ाई खड़ी होती है तो मैं सोचता हूं कि देश के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा।

इस देश में शान्ति कैसे स्थापित हो, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। यह देश बुद्ध का देश है, गांधी जी का देश है, यह देश महावीर का देश है, मर्यादा पुरूषोत्तम राम का देश है, यह कैसे शन्ति का संदेश दुनिया में और देशों को देगा? .... **(व्यवधान)** मस्जिद तोड़ने का देश तो है। आप लोग क्या करते है, वह भी हम जानते हैं। रूस में वर्षा होती है तो आप यहां छाता ओढ़ते हैं, वह बात हमको मत बताइये। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है ओर मेरी जो जानकारी है, इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से आपसे विनती करना चाहता हूं कि इस केन्द्र की सरकार को कुछ कहिये।

केन्द्र सरकार के गृह मंत्री बैठे हुए हैं। सरदार पटेल जैसे लोग भी थे और इसी केन्द्र सरकार के गृह मंत्री चव्हाण जैसे भी लोग हैं। उन्होंने हमारे प्रदेश के बारे में कुछ काम नहीं किया। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढता था जब से सरदार पटेल को जानता हूं। उन्होंने देश के सारे राज्यों को एक करके रखा और अखंड भारत का सपना साकार कर दिया। चव्हाण साहब के गृह मंत्री होते हुए भी ऐसा लगता है कि प्रदेश ही टूट जायेगा, देश ही टूट जायेगा, खंड–खंड हो जायेगा और सभी जगह अराजकता फैल जायेगी। गृह मंत्री जी यहां बयान दें और प्रधान मंत्री को कहें कि वे अपना मौन तोड़े क्यों कि अब 5 साल बीतने जा रहे हैं। अगर वह अपना मौन नहीं तोड़ेंगे तो कश्मीर जैसा राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के लिये भी लाना पड़ेगा। आज भी वहां अराजकता फैली हुई है। वहां चुनाव की स्थिति नहीं बनने जा रही है।

उत्तर प्रदेश की सरकर किन–किन कारणों से टूटी है, इस बात को मुलायम सिंह जी, काशी राम जी और मायावती जानती होंगी और अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ आप भी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में फिर से शांति कैसे बहाल होगी यह आपको देखना है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। केन्द्र सरकार इस तरह से चुपचाप बैठी रही और चुनावों के लाभ की दृष्टि से देखती रही तो उत्तर प्रदेश की हालत और भी खराब हो जायेगी। आप ऐसा मत सोचें कि 80-90 करोड़ लोग आपको नहीं जानते हैं। वे आपकी बेईमानी को जानते हैं, आपके छल–कपट को जानते हैं। केन्द्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिये। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल पर चर्चा हो रही है। पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ लगी हुई है। 6 दिसम्बर का दिन यदि याद किया जाये तो हमारा हृदय कांप उठता है। 6 दिसम्बर को देश के सभी राजनीतिज्ञों का ध्यान, धर्मनिरपेक्ष में आस्था रखने वाले

इन्सानों का ध्यान उत्तर प्रदेश पर टिका हुआ था। आज बी.जे.पी. के साथियों न उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने का काम किया। कांग्रेस के सदस्यों ने भी और शास्त्री जी ने भी उन पर कई आरोप लगाये और कहा कि गांव से बस में गुंडे लाने का काम किया जा रहा है। मुलायम सिंह जी की सरकार क्यों टूटी और क्यों बसपा ने समर्थन वापिस लिया, इसके बारे में मैं नहीं जानता। सच यही है कि मुलायम सिंह जी, मायावती जी, बी.जे.पी के कुछ साथी और जयन्त मल्होत्रा अच्छे तरीके से जानते हैं कि समर्थन वापिस लेने में किन–किन व्यक्तियों का हाथ था, किन कारणों से समर्थन को वापिस लिया गया। झोंपड़ियों में रहने वाले दलितों, गरीबों पिछड़ों पर हमेशा अत्याचार होता है। इसमें रक्तपात भी बहता हैं। महलों में सोने वाले और सामंती मानसिकता में विश्वास रखने वाले लोगों का खून नहीं बहता है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग ही गोली और बम के शिकार होते हैं। बी. जे. पी. के साथी जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं, वे संविधान की धाराओं के बारे में भी जानते हैं। मैं बहुत कम संविधान की धाराओं को जानता हूं क्योंकि मैं बहुत कम दिन इस सदन का सदस्य रहा हूं। संविधान की धाराओं का ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ साथियों को आज उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुत डर लग रहा है। बी.जे.पी. के अनेक साथी...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं भाजपा के साथियों की बात सुन रहा था और हमारे नेता को बी. जे. पी. ने गुंडों और अपराधी तक कहा, तो मैंने बीच में बोलने का काम नहीं किया और चुपचाप सुनता रहा। अब हमें जब मौका मिला है, तो हम अपनी बात रख रहे हैं। इस पर साथियों को विरोध नहीं करना चाहिए। यदि उनको इतनी गर्मी है, तो हममें उनसे ज्यादा जवानी है, मुझ में ज्यादा गर्मी आती है।..... **(व्यवधान)** इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी बात पूरी सुन ली जाए। हम अध्यक्ष जी से सामने सारी बाते रख देना चाहते हैं और उनको बता देना चाहते हैं कि बी. एस. पी. और एस. पी. का गठबन्धन 18 महीने पहले चला था। मुलायम सिंह यादव जी ने जितने चुनावी वायदे किए थे, उन वायदों को हुबहू उत्तर प्रदेश में पूरा करने का काम किया। मैं मानता हूं कि बी. जे. पी. के साथियों को कष्ट है इन्होंने कितने वायदे पूरे किए और कितने नहीं किए, मैं नही जानता, लेकिन मुलायम सिंह जी गांव में रहने वाले हर लोगों के सपनों को, झोपडी में जीने वाले हर लोगों के सम्मान को, उनकी प्रतिष्ठा को बढाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। समाज के कमजोर को केवल पिछड़ों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले अगड़ों को भी सम्मान को मुलायम सिंह जी ने बढ़ाने का काम किया है। आज यहां इन्हें दलितों के प्रति ज्यादा चिन्ता है, लेकिन चार–पांच दिन पहले, बी. जे. पी. के एक सांसद कांशी राम जी को, जो अपने को दलितों का नेता कहते हैं, लाठी नहीं हाथ से मारने के लिए तैयार हो गए। उनके नेता को मारने के लिए तैयार हो गये, उस वक्त उन्हें दलितों की चिन्ता नहीं थी, लेकिन आज चिन्ता हो गई। मैं जानना चाहता हूं, आज कहां से इतनी दलितों के प्रति इतनी चिन्ता हो गई। आज भाजपा के माननीय नेताओं ने दलितों को मुख्य मंत्री बनाने का सपना देखा। मैं अभी कुछ देर पहले टी.वी. पर सुना, उत्तर प्रदेश में 25 एम.एल.ए. की बी.एस.पी. (आर. बी) पार्टी के नाम से स्पीकर ने घोषणा कर दी और 25 एम.एल.ए. का समर्थन मिल गया। मैं नहीं जानता इन्हें कितनी चिन्ता है। कुछ दिन पहले जिला परिषद् के चुनाव हुए। हमारे नेता विरोधी दल के बोल रहे थे और कुछ देर पहले हम स्थिरता से उनकी बात सुन रहे थे। नेता आडवाणी जी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। जिला परिषद् के चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए और तीन–चार विधान सभाओं के चुनाव हुए। आप देख लें, यदि इतनी गुंडागर्दी वहां के मुख्यमंत्री में भरी हुई हैं, इतना ही अपराधी तत्व उत्तर प्रदेश की सरकार से भरा हुआ है, तो मैं आप से जानना चाहता हूं.....**(व्यवधान)** मैं उनसे क्या पूछू वे हमारे नेता रह चुके हैं और हैं, मैं उनसे पूछने की बात नहीं करता हूं......**(व्यवधान)** चार विधान सभाओं के चुनाव हुए, चार में से तीन में समाजवादी पार्टी जीती और एक में भाजपा ने जीतने का काम किया है और वह भी आठ सौ वोट से। उस जगह पर, जहां **(व्यवधान)***.....

मैं यह बता देना चाहता हूं, जो इनका दावा है........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जो इनका दावा है, उस दावे की बात मैं कर रहा हूं। ये अपने को और अपनी मानसिकता को, भाजपा के लोगों की दलितों, पिछड़ों और कमजोर मुसलमानों की मानसिकता नहीं है। इनकी जो मानसिकता है, वह अगडों की बात करने वाली है। जातिवादी और सवर्णो के विरोध में कांशी राम और मायावती, पूरे देश में आग उगलने का काम करते हैं। इन्हें जातिवाद को छोड़कर दूसरा शब्द आता नहीं है। आज किस रूप में उन्हें वे गठबन्धन के रूप में, पांच दिन पहले कांशी राम जी को गाली देने का काम करते हैं और पांच दिन बाद उनकी माया में फंसकर सरकार बनाने का काम करते हैं, यह मैं आपसे आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कांशी राम जी ...... **(व्यवधान)** पप्पू जी को मेरे बारे में जानकारी नहीं है। कांशी राम जी को मैंने कभी गाली देने का काम नहीं किया........ **(व्यवधान)** उनकी बहुत हद तक नीतियों के बारे में हमारे आडवाणी जी ने कहा है कि बी.एस.पी. की नीतियों पर मेरा विरोध है। हम लोगों का उनकी नीतियों पर विरोध है और इस बात से आप लोगों को लगता है कि बी. एस. पी. नेताओं से केवल सरकार बनाने के नाम पर और राजनैतिक लाभ देने के नाम पर हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं। आप यह बात साफ–साफ सुन लीजिए।. .... **(व्यवधान)** अभी आडवाणी जी ने साफ–साफ यह बात कही है कि उनकी नीतियों से विरोध है और किसी भी राजनैतिक लाभ के लिए हम इस सरकार का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। .... **(व्यवधान)** महोदय, मेरी यह बात कार्यवाही में दर्ज होनी चाहिए।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, कार्यवाही में दर्ज हो गई है।

....**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह : कांशीराम की नीतियों से मेरा विरोध है और रहेगा। .... **(व्यवधान)** उसमें मेरा कोई समर्थन नहीं है।.... **(व्यवधान)**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि सारे लोग यहां पर बैठे हुए कह रहे हैं कि तीन हजार लोगों ने स्टेट गेस्ट हाउस में आ कर एम. एल. ए. के साथ दुव्यर्वहार किया।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मैं सिर्फ उन बिन्दुओं को बता देना चाहता हूं जिससे सदन गुमराह न हो। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इनमें जितने साथी थे, न हम वहां गए थे, न कांग्रेस के साथी गए थे और न ही भाजपा के गए थे। अखबार और टीवी के द्वारा हमें भी जानकारी है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सीबी आई और मीडिया के द्वारा जानकारी पहुंचती होगी, लेकिन अखबार के माध्यम से जानकारी हो करके सदन को गुमराह किया जा रहा है। यदि यह सच है कि वहां गुंडों ने आ करके एम. एल. ए. और मायावती जी को अपमानित करने का काम किया है तो क्या यह भी सच है जो अखबार में आया है, आज जो मायावती ने कहा है कि हमें जनता दल, सी. पी. आई. के साथी सपोर्ट करते हैं, हमें कांग्रेस सपोर्ट करती है? यदि यह सच नहीं है तो कौन सी बात सत्य है? यदि यह सत्य नहीं है तो क्या वह सत्य हो सकता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां हमारे साथी बैठे हैं, हम इसीलिए आपके बीच अपनी बात रखना चाहते हैं कि किसी एक मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री या किसी नेता को हम अपराधी, गुंडा कह दें। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किसी ने नहीं कहा है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमारे साथियों ने कहने का काम किया है। मुख्यमंत्री को अपराधी कहने का काम किया है और हम चुप बैठे रहें।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि वह रिकार्ड पर रहे तो और बात है, लेकिन ऐसा कहा नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि पेपर में यह बात आई है कि उनके साथियों को जबरन मारा-पीटा गया तो आज 25 आदमियों ने कैसे अलग दल बना लिया? मैं यह भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस तरह इनको लग रहा है कि मेरे पूरे के पूरे वोट गायब हो गए। इस हाउस में बी. जे. पी. में हमारे उत्तर प्रदेश के ज्यादा साथी यहां बैठे हैं और उन्हे यह लग रहा हैं कि ये आगे सरकार बनाने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसी ताकत है जो मूल्यों की रक्षा के लिए निकलता है और वह मकसद पूरा करता हैं इस बार ये साथी उत्तर प्रदेश से आने वाले नहीं हैं। इसलिए इन्हें चिंता है कि हमारा वोट कट चुका है।.... **(व्यवधान)** अभी हमारे साथियों ने कहा, आडवाणी जी ने भी कहा कि बोफोर्स को नहीं आने देने के कारण मैंने जनता दल का साथ दिया और आज भी वी. एस. पी. का इसलिए साथ दे रहा हूं कि दोबारा फिर मुलायम जी न आ जाएं, इसलिए वे वी. एस. पी. का साथ दे रहे हैं, जिस तरह बोफोर्स को रोकने के लिए कभी जनता दल का साथ दिया। महोदय मैं यहां बता देना चाहता हूं कि जो मायावती जी दलितों की बात करने वाली हैं वह शायद कभी दलितों की बात न सोच सके। कांशी जी और मायावती जी जो अपने को दलित कहते हैं उन्हें दलितों की जितनी चिंता थी उतनी ही समाज के कमजोर और अल्पमत के लोगों की चिंता थी। आडवाणी जी, आज बम्बई में आपके समर्थन की सरकार चल रही है, उनकी चिंता आपको होनी चाहिए।

कभी मस्जिद टूट गई, उसकी चिंता आपको नहीं थी। इन 18 महीनों में कितनी छोटी-बड़ी घटनाएं घटी हैं, उनका एक-एक रिकार्ड आपके पास होगा, लेकिन इनका रिकार्ड आपके पास नहीं होगा कि मायावती और कांशीराम के विरोध के बावजूद सपा के 3 एम एल ए जीते हैं। इसके साथ-साथ पंचायत और जिला परिषदों में बी. एस. पी. के लोग नग्न हो गए, उनका सफाया हो गया, कहीं पर इनकी अहमियत नहीं रही। इस बात से जो लोग डर गए कि दोबारा तो हम लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहला जाऊं, चाहे बी. जे. पी. के साथ होकर ही सही, क्योंकि फिर तो चुन कर आना नहीं था, "रहा न कुल में रोवनहारा" वाली बात थी, मुलायम सिंह यादव को गुंडा कहा गया और कहा गया कि सरकारी तंत्र हम पर हमला कर रहा है, इस तरह से एक नया सेंटीमेंट उत्तर प्रदेश के दलितों में पैदा करने की कोशिश की गई, इस तरह का माया जाल मायावती ने बी. जे. पी. के साथ मिल कर रचने की कोशिश की। इनके पास बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है, दिल नहीं है। आज जिनके पास दिल है वे घबराकर के आज सेंटीमेंट की बात करते हैं, हमला करने की और मारने की बात करते हैं, लेकिन ये बिलकुल गलत और शर्मनाक बाते हैं। इस तरह की घटनाएं कतयी नहीं घटी। बी. जे. पी. और बसपा के साथियों ने एम. एल. एज. को कैद कर रखा था। हम लोग वहां पर अधिकारियों और विधायकों से मिले हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि उनको कैद किया गया था। यह सूचना एक मंत्री ने एस एस पी को दी और एस एस पी इस चीज की तहकीकात के लिए वहां पर गए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिफ 2-3 सवाल उठाना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए है, उनको बताना चाहता हूं कि यदि सचमुच में वहां पर गुंडे गए हैं और विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो मैं भी इसकी निन्दा करता हूं, लेकिन यदि इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं तो गृह मंत्री जी इस चीज को यहां पर बताएं। वहां पर एस एस पी और प्रशासन है, मुख्य मंत्री है, यदि इस तरह की घटना वहां पर नहीं घटी है तो सदन को इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए।

अभी राजनाथ सोनकर शास्त्री जी दलितों के बारे में बात कर रहे थे, मैं नहीं जानता कि कौन से दलित की बात वे कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं और इस बात का आप अपने मन में बिठा लें कि वहां के दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों ने एक एकता कायम की है, लोगों के जजबात के साथ जुड़ने का काम किया है, मानव तक नैतिकता को पहुंचाने का काम किया है, लेकिन आज इस सदन में बैठे हुए कुछ लोगों ने इस गठबंधन को तोड़ने का काम किया है, उनके संबंध को तोड़ा है, उनके दिल को तोड़ा है और पिछड़ों और दलितों को लड़ाने में एक अहम भूमिका इनकी है। आज भी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है, आज भी तमाम दलित लोग मुख्य मंत्री के साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं, वहां के आम आदमी के साथ हैं, कहीं कोई दलित अलग नहीं है, कही कोई उग्रवाद की बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन है। मैं मानता हूं कि छोटी-मोटी घटनाएं हर सरकार में होती रहती हैं, हर प्रदेश में होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए बहुत लंबा भाषण हो रहा है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मै दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं आग्रह करूंगा कि सुख, समृद्धि की ओर जिस प्रदेश की सरकार बढ़ रही है, उस उत्तर प्रदेश को आगे बढने दिया जायें धर्मनिर्पेक्षता की ताकत को जिसने देश में एक नई रोशनी दी थी, जिसने रक्तपात होने से बचाया था, रक्तपात के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, इस तरह के जो 4-5 लोग इस देश में थे, उसमें एक वह भी व्यक्ति था, जिसने मुकाबला करने का काम किया था, उसको बढ़ने दिया जाए।

अंत में बिहार में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं उत्तर प्रदेश से बिहार नहीं आना है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आग्रह करूंगा कि भविष्य में इस संसद भवन में, जहां पर मर्यादित भाषा का प्रयोग होता हैं, वहां किसी भी अपराधी, किसी को गुंडा नहीं कहा जाना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति को नहीं कहा है, सरकार को जरूर कहा है। यदि आप रिकार्ड पर ला रहे हैं तो यह आपकी बात है।

.......**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के लिए "गुंडा" शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, उसी कांटेक्स्ट में हुआ हैं, जैसे हमारे सदस्य ने अनुभव के आधार पर "गैंगस्टरिजम" शब्द का प्रयोग किया है।

[अनुवाद]

गैंगस्टरिजम का अर्थ गुंडागर्दी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह वही चीज है।......**(व्यवधान)**

6.00 म. प.

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपने एक छोटे से सदस्य को जो अल्पमत में........

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है, उसको लम्बी मत कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष जी, संसदीय मर्यादा पर आधारित संसदीय गणतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में है। इस नाते सदन में जो कानून हम पास करते हैं पूरे प्रदेशों में उन्हें लागू किया जाता है और उनके आधार पर प्रदेशों की सरकारें बनती हैं। इस सदन में पंचायती राज व्यवस्था विधेयक पारित किया और यह कहा कि दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, डा. लोहिया, बाबू जयप्रकाश नारायण जी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक मौका मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था का मखौल उड़ाया है पंचायत के चुनाव में वह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इस सदन ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं उनके क्षेत्र में एक भी सांसद का एक करोड़ का काम नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा सवाल खड़ा कर रखा है तो क्या हिंदुस्तान में संघीय व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। जो भी घटनाक्रम हुए हैं वे बहुत ही चिंताजनक हैं। केन्द्रीय सरकार को इस संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने चाहिए। जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी वे परिस्थितियां अब मुलायम सिंह सरकार के साथ नहीं रह गयी हैं। अब उनका बहुमत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा को बुलाने के लिए अभी तक जो जानकारी है कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर बहुमत के नाम पर जिस तरह की घटना घटी, **(व्यवधान)***.......

मैं समझता हूं कि किसी भी विधानसभा के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए वह बहुत ही शर्मनाक घटना थी। अध्यक्ष जी मुलायम सिंह सरकार को जाना चाहिए। अभी गृहमंत्री जी बयान देंगे तो मुझे नहीं लगता है और उन्होंने जो जानकारी हासिल की होगी वह कौनसी संस्था से होगी, कौनसा माध्यम होगा, क्योंकि जो अधिकारी, मुख्यमंत्री दोनों सीधे–सीधे इसमें इन्वोल्व हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार को हटाकर इस देश में संघीय व्यवस्था को और मजबूत बनाने का संकेत करे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी बिहार से नये सांसद आए हैं। वह मेडन–स्पीच दे रहे थे। उन्होंने मुलायम सिंह के बारे में बहुत अच्छा कहा। बहुत अच्छे भी होंगे। लेकिन अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि अल्पमत की सरकार चलाएंगे। अध्यक्ष जी, यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री बहुत पाक–साफ हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, सज्जन हो सकता है, त्यागी हो सकता है। लेकिन विधानसभा में उसे बहुमत नहीं है, तो क्या उसे सरकार चलाने की अनुमति दी जाएगी?

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : आप बताइये कि लोकसभा में यह सरकार कब तक अल्पमत में चलेगी। इसी तरह यह सरकार भी अल्पमत में थी, सदन में इसका फैसला हुआ, उसी तरह उत्तर प्रदेश में बहुमत का फैसला हाउस में होगा, यहां कैसे हो सकता है?

श्री राजवीर सिंह : दुख इस बात का है कि कितनी जल्दी लोगों के विचार बदल जाते हैं। अखबारों में आ रहा है कि लखनऊ में विधायकों की खरीद–फरोख्त बहुत जोरों से शुरु हो गई है। यहां पर कुछ साथियों ने कहा है कि हाउस में बहुमत प्रमाणित होना चाहिए, यह सही बात है। लेकिन कौन से हाउस में होना चाहिए **(व्यवधान)**....*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी दूसरे अध्यक्ष के खिलाफ भी नहीं सुनूंगा। यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा **(व्यवधान)***......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किसी दूसरे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी का उल्लेख कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब उसको छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्पमत की सरकार को कितने दिन का मौका दिया जा सकता है? वहां पर गठबंधन की सरकार थी, दो दलों की मिलीजुली सरकार थी। एक दल उससे अलग हो गया, अब वहां पर कोई सरकार नहीं है। जिस समय यह सरकार बनी थी, उस समय भी वहां पर सरकार अल्पमत में थी। उस समय राज्यपाल महोदय ने इन्साफ नहीं किया था। हमारा दल, बीजेपी, उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां उभर कर आया था। हमारे दल के 177 सदस्य थे, इन दोनों दलों को मिलाकर भी इनसे ज्यादा थे। कायदे से हमें पहले सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वह नहीं दिया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी ने, जनता दल ने, सी पी आई और सी पी आई (एम) ने उस सरकार को अपना समर्थन दिया था। अब इन दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस कारण अब वहां कौन रह गया है जिसके बल पर वे अपना बहुमत प्रमाणित करेंगे। क्या थैली के बल पर बहुमत प्रमाणित करेंगे? अगर कांग्रेस का समर्थन है तो वह कहे, अगर जनता दल, सी पी आई और सी पी आई (एम) का समर्थन है तो वे कहे। सी पी आई ने कहा है कि हमारा समर्थन उसको नहीं है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। आप नहीं देगें, लेकिन आपके विधायक तो दे रहे हैं। जनता दल के नेताओं ने लिखकर दिया है कि हम समर्थन वापस लेते हैं, लेकिन वहां इनके विधायक मायावतीजी को समर्थन दे रहे हैं। इनके विधानमंडल के लोग समर्थन दे रहे है और नेता यहां कह रहे है कि नहीं देंगे।

श्री सूरज मंडल : आपका दल भी लिखकर देने वाला है, आपके भी विधायक जायेंगे।

श्री राजबीर सिंह : किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। 100-125 विधायकों के बल पर सरकार कैसे चलायेंगे? गृह मंत्रीजी आप तुरंत वहां पर अल्पमत सरकार को बर्खास्त करें, अगर आप वाकई में सरदार पटेल के सच्चे उत्तराधिकारी होना चाहते हैं।

श्री सूरज मंडल : बी जे पी के 45 विधायक मुलायम सिंह के साथ चले गये हैं।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : अध्यक्षजी, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, मुलायम सिंहजी मुख्य मंत्री बने। उससे पहले 1989 में भी वे वहां पर मुख्य मंत्री बने थे। यहां हमारे जो कांग्रेस के बंधु बैठे हैं, उस समय भी उन्होंने उनको अयोध्या के ऊपर समर्थन दिया था। उस समय वहां विपक्ष के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी थे। उन्होंने तब मुलायम सिंह को समर्थन दिया था। इन्हीं मुख्य मंत्री के कारनामों के कारण तब कांग्रेस को चुनाव में कीमत चुकानी पड़ी थी और नारायण दत्त तिवारी जी जो वहां सम्मानीय व्यक्ति हैं और हमारे प्रतिद्वंद्वी थे, इसी कारण अपने क्षेत्र में उस समय के चुनाव में उनकी पराजय हुई। ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है आज प्रधान मंत्री होता।

शायद आज हो सकता है कि वे देश के प्रधानमंत्री होते। इस कारण से पराजित हुये कि उस समय उन्होंने मुलालय सिंह की सरकार को समर्थन दिया। मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि किस तरह से उत्तराखंड के नौजवान लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अभी माननीय चन्द्रशेखर जी कह रहे थे कि परिवर्तन की बात तो सब करते है लेकिन आप इतने गुस्से और आक्रोश में क्यों हैं? मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिस 60 लाख की जनता के क्षेत्र की माताओं—बहिनों की इज्जत लूटी हो, जिनके सामने सैकड़ों नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया हो, हम लोग खून का घूंट पीकर रह गये लेकिन उन 60 लाख की जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देशद्रोही कहे तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर माताओं ने हमेशा देशभक्तों को पैदा किया है और आज तक किसी देशद्रोही को पैदा नहीं किया है। आज यही 60 लाख की जनता यह सोचकर बैठी है कि केन्द्र सरकार कोई निर्णय करेगी लेकिन उसने कोई निर्णय नहीं किया। अब जब सी बी आई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, सैकड़ों नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया और उसमें पूरी भागीदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी जो उस समय बहुमत में थी लेकिन आज वह अल्पमत में रह गयी है तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से जाना चाहिये। यदि केन्द्र सरकार उनका समर्थन करती है तो उसको वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने 1989 में चुकायी थी। धन्यवाद

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के बारे में, खासतौर से भाजपा को ज्यादा चिंता है और जो परेशानी है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी श्री विनय कटियार जी बोल रहे थे कि उनकी लड़ाई बड़े अरसे से हैं। अभी पंचायत के चुनावों में अयोध्या और फैजाबाद, मथुरा और बनारस सभी जगह सपा को भारी कामयाबी मिली है और जो अभी उप चुनाव हुये हैं, उसमें 75 प्रतिशत वोट सपा को ओर 25 प्रतिशत भाजपा को मिले हैं। इसका कारण यह है कि सपा सरकार ने दलितों, पिछड़ों और गांव के गरीब लोगों के लिये काम किया है। इसी बात को लेकर बीजेपी ने इस देश में अस्थिरता पैदा करने का कुचक्र किया है.....

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लंबा क्यों करते है?

श्री राम सागर : अध्यक्ष जी, मैं उस दिन की घटना के बारे में बतला रहा था कि भाजपा कहती है कि बी एस पी की सभा हो रही थी और वे भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहते थे और उसमें से 60 विधायक उठकर जा रहे थे। झगड़ा सिर्फ उन लोगों के बीच में हुआ है। जहां तक बहुमत सिद्ध करने का सवाल है तो इसी काम में विधानसभा की बैठक बुलाने के लिये अधिसूचना जारी हो गयी है और उसमें मुलायम सिंह यादव का बहुमत है या नहीं, यह अधिकार वहां की विधानसभा को होना चाहिये और मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि जब हम तरीके की परिस्थिति पैदा हो तो उसका फैसला विधानसभा के अंदर होना चाहिये, को मद्दे नजर रखते हुए अपनी बात कहेंगे।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के नवयुवक माननीय सदस्य ने जो कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुलायम सिंह की सरकार ने जो किया वह सब ठीक किया है। उत्तराखंड में जो हुआ वह बहुत ही दुखद था और इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा लेकिन मुझे दुख इस बात पर होता है कि मुझे सरकार की करतूत याद है लेकिन आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हो उन्होंने महिलाओं पर हुये अत्याचार के बारे में क्या बयान दिया, उसको आप भूल गये है। मैं आपको यही याद दिला रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार में मतभेद पैदा हुआ और बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं।

इसलिए कि पिछली बार विधान सभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, दलित और अल्पसंख्यक लोगों को एक प्रकार की आशा इस सरकार से बंधी थी कि ये सरकार एक नये कार्यक्रम को लेकर और अपनी कुछ नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति कटिबद्ध हो कर आई है। अभी कहा गया है और यह बात सही है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में चुनकर आया था, लेकिन किसी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इसलिए नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो सरकार थी, उसके कारनामों से पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट लगी, देश की प्रतिष्ठा पर चोट लगी, जिस प्रकार से ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद वहां तोड़ी गई यही कारण था कि वहां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों ने जो विधान सभा में चुनकर आयी थी, सबने इस सपा–बसपा गठबंधन की सरकार को अपना समर्थन दिया। वहां उसको संभालना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह नहीं संभाला गया और उसमें कमजोरी आयी है। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष जी, जो घटना वहां गैस्ट हाउस में हुई वह दुर्भाग्य की बात है। हम सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा है और लोगों ने इस बारे में हमें सूचित भी किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि संसदीय व्यवस्था में, प्रजातंत्र में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ बल प्रयोग करना या उनकी बैठक में किसी तरह का व्यतिक्रम पैदा करना उचित नहीं है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अंदर भी इस सरकार के बनते ही यह स्थिति पैदा हो गई थी। विधान सभा के अंदर हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और लोग अस्पताल भी गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष दोनों शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि वह शामिल नहीं थे। आडवाणी जी ने कहा कि 18 महीने पहले इस सरकार को बरखास्त करना चाहिए था। जो कि विशेषण उस सरकार को गाली देने के हो सकते थे, सारे विशेषणों का इन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि 18 महीने पहले ही केन्द्रीय सरकार को उस सरकार को बरखास्त कर देना चाहिए था। क्या कमाल का प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में निष्ठा है आपकी आडवाणी जी, कि सरकार अभी चुनकर आई, सबने उसको समर्थन दिया और सरकार बनी, और चूंकि उसी समय 18 महीने पहले केन्द्र ने उसको बरखास्त नहीं किया, इसलिए आप केन्द्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह आपने बड़ी भारी गलती का काम किया। आपने सरकार को क्यों नहीं चलने दिया? मैं जानता हूं कि केन्द्र में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी दुख होगा। उसने जिस सरकार को समर्थन दिया, उस सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों लिया? मगर प्रजातंत्र में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। आज इस गठबंधन के एक पक्ष ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उनका अधिकार है वापस लेने का। मैं समझता हूं कि जो बात होनी चाहिए थी, वह यह कि आगे के लिए कुछ नियम बनाइए, कुछ निर्देशन दीजिए। आखिर में तीन दिन हो गए। उस सरकार का क्या भविष्य होगा, उसका क्या हश्र होने वाला है? दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो मैं जिस बात की मांग कर रहा हूं कि सरकार को बरखास्त नहीं करना चाहिए, यह अनडेमोक्रेटिक काम होगा, यह गलत काम होगा। इस देश में एक मान्यता बन रही है, एक परंपरा बन रही है, उसको निभाइए, मजबूत करिये कि अगर कोई सरकार अल्पमत में होती है और उस सरकार का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यह कहता है कि हम सदन में विश्वास हासिल करना चाहते हैं तो उसको यह अवसर देना चाहिए।.... **(व्यवधान)**

आप सुन लीजिए। आप हमारी बात सुनिय। हमने आपकी सारी बात सुनी हैं। हमने आपका विरोध नहीं किया है... **(व्यवधान)** मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बैठ जाइए।

अध्यक्ष जी, इसी सदन में वी पी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और श्री वी. पी. सिंह ने इसी सदन में जहां हम चर्चा कर रहे हैं, कहा कि मैं विश्वास हासिल करना चाहता हूं। देश के पैमाने पर एक परंपरा बनी। वह विश्वास हासिल करने में हार गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर दूसरी सरकार बनी।.... **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थी। यहां तो 11 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल थे।

वी. पी. सिंह की सरकार में हम शामिल नहीं थे। बी एस पी सरकार में शामिल थी, मंत्रिमंडल में शामिल थी। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप संक्षेप में कह दीजिए जो कुछ कहना है।... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यहां कोई यह परम्परा है कि आप बोलने नहीं देंगे? मैं बोल रहा हूं कि आप बीच में बोलते है।

श्री राजवीर सिंह : कोई गलत बात बोलेंगे तो उसको हम करैक्ट करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : अगर कुछ करैक्ट करना हो तो आप अध्यक्ष जी की आज्ञा लेकर बाद में कहिए। .... **(व्यवधान)** यह नहीं चल सकता. .. **(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, यह नहीं चल सकता। मैं बोल रहा हूं और 8 आदमी बीच में खड़े होकर व्यवधान पैदा करते हैं और इनके लीडर बैठे हुए हैं, कोई भी मना नहीं कर रहा है। ... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आप सदन में ऐसी गलतफहमी पैदा क्यों कर रहे हैं? अगर एक दो आदमी खडे होकर कुछ बता रहे हैं तो उनको बैठाना चाहिए। इस तरह का हंगामा आपके सदस्य भी करते

हैं। क्या आपने नहीं देखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारे सदस्य कोई हंगामा नहीं करते हैं. ......**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : यहां सदन में विरोध करते हैं, हमने देखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : कभी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रजीत जी आप बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में गलत बात कहने का भी अधिकार होना चाहिए। मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।.... **(व्यवधान)**

श्री चन्दजीत यादव : आप बहुत सी गलत बातें कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रजीत जी, उन्होंने सुलझाया है।

श्री चन्दजीत यादव : मैं यह कह रहा हूं कि कुछ बातें यहां ऐसी की जा रही हैं जिन पर देश भर में चर्चा हुई। यह कहा गया कि जातिवादी है, जातिवाद हो रहा है। 1989 में जातिवाद हो रहा है। जातिवाद तब से समझ में आया जब मंडल कमीशन के लिए इस देश में गरीब पिछड़े वर्ग ने अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, सत्ता में अपनी भागीदारी के लिए एक लडाई छेड़ी। तब से जातिवाद–जातिवाद की बात कहते हैं और तब इन लोगों के समझ में आया कि जातिवाद हो रहा है।

अध्यक्ष जी, इस परिवर्तन को देखना चाहिए। इस देश में नया परिवर्तन हो रहा है। गरीब अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए एक संघर्ष कर रहा है। उसको जातिवाद कहकर उस पर प्रहार करना वास्तविकता पर पर्दा डालना होगा। मैं इन सैद्धांतिक बातों में नहीं जाना चाहता। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं और मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में जो गतिरोध पैदा हो गया है उसके लिए गृह मंत्रीजी अपने राज्यपाल से यह कहिए कि जब उन्होंने तीन दिन तक सबकी बातें सुन लीं, सबके विचार, परामर्श और राय ले ली तो अब वे निर्णय करें। उनको निर्णय यह करना चाहिये जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो इसी सदन में हुआ कि मुलायम सिंह जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, अगर वे यह कह रहे हैं कि हम विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास प्राप्त करने की तारीख निश्चित होनी चाहिए। विधान सभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए और वहां विधान सभा के अन्दर बहुमत और अल्पमत निश्चित होना चाहिए। सरकार को बर्खास्त करना अप्रजातांत्रिक होगा, गलत परंपरा पड़ेगी, इसलिए इस काम को आप मत कीजिए। वहां किसी सिद्धांत पर नहीं बल्कि राजनैतिक अवसरवादिता के कारण वहां की सरकार को तोड़ने की साजिश की गई। उस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि पूरे राज्य में जातिवादी संघर्ष हो जायेगा। कोई जातिवादी संघर्ष नहीं होगा। विचारों का संघर्ष, नीतियों का संघर्ष कार्यक्रमों का संघर्ष, अलग–अलग दृष्टिकोण का संघर्ष इस देश में अनिवार्य हो गया है। वह संघर्ष होगा और वह प्रजातंत्र का हिस्सा है।

यहां बड़े तूफान आये। बड़ी कठिनाइयां आईं मगर हर तूफान से प्रजातंत्र की नाव आगे बढ़ी है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में उसी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को आगे चलना चाहिये। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : हमने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संकट पर इस सभा के सभी माननीय सदस्यों के अलग–अलग दृष्टिकोणों को सुना। हमें ऐसे मामलों पर निष्पक्ष रूप से विचार करना होगा और उसके बाद अपना निर्णय देना होगा। इस समय उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वह सभी राष्ट्रीय नेताओं के लिए एक चेतावनी होनी चाहिये। मुलायम सिंह ने इस देश पर पिछले 47 वर्षों से शासन नहीं किया है। यह जो कुछ हो रहा है वह सभी दलों के संचित पापों का परिणाम है। हम इसे गुंडागर्दी कह सकते हैं। आप इसे दमन तथा कुछ भी कह सकते हैं। अतः मुलायम सिंह इसका मूल कारण नहीं है। हम 1947 के आरम्भ से ही संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन चार वर्षों के दौरान इस सभा ने सभा के अध्यक्ष के रूप में आपके नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न तरीकों से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया है। आज हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना होगा।

महोदय, मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। यह सच्चाई है कि वहां कुछ चल रहा है लेकिन यह मुलायम सिंह के पापों का परिणाम है। वहां जो कुछ हो रहा है वह उनसे पहले किये गये पापों का परिणाम है। इन दो सरकारों के सत्ता में आने से पूर्व आदिवसियों और हरिजनों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्रों पर जाने की कभी अनुमति नहीं दी जाती थी। क्या यह तथ्य नहीं है? उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के दो नेताओं के उभर कर सामने आने से ही ये लोग बेरोकटोक मतदान केन्द्रों पर जा सके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। निस्संदेह यह धारा, वह धारा, इससे काम चलता नहीं है। जब भी यह आपके अनुकूल नहीं होता तो आप संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, यह धारा वह धारा। जब यह आपके अनुकूल होता है तो फिर आप अपनी आंखें बन्द कर लेते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने इस सभा में कई बार कहा है कि जो भी संवैधानिक प्रावधान है वह उनका पालन करेंगे। उन्होंने कई बार कहा है कि किसी सरकार का शक्ति परीक्षण सभा में किया जाना चाहिये। आज आप हमारे गृह मंत्री से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इन दोहरे मानकों से समस्यायें पैदा होगी। इस देश के विभिन्न नेताओं के संचित पापों के कारण ही हमारा देश कगार पर पहुंचा है। अतः मैं गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें पूरा अवसर दें। मैं श्री आडवाणी और वाजपेयी जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे बहुजन समाज पार्टी आदि के बारे में चिंता न करें। हमें उनको सभा में अपने अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर देना चाहिये। वे सभा में अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और तत्पश्चात् आप उनका स[illegible] सकते हैं। तब देश की समझ में आ जायेगा कि आप का [illegible] आपका अनुराग पिछडे वर्गो के साथ, शेडयूल्ड कास्ट्स के साथ क्या है। अतः मैं सभा से इन पहलुओं पर विचार करने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। आपने दो मिनट मांगे थे और मैंने पांच मिनट आप को दिये हैं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेडड्य्या यादव : उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसकी पुनरावृति नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है।

श्री के. पी. रेडड्य्या यादव : अब समय आ गया है जब कि हमें इस देश की प्रत्येक संस्था – विधान मंडल अथवा कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका का अथवा स्वतंत्र प्रेस – को संवेधानिक प्रावधानों के आधार मजबूत बनाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश के अनुसार बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी बहस से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां बहुत तनाव है। अभी वह तनाव लखनऊ तक ही है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, दो तीन चीजें करना चाहता हूं। संविधान का पालन करना हम सब का कर्तव्य है। लेकिन इसमें डिले करना, विलम्ब करना, परिस्थिति को और बिगाडना है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गवर्नर है। केन्द्र में एक चुनी हुई सरकार है और तीन दिन हो गए हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि फैसला क्या हो, लेकिन अगर इस तरह से विलम्ब होगा, तो जो तनाव आज लखनऊ में व्याप्त है, वह भले ही सारे देश में हिंसा में न बदले, लेकिन वह चर्चा में और मनों में तो बदलेगा ही और वह राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें जितना विलम्ब होगा उससे स्थिति और बिगड़ेगी। यह जो इसमें विलम्ब हो रहा है इससे स्थिति में और बिगाड़ हो रहा है कौन सी सरकार जाएगी, कौन सी सरकार आएगी, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह कहा गया है कि यहां से लिखित रूप में दिया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि हमने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रान्त है और जिस तरह से यहां भाषण हुए हैं, बयान हुए हैं, मैं उनमें या किसी विवाद में नहीं जाता हूं। इन्द्रजीत जी ने जो बाते यहां कहीं उनसे मैं पूरी तरह सहमति व्यक्त करता हूं। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि फैसला करना आपके हाथ में है। इसमें जितना विलम्ब आप करेंगे, उतनी ही विपरीत परिस्थिति का निर्माण होगा और इसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा और यह गुनाह आपके सिर पर जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो व्यापक तरीके से थी वह बिगड रही है और डिटरियारेट हो रही है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब यदि कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनसे कहना चाहिए कि फैसला करें। ...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : आपकी पार्टी ही खुद फैसला नहीं कर पा रही है और आप हम से कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

शरद यादव जी, यह ठीक नहीं है। हमें आप केवल इतना बतायें कि जनता दल का क्या दृष्टिकोण है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आपका फैसला हुआ है क्या?

श्री रमेश चेन्नितला : हमारी पार्टी का फैसला आज हो जाएगा। आप बताइए कि आपकी पार्टी का क्या फैसला है?

[अनुवाद]

आप जनता दल संसदीय पार्टी के नेता है। आप कृपया अपनी पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में बताएं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जो मुझ पर अंगुली उठा रहे हैं, अभी तक उनका ही फैसला नहीं हुआ है। अफसोस की बात है कि अभी तक आपकी वर्किंग कमेटी का फैसला होना है। हमारे अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं। जो बात आप कह रहे है, हमारा फैसला कोई सिद्धांत से परे होने वाला नहीं है। आपसे और बी.जे.पी. से जोड़ समानता वाला सिद्धांत है उससे हम अलग नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं फिर इतना ही कहूंगा कि विलम्ब करना वहां की स्थिति को बिगाड़ना है। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस प्रांत से जो सदस्य आये हैं उनको पहले बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करें। मैं विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि यह सभा इस मामले पर विचार कर सकती है। हमें यह बात समझ लेनी चाहिये।

....(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत गुप्त : इस सभा को उत्तर प्रदेश विधान सभा न बनायें ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एस. एम. लालजान बाशा : अध्यक्ष महोदय, सबको मौका मिलना चाहिये। इस पर सिर्फ यू. पी. वाले ही नहीं बोलें, सभी बोलें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक

बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे पर्ची पहले क्यों नहीं दी? अब आप अंत में समय मांग रहे हैं। आप पर्ची पहले देते तो मैं समय नियमित कर लेता।

....(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सुबह ही विपक्ष के नेता ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि आपने मुझे पहले यह सूचना क्यों नहीं दी कि आप बोलना चाहते हैं। आप मुझे पहले सूचना देते तो मैं समय नियमित कर लेता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहां तक मैं समझता हूं, आपको सूचित करने का एक तरीका यह है। हाथ उठाना भी आपको सूचित करने का एक तरीका है। मैंने सोचा कि इस तरह मैंने आपको सूचित कर दिया है। आप सहमत हों तो मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात है कि आप नये तरीके निकाल रहे हैं। ठीक है, संक्षेप में बोलिये, आपको एक मिनट का समय दिया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं लम्बा नहीं बोलूंगा। आज सुबह ही विपक्ष के नेता ने यह बात कही। बड़ी असामान्य स्थिति पैदा हो गई जो उसके अनुयायी सभा पटल के पास पहुंच गये। विपक्ष के नेता को यह बात पसन्द नहीं है। वह प्रायः अपने अनुयाइयों को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन आज वह उन्हें रोक नहीं सकें। यहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ।

आज उनमें इतना उत्साह क्यों है? मैं राजनीति की बात करूंगा क्योंकि मैं यहां राजनीति से ही और राजनीति के लिए ही आया हूं। मैं समझ सकता हूं कि आडवाणी जी इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों उत्तेजित होते हैं। हम देश के राजनैतिक दृश्य का सर्वेक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि आडवाणी जी तथा देश की साम्प्रदायिक शक्तियों को महाराष्ट्र या गुजरात में विजय होने पर खुशी नहीं है। वे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विजय प्राप्त करना चाहते है। अतः वे सोचते हैं कि धर्मनिर्पेक्षता का प्रचार करने वाली पुरानी शक्तियों से लड़ाई इतनी संगत नहीं है जितनी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी दल से, बिहार में जनता दल से और पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे से संगत है। अतः देश की साम्प्रदायिक शक्तियों के आगे विकास के मार्ग में यह बाधा प्रतीत होती है। हम इस दृष्टि से हम ऐसी किसी बात का विरोध करते हैं जिससे देश के किसी भाग में उनकी प्रगति हों। हमने यह शपथ ली है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वर्तमान मामले से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हां, इसका कुछ संबंध है। वी. पी. सिंह की सरकार के पतन के बाद उनका उत्साह बढ़ गया और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके घोड़े पूरे देश में दौड़ने लगे। कुछ स्थानों पर उनको रोका गया। वे उस रूकावट को तोड़ना चाहते हैं। उस से रूकावट को तोड़ने के लिए उन्होंने इसका आश्रय लिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी मदद करेंगे?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं....

अध्यक्ष महोदय : हम समझ रहे हैं। आपको इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। महोदय, उन्होंने इस बात का आश्रय लिया है कि वहां पर गुंडागर्दी है। हो सकता है वहां पर गुंडागर्दी हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे की सरकार, बिहार में जनता दल की सरकार और उत्तर प्रदेश में इस सरकार पर आरोप लगाने के सैंकड़ों तरीके हैं। मैं यह नहीं कहता कि वहां समस्यायें नहीं हैं। लेकिन हम धर्मनिर्पेक्ष शक्तियों के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। हमें इस लड़ाई में साम्प्रदायिक शक्तियों के सहयोग या सहायता की जरूरत नहीं है। हम स्वयं उन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। वे अपने अल्पावधि उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोकतंत्र को मोहरा बना रहे हैं। हमने निश्चय किया है कि हमें इस देश में लोकतंत्र के दीर्घावधि हित को ध्यान में रखकर न कि किसी व्यक्ति के अल्पकालिक हित को ध्यान में रखकर इस समस्या का समाधान करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं यह तर्क दे रहा हूं कि हम देश में कहीं अल्पकालिक सफलता के लिए नहीं .... (**व्यवधान**) अपितु विकासशील लोकतंत्र के हित में यह चाहते हैं कि हर जगह निर्वाचित प्रतिनिधि ही फैसला करें। वे गलत हो सकते हैं, उनको गलती लग सकती है लेकिन फैसला उन्हें ही करना चाहिये। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है। इस तथ्य के बावजूद कि हम हृदय से साम्प्रदायिकता से घृणा करते हैं, हम यह नहीं कह रहे है कि उस सरकार को बर्खास्त कर दो। उस सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमें केन्द्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें साम्प्रदायिक शक्तियों से अत्यधिक घृणा है। हम दीर्घकालिक लोकतांत्रिक बातों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा कहते हैं। वह त्यागपत्र दे देते तो ठीक होता।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कांति जी, इस की आवश्यकता नहीं है। बार-बार वहीं बात दोहराई जा रही है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं यह कहना चाहता हूं कि शक्ति परीक्षण विधान सभा में होना चाहिए। इसका निर्णय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को करना चाहिये। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति इसका फैसला नहीं कर सकता। निर्वाचित सदस्य ही इसका फैसला करेंगे। हमारी राजनीति यह है कि हमें दीर्घकालिक लोकतंत्र के हित में साम्प्रदायिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उन्हीं

घटनाओं के बारे में वक्तव्य दूंगा जो लखनऊ में हुई बताई जाती हैं।

6.40 म. प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(तीन) राजकीय अतिथि गृह, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को डराने - धमकाने की घटनायें

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : आज शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान राजकीय अतिथि गृह, उत्तर प्रदेश लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को परेशान करने तथा डराने–धमकाने की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया। मैंने आश्वासन दिया था कि मैं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करूंगा और तत्पश्चात् इस विषय पर एक वक्तव्य दूंगा। अब मुझे राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 जून, 1995 को शाम के करीब 4.30 बजे लोगों की एक बड़ी भीड़ जिसमें उपद्रवी तत्व की शामिल थे, उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय अतिथि गृह में तथा अतिथि गृह के आसपास एकत्र हुई जहां अन्य लोगों के अलावा सुश्री मायावती, संसद सदस्या तथा बहुजन समाज पार्टी की नेता और कई बहुजन समाज पार्टी के विधायक ठहरे हुए थे। जिला प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को तत्काल आवश्यक प्रबंध करने और राजकीय अतिथि गृह में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के आदेश दिये गए। तत्पश्चात् शाम को विभिन्न स्रोतों से इस आशय के कई संदेश मिले कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायकों की समाज विरोधी तत्वों द्वारा पिटाई की जा रही है और राजकीय अतिथि गृह में सुश्री मायावती और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की सुरक्षा को भारी खतरा है। यह आरोप भी लगाया गया कि कुछ विधायकों को ले गये हैं। यह सूचना भी मिली कि अतिथि गृह की बिजली और पानी काट दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को तुरंत स्थिति की जांच करने और राजकीय अतिथि गृह में सामान्य स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये। लखनऊ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आयुक्त और उप महानिरीक्षक और लखनऊ के क्षेत्रीय महानिरीक्षक को राजकीय अतिथि गृह में तुरंत पहुंचने तथा आवश्यक प्रबंध करने के आदेश दिये गए। ये वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ राजकीय अतिथि गृह में पहुंचे और स्थिति नियंत्रण में लाये। बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों तथा कुमारी मायावती को राजकीय अतिथि गृह के कमरों के दो सेटों में सुरक्षित ले जाया गया जहां उन्होंने अन्दर से कमरे बंद कर लिये। असामाजिक तत्वों तथा भीड़ को जबरदस्ती राजकीय अतिथि गृह के परिसर से बाहर निकाल दिया गया। अतिथि गृह में बिजली और पानी पुनः चालू की गई। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिथि गृह के परिसर में आवश्यक पुलिस बल तैनात किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि अन्य दलों के अनेक विधायक भी राजकीय अतिथि गृह के अन्य कमरों में रूके हुए हैं। अन्य दलों के इन विधायकों और इनके साथियों की अतिथि गृह में उपस्थिति के कारण ही कुमारी मायावती ने अपनी सुरक्षा को खतरे के बारे में आशंका व्यक्त की। उन्होंने टेलीफोन पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इस खतरे के बारे में बताया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कमरों के उन सेटों के बाहर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं जहां कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के अन्य विधायक ठहरे हुए हैं। क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आयुक्त, उप महानिरीक्षक जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं राजकीय अतिथि गृह में प्रबन्धों की निगरानी कर रहे हैं।

2 जून, 1995 को 8.35 बजे हजरत गंज थाने में श्री उमाकांत यादव बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक, ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है कि कुमारी मायावती और कई अन्य लोगों ने जबरदस्ती 8 विधायकों को रोक रखा है। तथापि, इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में उनकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया है।

राजकीय अतिथि गृह लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायकों की मारपीट तथा अपरहण की कल की तथाकथित घटना के बारे में कल कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। तथापि ज्ञात हुआ है कि तथाकथित घटना के बारे में एक पत्र कुमारी मायावती द्वारा कल शाम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दिया गया था और राज्यपाल ने वह पत्र उपयुक्त कार्यवाही के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दिया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2 जून, 1995 की शाम को देर से बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायकों की पिटाई के बारे में सूचना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के करीब तीस विधायकों ने उत्तर प्रदेश के राजभवन के अंदर धरना दिया। तथापि, आयुक्त तथा महा निरीक्षक से यह आश्वासन मिलने पर कि राजकीय अतिथि गृह में आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध कर दिये गये हैं, इन विधायकों ने धरना खत्म कर दिया और राजभवन परिसर से चले गये।

राज्य सरकार के अनुसार, राजकीय अतिथि गृह में पर्याप्त प्रबंध कर दिये गये हैं और स्थिति नियंत्रण में है 2-3 जून की रात को कोई घटना नहीं हुई है। फिर भी राजकीय अतिथि गृह में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के अलावा अन्य दलों के विधायकों तथा उनके सहयोगियों की मौजूदगी के कारण बहुजन समाज पार्टी के विधायकों में सुरक्षा के बारे में अभी भी आशंका बनी हुई है। स्थिति नियंत्रण में है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह राज्य सरकार से मिली हुई सूचना पर आधारित है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद जो इस सदन में कल की घटनाओं के बारे में कहा गया था, उसकी पुष्टि होती है। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों पर हमला किया गया, उन्हें घसीटकर ले जाया गया, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ और कुमारी मायावती को भी अपनी प्राणरक्षा के लिए सहायता मांगनी पडी। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वहां कल किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई थी।

गृह मंत्री जी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि कुमारी मायावती के खिलाफ हजरतगंज के पुलिस स्टेशन में एक एफ. आई. आर. दर्ज की

गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एम. एल. एज. को रोक रखा है। वह बहुजन समाज पार्टी की विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, वहां वह एम. एल. एज. की बैठक कर रही थीं। मगर उनपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एम.एल.एज. को रोक रखा है और बाहर निकलने से उन्हें मना कर रही हैं। उस एफ. आई. आर. के आधार पर आज कुमारी मायावती को गिरफ्तार करने की भूमिका बनाई जा रही है। मुझे दोपहर से ही इस बात की आशंका थी और हमें सूचना मिली थी कि इसकी तैयारी की जा रही है, मगर वह दिन भर के लिए रूके रहे। आज शाम को अगर उस एफ. आई. आर. के आधार पर कुमारी मायावती को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इसका क्या परिणाम होगा?

श्री रामसागर (बाराबंकी) : कहां यह हो सकता है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बी. एस. पी. के एम. एल. एज. उनके पास है, उस गैस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, कल वह बैठक कर रहे थे और उनपर ही आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एम. एल. एज. को जबरदस्ती रोक रखा है.....**(व्यवधान)**

श्री रामसागर : अब 25 एम एल. ए बी एस पी के है...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के मैम्बर अगर मेरे साथ बैठक करते हैं तो मेरे ऊपर ही आरोप लगाया जायेगा क्या? अगर ऐसा होता है तो लखनऊ की परिस्थिति कैसे बिगड़ेगी, इसको आप समझ लीजिए।

श्री रामसागर : जो 25 एम एल ए मुक्त हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस तथ्य की गृह मंत्री ने पुष्टि की है कि एफ आई आर दर्ज की गई है। उस एफ आई आर पर अगर कार्यवाही की गई और कुमारी मायावती की गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या होगी?

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : जांच करके होगी, और क्या होगी। कार्यवाई तुरन्त कैसे होगी।

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, स्थानीय अधिकारी कर सकते है। मैं यह नहीं सोच सकता कि कहां कैसी स्थिति है और आगे कैसी हो जायेगी। हम किसी राज्य के पुलिस अधिकारी को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : यह कल्पना पर आधारित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस आफिसर को निर्देश देने की बात नहीं है। आप गर्वनर से इस मामले में चर्चा कर सकते है।

श्री रामसागर : अध्यक्ष जी, ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह कल्पना पर आधारित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सत्ता पक्ष से कोई दल अलग हो जाये और सरकार में भागीदार न रहे और उस सरकार का विरोध करना शुरू कर दे तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा? आप समझ रहे हैं कि कुमारी मायावती को गिरफ्तार करने का परिणाम क्या होगा? इसकी भूमिका बनाई जा रही है, आप इसके सम्बन्ध में गर्वनर से तत्काल सम्पर्क स्थपित करें। मैं निर्देश जारी करने के लिए नहीं कह रहा, मगर पुलिस किस तरह से बर्ताव कर रही है, यह कल हमने देखा है।

वहां पुलिस के आफिसर भी ऐसे नियुक्त किये गये हैं, जो प्रदेश सरकार के इशारे पर चलें। ईमानदार आफिसर, अच्छे आफिसर लखनऊ से हटा दिये गये हैं, मैं जानता हूं। आज रात में अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो परिस्थिति बिगड़ेगी।

श्री रामसागर : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि राज बहादुर जी के साथ पांच एम. एल. एज. से ज्यादा हैं, उतने से 25 कैसे हो गये?......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने अच्छा सहयोग दिया है। अब हम अगले विषय को लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, शायद गुहमंत्री उत्तर देंगे।

श्री एस. बी. चव्हाण : ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से बात कर सकता हूं। लेकिन मैं उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कौन कह रहा है कि आप डायरैक्शन दीजिये?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं बात करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तथ्यों के बारे में पता लगाइये। आज जब इस पर चर्चा हुई तो बहुत से सदस्य कल की घटना के बारे में जो तथ्य प्रकाश में आये, उनको चुनौती दे रहे थे। आपके बयान से सारे तथ्यों की पुष्टि हो गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है और मैं समझता हूं यह इस सत्र का अन्तिम घंटा भी है। कुछ ऐसी चीजें जिनको हमें व्यवस्थित करना होगा। हमें एक तो पत्र सभा पटल पर रखने हैं।

.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मैंने शून्यकाल के लिये नोटिस दिया हुआ है। दिल्ली में पानी नहीं है। इसको लेकर त्राहि–त्राहि हो रही है। कृपया मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया जाये ताकि उस सम्बंध में आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। आज सैशन का आखिरी दिन है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चार घंटे और बैठना चाहते हैं तो मुझे कृपया बताइये। तब मैं भी चार घंटे बैठूंगा। दूसरे लोग जाकर अपना काम करके आ सकते हैं। लेकिन हमें पहले यह तय कर लेना चाहिये कि कैसे क्या करना है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पानी का प्रश्न है, मैंने हां कह दिया। अभी पेपर भी, आप बैठ जायें और थोड़ा सुनें

....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

यहां प्राइवेट मैम्बर्स का भी बिजनस है। उसका क्या करना है, यह तय कर सकते हैं। मेरी ऐसी राय है कि इंटोडक्शन करेंगे। पार्ट आफ दी मैटर दूसरे सैशन में भी शायद आ सकता है। उसको करेंगे, उसमें कुछ नहीं है। पानी का मसला उठाने की मैं इजाजत दूंगा। हम पेपर ले करेंगे..... **(व्यवधान)** आपको भी बोलने का समय दिया जायेगा। हाउस को डिसाइड करना है कि वह कितने घंटे बैठेगा। मैं देर तक बैठने के लिये दूसरों को भी कह दूंगा....**(व्यवधान)** अगर इस तरीके से हाउस चलाना है और अपने-अपने तरीके से हाउस चलाना है तो मैं उसे चला नहीं पाऊंगा। आपको भी बोलना है, उनको भी बोलना है। अगर दो घंटे बैठना है तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, एक सदस्य को कोई मामला उठाने दिया गया तो बहुत सदस्य बहुत से अन्य मामले उठाना चाहेंगे। मैं आप से अनुरोध करता हूं आप हमें पत्र सभापटल पर रखने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं समझता हूं मामले महत्वपूर्ण हैं। मैं उनको टाल नहीं सकता।

[हिन्दी]

दिल्ली में पानी की कमी का सवाल है। मैंने उन्हें आज उठाने के लिये कहा था। इस कारण आज उसे उठाने दूंगा।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, इस समय दिल्ली में इतनी पानी की कमी हो गई है कि उसको लेकर हर जगह त्राहि-त्राहि हो रही है। पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है। अगर वह 2-3 ईंच और कम हो गया तो सारी दिल्ली को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। एंग्रीमेंट होने के बाद भी ये सब हो रहा है। वाटर बोर्ड बना। शुक्ला जी ने मीटिंग भी बुलायी थी। उसमें तय हुआ था कि हरियाणा दिल्ली को पानी देगा और ताजवाला से 974 क्यूसेक पानी छोड़ा जायेगा। उसमें 425 दिल्ली का रहेगा.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इतना पूछ लीजिये कि दिल्ली में पानी की अड़चन है, सरकार क्या करने जा रही है, वह इसका जवाब दे देंगे। अब आप बैठ जायें।

श्री कालका दास : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को आदेश भी दे दिये. .. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पूरे एंग्रीमेंट के बारे में बताओंगे तो बहुत समय लग जायेगा।

श्री कालका दास : सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दे दिये कि दिल्ली को हरियाणा पानी देगा। कल भी शुक्ला जी के साथ इस बात को लेकर मीटिंग हुई। पानी की मात्रा घटा दी है। इसके कारण दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आज भी शायद मुख्यमंत्री जी आपसे मिले होंगे।

पिछली दफा भी, पिछले साल भी होम मिनिस्टर ने निर्देश देकर पानी छुड़वाया था। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री दिलचस्पी लें और शुक्ला जी दिलचस्पी लें, ताकि दिल्ली की पानी की समस्या के बारे में वाटर बोर्ड जो बना है, वह दिल्ली को पानी जल्दी दे और दिल्ली की पानी की समस्या दूर हो।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, कालका दास जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस मामले का हल गृह मंत्री और जल मंत्री से नहीं होगा, प्रधान मंत्री जी हरियाणा के मुख्य मंत्री को यह कहें कि दिल्ली में पानी का संकट न बनने पाए। यह सलाह उनको दें, इस संकट से इस शहर को बचायें यह मामला बहुत गंभीर है। केवल इस तरह से सरकारी माध्यम से नहीं होगा। हमें विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी अपने प्रभाव का प्रयोग करके कुछ करेंगे।

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): अध्यक्ष जी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच में इस बारे में काफी लंबी बातचीत हुई है। बहुत लम्बी बातों के बाद खुशी की बात है कि सब ने एक सहमत हो कर एक समझौता किया। अब यह बात हो रही है कि उस समझौते को लागू करने में कही खमियां हैं और उन खमियों को किस तरह से दूर किया जाए। अभी जब सदन की बैठक चल रही थी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और हम लोगों न इसमें रास्ता निकालने की कोशिश की है। मामला इतना पैचीदा है, कठिन है, जटिल है कि इसमें अभी कोई संतोषप्रद हल नहीं निकला है। हम लोग फिर से मीटिंग करने वाले हैं और उसमें कुछ आगे कार्यवाही करने के लिए भी कहा है। दिल्ली की जो कठिनाई है और हरियाणा की जो कठिनाई है और जो समझौता हुआ है, कोई रास्ता निकालने का प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है, हम लोग कोई ऐसी वैसी बात न कहें। जो हमारा समझौता हुआ है, उस समझौते के अंतर्गत हमें निर्णय करना है और निर्णय एक दो दिन में हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। ..... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे मित्र, श्री विद्याचरण शुक्ल जी, उन सारी पेचिदगियों और मामलों को उठायेंगे, जिसमें तीनों मुख्यमंत्री बैठ कर तीन महीने तक फैसला करते रहेंगे और जून के महीने में दिल्ली के लोग प्यासे मर जायेंगे। हर समय

फैसले होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जिन परिस्थितियों मे प्रधानमंत्री जी को इन सारी औपचारिकताओं से बाहर जाकर तात्कालिक कदम उठाने के लिए यह कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई नियमों का उल्लघंन नहीं है और न संविधान टूट रहा है।

[अनुवाद]

श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुई तूफानी वर्षा से धान और अन्य फसलों को 330 करोड़ रुपये से अधिक की अक्षतिपूर्णीय हानि हुई है। चरखियों पर रखी धान की फसल नष्ट हो गई है । यालेरू जलाशय से अतिरिक्त पानी के बहाव से पूर्व गोदावरी जिले में 1.25 लाख एकड़, नैलोर में 70 एकड़, कृष्णा जिले में 30,000 एकड़ धन की फसल क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अतिरिक्त, वर्षा के कारण पूर्व गोदावरी जिले के आठ मंडलों में 60,000 एकड़ भूमि पर धान की फसल नष्ट हो गई।

महोदय, गुंटूर जिले में 15,000 एकड़ भूमि पर हल्दी की फलस नष्ट हो गई। अनाकापल्ली क्षेत्र में गत अप्रैल में लगाये गये गन्ने और रापाल्ले कोल्लूरू के महाद्वीपीय गांवों में 1000 एकड़ भूमि पर केले की फलस क्षतिग्रस्त हो गई। मिरयालगुडा, कोडाड और चल्लाकुर्थी में धान की अधिकांश फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस भारी क्षति को देखते हुए कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण तो किया लेकिन राहत देने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि चार या पांच लाख टन क्षतिग्रस्त धान के लिए, जो निर्धारित मूल्य पर खरीदी जाती है, प्रावधान किया जाये, फसल की हानि के लिए मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करने के लिए व्यवस्था की जाये। सैंकड़ों हथकरघा बुनकरों को उनके क्षतिग्रस्त हुए हथकरघों तथा सूत की हानि के लिए राहत उपाय किये जाने और सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत 25 किलो चावल दिया जाये। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य की तुरंत सहायता करेगी। मुझे यह भी आशा है कि आंध्र प्रदेश के जिन किसानों की पूरी फसल और अन्य आजीविका खत्म हो गई है, केन्द्र सरकार उनकी भी सहायता करेगी।

7.00 म. प.

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है वह उसको देखेंगे।

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : महोदय, आजादी के 47 सालों के बाद भी देश के आदिवासी क्षेत्रों का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया है। संविधान में इन अनुसूचित क्षेत्रों को संरक्षण देने तथा सरकार द्वारा अनेक योजनाएं लागू करने के बावजूद यह सर्वविदित है कि विकास का लाभ आदिवासियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया है।

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपालों को अधिकार दिए गए हैं कि वे आदिवासियों के हित में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष कानून बनाएं। अत्यंत खेद का विषय है कि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं किया गया।

अखिल भारतीय आदिवासी संस्थाओं ने कई बार मांग की है कि केन्द्र सरकार छठवीं अनुसूची के प्रावधानों को देश के समस्त आदिवासी क्षेत्रों में लागू करे ताकि आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार मिल सके तथा अपने सर्वांगीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

संसद ने सन् 1992 में 73वां और 74वां संशोधन पारित किया जिनमें स्पष्ट घोषणा की गई है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से नियम कायदे बनाए जाएंगे। तदानुसार दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया जिनमें सांसदों के अलावा विशेषज्ञों एवं अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें से एक समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी में सौंप दी है तथा दूसरी समिति की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है।

इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने बजट सत्र में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित कर केन्द्र शासन से अनुरोध किया है कि वह नए नियम कायदे शीघ्र बनाएं जिनमें छठवीं अनुसूची के प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार की आदिवासी विकास के प्रति चिंता स्वाभाविक है।

ये नियम कायदे देश के 295 जिलों में लागू होने हैं। अकेले मध्य प्रदेश के चार जिलों में पूर्ण रूप से तथा 14 जिलों में आंशिक रूप से ये प्रावधान लागू होंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सब पेज टेबल पर रख दीजिए।

श्री मानकूराम सोढ़ी : जाहिर है कि आदिवासियों का सदियों से शोषण करने वाले तत्वों को यह मंजूर नहीं है कि आदिवासी स्वशासन देश के 295 जिलों में स्थापित हों। इसलिए उनमें से कुछ ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है।

इधर आदिवासी समुदायों में अपने भविष्य को लेकर चिंता व्याप्त है। हाल ही में अनेक सम्मेलनों के माध्यम से उन्होंने इसे व्यक्त भी किया है। 31 मई को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में हजारो आदिवासियों ने रैली पर छठी अनुसूची के प्रावधानों को तत्काल लागू करने की मांग की है। **(व्यवधान)***..........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप इसे समाप्त कर रहे हैं।

इसके आगे रिकार्ड में नहीं जायेगा।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार (हिंगोली) : महोदय, महाराष्ट्र में बुवाई का मौसम शुरू हो गया है लेकिन किसानों को ज्वार और कपास का बीज नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। आप बैठ जाइए।

.....**(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : महोदय, कृषि नीति पर कब विचार प्रकट होगा। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री राजबीर सिंह : महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी बैठे हैं।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्री जी ने नीति बनाई है, उन्होंने सदन के सामने रखा है। आप लोगों ने उसके लिए टाइम नहीं निकाला है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है।

.... **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड) : हम इसके प्रति बहुत सहानुभूति प्रकट करते हैं लेकिन उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। .... **(व्यवधान)** मुझे कहते हुए डेढ साल हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और युवा खेल मंत्री जी का ध्यान देश के उन खिलाड़ियों के प्रति ले जाना चाहता हूं जिनकी उपेक्षा हो रही है। यह हमारा विशाल देश है।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देश विशाल है, पुराना है ये सब छोड़ दीजिए और मुख्य मुद्दे पर आ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मुख्य मुद्दा यह है कि इतने बड़े देश में जो खिलाड़ियों की उपेक्षा हो रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भारी कमी आई है। खिलाड़ियों की घोर उपेक्षा इसलिए की गई है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है इसलिए हमारे खिलाड़ी खेलों में रूचि नहीं लेते हैं, जिससे हमें घोर निराशा हाथ लग रही है।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और युवा खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष योजना बनाने का काम किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह योजना पहले से है, यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मंत्री जी से पता कर लीजिए। अब आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव : नौकरियों में आरक्षण दिया जाए और बैंकों में 2 परसेंट के स्थान पर 5 परसेंट किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

......**(व्यवधान)***

[हिन्दी]

डा. सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय सांसद विकास योजना के तहत वर्ष 1995-96 की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। आगे बरसात का मौसम आने वाला है, फिर इस राशि का उपयोग नहीं हो पाएगा।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में चर्चा हो गई है, उसकी व्यवस्था हो गई है। इसके बारे में अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कांगला से सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के बारे में एक मामला उठा रहा हूं जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। वहां पर मन्दिर भी है। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। अब यह सुरक्षा बलों के कब्जे में है। केन्द्र सरकार ने सुरक्षा बलों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन उस क्षेत्र से सुरक्षा बलों को पूर्णतया वापस बुलाने या हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कुछ लोग नई दिल्ली आये हैं और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया है। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उस क्षेत्र से सुरक्षा बलों को हटाने के लिए तुरंत कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वह पत्र मंत्री को भेज दें।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को मैं साबरमती एक्सप्रेस से जा रहा था तो मनकापुर और मोतीगंज के बीच में रेल की पटरी छोड़कर पूरी बोगी खेत में दौड़नी शुरू हो गई। यह अद्‌भुत घटना है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अभी स्टेटमेंट टेबल पर रखने जा रहे हैं।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष जी, इससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि उसके बाद तीन तारीख को उसी लाईन पर वहां से 25 किलोमीटर पहले बांद्रा एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई। एक महीने में 2 बार फिश प्लेट के हटने से रेल दुर्घटनाएं, यह चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बैठ जाइए।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह मात्र संयोग नहीं है। इसमें आई एस आई का हाथ है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

.....**(व्यवधान)***

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, दमोह जिले में बिड़ला ग्रुप की डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है। दिनांक 1.6.1995 को वहां पर चिमनी फटने से करीब 100 मजदूरों की मृत्यु हो गई। सबसे गंभीर बात यह है कि उनमें से 39 लोगों को, जो ठीक हो सकते थे, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और बाकियों को भट्टी में जला दिया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भंयकर आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मिल गया है। मेरा निवेदन है कि इस घटना की यहां से जांच करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दस्तखत से लिखित रूप से गृह मंत्री जी को दे दीजिए, वे जांच करवा लेंगे। अब आप बैठ जाइए।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया गया था, उस समय संथाली भाषा को भी संविधन की आठवीं सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। मैं बताना चाहता हूं कि ढाई करोड़ लोग संथाली भाषा बोलते हैं।

पश्चिमी बंगाल, उडीसा में ढाई करोड़ हैं। सरकार ने इन लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार किया है लेकिन नेपाली भाषा को जो यहां विदेशी भाषा है उसको आठवीं अनुसूची में शामिल किया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : नहीं वे यहां के हैं। नेपाली लोग भी यहां के हैं।

श्री सूरज मंडल : लेकिन ढाई करोड नहीं होंगे। संथाली भाषा बोलने वाले उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में हैं। अभी तो यह सत्र खत्म हो गया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आने वाले सत्र में, अगर अगला सत्र हुआ तो अगले सत्र में संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार करें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं आप का ध्यान राष्ट्रीय अंध संस्थान, देहरादून के अंधे विद्यार्थियों की दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। कुप्रबंध के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है – समय पर कोई परीक्षा नहीं होती और न ही पाठ्यक्रम समय पर पूरे होते हैं। उन्होंने संस्थान पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। अब उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया हुआ है। कल शाम को उन पर लाठी चलाई गई थी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंधे व्यक्तियों के साथ सही व्यवहार किया जाये और उनकी शिकायतें सुनी जायें। इन विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिये।

श्री एम. आर. कादम्बूरजनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, टूटीकोरिन पत्तन नगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। इस महत्वपूर्ण नगर का हवाई अड्डा जून, 1993 से काम नहीं कर रहा है। मैंने नागरिक विमानन मंत्री को कई स्मरण पत्र भेजे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस हवाई अड्डे को तुरंत पुनः चालू किया जाये।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बाराठी मंडल के अंदर चौकी घाट में जच्चा–बच्चा केन्द्र दस वर्ष से चल रहा है। जहां 10 मार्च से बिजली कट गई है। डीप फ्रीजर जिसमें पोलियों के टीके रखे जाते हैं वह भी इस कारण काम नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप लिखकर दे दीजिए।

[अनुवाद]

डा. विश्वानाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं श्रीकाकुलम का एक महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं। वमसाधारा सिंचाई परियोजना में पिछले एक सौ साल से आन्दोलन चल रहा है। लेकिन पहला चरण ही अभी पूरा होने वाला है और दूसरा चरण डांवाडोल है। इसे पूरा न किया गया तो इस परियोजना के अंतर्गत जिस 2.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जानी है वह भूमि सूखी रह जायेगी। मैं सरकार तथा प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि यह परियोजना पूरी हो।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

7.12 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नगर परिवहन सेवा के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 590 दिनांक 9.12.94 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से (एक) नगर परिवहन सेवा के बारे में श्री अमर रायप्रधान के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के 9 दिसम्बर, 1994 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 7907/95]

लद्दाख स्वशासी पहाड़ी विकास परिषद् 1995

अधिनियम, 1995

जलसंसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से जम्मू–कश्मीर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1992 की धारा 3 की उप–धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख स्वशासी पहाड़ी विकास परिषद् अधिनियम 1995 (1995 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्याक 1), जो मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 7908/95]

7.12½ म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्स सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है : "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अध्यधीन राज्य सभा ने, लोक सभा द्वारा 2 जून, 1995 को पारित किये गये संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1995 को, अपनी 2 जून, 1995 को हुई बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है।"

7.12¾ म. प.

विभागीय स्थायी समितियां - एक समीक्षा

महासचिव : मैं "विभागीय स्थायी समितियां (1994-95) एक समीक्षा" के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जाफर शरीफ, आप वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मैंने वक्तव्य पहले ही सभा पटल पर रख दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले लेने की आवश्यकता नहीं है। शायद सदस्य भी उपस्थित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

7.14½ म. प.

नियम 377 के अधीन मामले-सभा पटल पर रखे गये

(एक) महाराष्ट्र में सी. ए. आर. ई. (केयर) की योजनाओं को जारी रखने तथा कुपोषणग्रस्त बच्चों की मदद हेतु राज्य को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महाराष्ट्र राज्य में कुपोषण के कारण 4200 से अधिक बच्चों के मरने अथवा अन्धेपन और मन्दबुद्धि जैसे रोगों से स्थायी रूप से प्रभावित होने की संभावना है। इनमें से लगभग 1100 बच्चे एक वर्ष से कम आयु के हैं और 1826 बच्चे एक और तीन साल के बीच की आयु के हैं। बताया जाता है कि यह समेकित बाल विकास योजना के निष्कर्ष हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। ये बच्चे चौथी कोटि के कुपोषण से पीड़ित हैं और इनकी आयु के बच्चों का जितना वजन होना चाहिये उनसे इन बच्चों का मुश्किल से आधा वज़न है। कुछ बच्चों को तीसरी कोटि में रखा गया है क्योंकि उनका वजन 10 प्रतिशत अधिक है।

प्रमुख विशेषज्ञों का कहना है कि इन बच्चों का वज़न कम होने का कारण कम खुराक है जिसके परिणामस्वरूप घातक संक्रामक रोग हो जाते हैं। इस कुपोषण से स्वास्थ्य स्थायी रूप से खराब हो जाता है और सुखाड़ तथा अन्धेपन जैसे रोग हो जाते हैं। उनके शरीर खुराक नहीं पचा सकते जिसस वे आन्त्रशोध से गम्भीर रूप से पीड़ित हो जाते है। कुपोषण से मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आदिमजाति क्षेत्रों के बच्चे प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों में समेकित बाल विकास योजना चालू नहीं की गई है। इसे केवल 174 परियोजनाओं में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 300 तहसीलें आती हैं और इससे महाराष्ट्र की लगभग आधी आबादी को लाभ हुआ है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकार को बच्चों का कार्यक्रम समूचे राज्य में लागू करने के निर्देश तुरन्त जारी करें। मैं भारत सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को पोषक खुराक देने के 'केयर' कार्यक्रम को, जिसको भारत सरकार द्वारा बन्द किये जाने का समाचार मिला है। बन्द न करें और बच्चों हेतु हर संभव सहायता प्रदान करें।

(दो) देश में इलाइची उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री के. एम. मैथ्यू (इडुक्की) : इलाइची के मूल्यों में भारी कमी के कारण इलाइची उत्पादक गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। इलाइची का औसत मूल्य 1993 में 418 रुपये और 1994 में 393 रुपये प्रति किलो था जो अब 1995 में 277 रुपये प्रति किलो हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन लागत तो बढ़ी है लेकिन उत्पादन कम हुआ है। इलाइची का भाव 1994 के मूल्य की तुलना में 70 प्रतिशत रह गया है।

इलाइची का भाव सामान्य तौर पर निर्यात द्वारा निर्धारित होता है। इस समय अधिक निर्यात की संभावना उत्साहजनक नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि किसानों की मदद करके उनको संकट से बचाया जाये। किसानों की अन्य तरीकों से जैसे आवश्यक सामग्री की लागत कम करके तथा अन्य समर्थकारह कार्यो द्वारा मदद की जा सकती है। मैं सरकार से इलाइची उत्पादकों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) पंजाब से गुजरने वाली गंगा नहर की शीघ्र मरम्मत करने हेतु कदम उठाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : राजस्थान में गंगानगर की गंग कैनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा करीब 85 वर्ष से चल रही है। 2750 क्यूसेक पानी की क्षमता वाली यह कैनाल पंजाब क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसलिये अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस पानी को पूरा करने के लिए इसके हिस्से का पानी इंद्रा गांधी कैनाल में डालकर मोहनगढ़ के पास आर. डी. नं० 491

पर एक लिंक चैनल निकाला जोकि गंगा कैनाल के प्रथम हैड साधुवाली से जोड़ दिया गया है।

इस लिंक द्वारा गंगा कैनाल के काश्तकारों को पानी दिया जावे और 85 वर्ष पुरानी नहर को जो पंजाब के हिस्से में से वाटर लोगिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है, इसको दुबारा बनाया जावे।

अतः मैं जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्रातशीघ्र करवाने का आदेश दें ताकि वहां के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके

(चार) असम में उत्तरी लखमीमपुर में एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बालिन कुली (लखीमपुर) : उत्तरी लखीमपुर, लखीमपुर जिले का जिला मुख्यालय है और इसका बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। इसकी आबादी बढ़ कर कई गुना हो गई है और वाणिज्यिक गतिविधियां भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस कस्बे के बीच एक सड़क है जो हवाई अड्डे, अस्पताल और रेलवे स्टेशन को जाती है। इन महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचने के लिए शहर के लोगों को एक हस्त चालित रेलवे फाटक से गुजरना पड़ता है। यह रेलवे फाटक कई बार घंटों बन्द रहता है जिससे अस्पताल जाने वाले मरीजों, प्रसूति से पीड़ित महिलायें और हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्री फाटक पर फंस जाते हैं। इस स्थिति से इन सभी लोगों को कठिनाई होती है। लोगों की काफी समय से मांग है कि उत्तरी लखीमपुर में रेलवे लाइन पर एक उपरि पुल का निर्माण किया जाये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही इस मामले पर गम्भीरता से विचार करे।

(पांच) मणिपुर के पूरे क्षेत्र के लिए एक "मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद्" के गठन हेतु विधान बनाये जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. कामसन (बाह्य मणिपुर) : मणिपुर की काफी समय से मांग रही है कि इस के 5 पहाड़ी जिलों पर संविधान की छठी अनुसूची लागू की जाये। मणिपुर में इस समय व्याप्त सामाजिक–राजनैतिक अशांति को ध्यान में रखते हुए इस 25 वर्ष पुरानी मांग को तत्काल स्वीकार किया जाये। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम पूर्वोत्तर राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों में बहुत पहले छठी अनुसूची के अन्तर्गत स्वायतशासी परिषदों का गठन कर दिया गया है।

1989, 1990, 1991 और 1995 में हुए लोकसभा तथा विधान सभा चुनावों के घोषणा पत्रों में मणिपुर के सभी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनैतिक दलों ने इस मांग का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में मणिपुर की सरकार ने भी केन्द्र सरकार से 1991 और 1992 में सिफारिश की थी।

केन्द्र सरकार ने मणिपुर के मामले में छठी अनुसूची लागू करने का आश्वासन दिया है। छठी अनुसूची लागू करने से, जो सामाजिक–आर्थिक विकास का एक संवैधानिक साधन है और जनजातीय लोगों के लिए स्वशासन की एक प्रक्रिया है, न केवल तेज़ी से विकास होगा अपितु मणिपुर के परस्पर विरोधी जनजातीय ग्रुपों में एकता और सौहार्द बढ़ेगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मणिपुर के पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र स्वायतशासी परिषद् और कतिपय जातीय और जनजातीय ग्रुपों के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाने के लिए चालू सत्र में एक विधेयक लाये जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान है।

(छः) नोएडा, गाजियाबाद और दादरी को रेल द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : दादरी एवं नोएडा न केवल औद्योगिक क्षेत्र के रूप से विकसित हो रहे हैं वरन् ये क्षेत्र रिहायशी सुविधा प्रदान कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपनगर बन गए हैं। इन क्षेत्रों की जनता को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए नई दिल्ली/दिल्ली/गाजियाबाद आना–जाना पड़ता है, परन्तु इस क्षेत्र की जनता की मांग के बावजूद दादरी–गाजियाबाद –दिल्ली–नई दिल्ली से कोई रेल सम्पर्क नहीं है। जबकि वहां प्रशासन ने इस दिशा में रेल मंत्रालय से मांग भी की है।

अतः मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए नई दिल्ली–दिल्ली–नोएडा–दादरी–गाज़ियाबाद के मध्य लिंक रेल सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाए। साथ ही यह भी अनुरोध है कि गाजियाबाद–साहिबाबाद बुकिंग कार्यालयों में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे कि कर्मचारियों एवं यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

(सात) उत्तर मुम्बई में बेहतर डाक सेवायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में यह और अधिक तेजी से बढ़ रहा है जहां पर राज्य के लगभग 40 प्रतिशत भाग का शहरीकरण हो चुका है। इस शहरीकरण के कारण विशेषरूप से मुम्बई में गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं क्योंकि यहां भारत के सभी राज्यों के लोग रोजगार और काम के अवसरों की तलाश में आते हैं। मुम्बई शहर में लोगों को खपाने की अद्भुत क्षमता है पर यह भी परिपूर्णता की अवस्था में पहुंच चुकी है जिसके कारण नागरिक सुविधाओं पर असहनीय बाव पड़ रहा है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुम्बई उत्तर में मतदाताओं की संख्या विगत सालों में बढकर लगभग दुगुनी अर्थात् 21.50 लाख हो गई है। डाक सेवा एक पूर्ण नागरिक सेवा है। यद्यपि इस क्षेत्र में लाखों लोम रहने के लिए आये हैं। देश के विभिन्न भागों से उनकी डाक आती है किंतु भारत सरकार द्वारा नई भर्ती पर रोक लगाए जाने के कारण इन पत्रों को पहुंचाने के लिए डाकियों के संख्या बढ़ायी नहीं गई है। डाक संबंधी कार्य के बढ़े हुए भार को ध्यान में रखते हुए नए डाकघर भीं खोले जाने चाहिए।

(आठ) पर्यटन के विकास के लिए सुन्दरवन में संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा की भरमार है। वहां पर तरह–तरह के जीव–जन्तु तथा पेड़–पौधे हैं, अनुकूल वातावरण है और सबसे बढ़कर इसकी प्रसिद्ध योजना "टाईगर प्रोजेक्ट" है। दुर्भाग्यवश वहां पर संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि सुन्दरवन में पर्यटन की काफी संभावनायें हैं और वहां पर वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक सैरगाह है। बहुत से विदेशी नियमित रूप से कलकत्ता आते हैं। सुन्दरवन सड़क और रेल द्वारा कैनिंग कस्बे से जुड़ा हुआ है। विदेशी टाइगर परियोजना देखना और वहां के पर्यावरण वातावरण का आनन्द लेना पसंद करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि वहां पर ऐसा कोई भी पर्यटन लॉज नहीं है जहां विदेशी पर्यटक आराम कर सकें। सुन्दरवन कलकत्ता से केवल 80 किलोमीटर दूर है। दक्षिण 24 परगना में थाना कैनिंग के अंतर्गत डाबू गांव में एक हैलीपैड का निर्माण किया जाये तो पर्यटक थोड़े से समय में ही इस जगह को देख सकेंगे और उसी दिन कलकत्ता लौट सकेंगे। यह क्षेत्र नदी के तट पर स्थित है और वहां पर उपलब्ध नौकाओं और लांचों में नौका विहार बड़ा मनोहारी है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने विशेष रूप से कुछ पर्यटन लॉजों का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं। इससे हमारे देश को अधिक विदेशी मुद्रा की आय ही नहीं होगी अपितु इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा और इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

7.15 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 31 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तैतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 31 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के तैतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.16 म. प.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 22 में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

7.17 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 30 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक विधेयक पर अधूरी चर्चा हुई है।

श्री रेडडया यादव आप अगले सत्र में इसे पुनः उठा सकते हैं।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : ठीक है, महोदय।

7.19 म. प.

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दसवीं लोकसभा का तेरहवां सत्र, जो 13 फरवरी, 1995 को आरम्भ हुआ, आज समाप्त हो रहा है। सभा की कुल 42 बैठकें हुई जो 243 घंटे चली और बीच में दो बार अवकाश हुआ। पहली बार 15 फरवरी से 13 मार्च तक और दूसरी बार 1 अप्रैल से 23 अप्रैल, 1995 तक अवकाश हुआ। बाद में जो अवकाश हुआ उसका उद्देश्य विभागीय संसदीय स्थायी समितियों को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करने और सभा को अपनी रिपोर्ट देने का अवसर देना था।

सत्र केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव 28 अप्रैल, 1995

---

* दिनांक 3.6.95 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित

को स्वीकृत होने से पूर्व इस पर 12 से अधिक घंटे चर्चा की।

840 प्रश्न तारांकित प्रश्नों के रूप में सूचीबद्ध किये गये जिनमें से 120 प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिये गये। 8508 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये। एक अन्य–सूचना प्रश्न का उत्तर दिया गया और एक आधे घंटे की चर्चा हुई। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर दो ध्यानार्कषण प्रस्ताव लिये गये।

15 मई, 1995 को पाक–समर्थित आतंकवादियों द्वारा चरार–ए–शरीफ मस्जिद को नष्ट किये जाने तथा अपवित्र किये जाने, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किये जाने और पूरे कस्बे के जलाये जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई और अस्वीकृत हुआ। सदस्यों की मांग पर एक सर्वदलीय शिष्टमण्डल, जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य शामिल थे, आगजनी से चरार–ए–शरीफ को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए 20 मई, 1995 को जम्मू–कश्मीर गया।

प्रश्न काल के पश्चात् सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के कई मामले उठाये गये। इन महत्वपूर्ण मामलों में बिहार विधान सभा की अवधि समाप्त होने और इस विधानसभा के चुनाव बार–बार स्थगित करने, देश में कृषि श्रमिकों की समस्यायें, सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा शामिल है। इन सभी मामलों में विभिन्न दलों/ग्रुपों के सदस्यों ने अपनी टिप्पणी की और सरकार ने उनका उत्तर दिया।

नियम 377 के अधीन 203 मामले भी उठाये गये।

सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक महत्व के मामलों पर 28 वक्तव्य भी दिये गये।

जहां तक विधायी कार्य का सम्बन्ध है, लोक सभा में 27 विधेयक पुरःस्थापित किये गये और कुल मिलाकर सभा ने 27 विधेयक ही पारित किये। इनमें महत्वपूर्ण विधेयक थे केवल टेलिविज़न नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1994, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन विधेयक, 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, विधेयक, 1992 और संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1995

लोकसभा और राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभागीय स्थायी समितियों को दस विधेयक सौंपे गये जिनमे से स्थायी समितियों ने दस विधेयकों के बारे में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इन समितियों ने बहुत से मामलों में बहुत ही उपयोगी सिफारिशें की। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण विधेयक, ट्रेड मार्क विधेयक और राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक के मामले में समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा पूर्णतया स्वीकार कर ली गई और उनके अनुसरण में सरकारी संशोधन लाये गये।

जहां तक वित्तीय कार्य का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद बजट प्रस्तावों की बेहतर और बारीकी से जांच कर सके, अब यह सुस्थापित प्रथा बन गई है कि रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालायों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की जांच विभागीय स्थायी समितियों द्वारा की जाती है और उनके बारे में प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात् सभा में उन पर चर्चा होती है और फिर उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

चालू सत्र के दौरान भी 1995-96 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच मध्यावधि अवकाश के दौरान सम्बन्धित समितियों द्वारा की गई और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये गये।

वर्ष 1995-96 के लिए रेलवे बजट और रेलवे की अनुदानों की मांगों, वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और वर्ष 1992-93 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर सामान्य चर्चा एक साथ हुई, सभी मांगें पूरी–पूरी स्वीकृत हुईं और सम्बन्धित विनियोग विधेयक सभा द्वारा पारित किये गये।

वर्ष 1995-96 के सामान्य बजट पर सामन्य चर्चा मध्यावधि अवकाश के लिए सभा स्थगित होने से पूर्व हुई लेकिन समय के अभाव के कारण चर्चा पूरी नहीं हो सकी। दो मंत्रालयों अर्थात् रक्षा और संचार की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो सकी और उन्हें सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगें 17 मई, 1995 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखी गई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर भी चर्चा की गई और उन्हें इस पत्र के दौरान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

सभा ने वर्ष 1995-96 के लिए जम्मू–कश्मीर के बजट पर भी चर्चा की और उसे पारित किया। चूंकि बिहार में अल्पावधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया बिहार का लेखानुदान भी सभा द्वारा पारित किया गया।

सभा ने आज जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 जुलाई, 1995 से छः महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दी है। 25 और 26 मई, 1995 को महिलाओं पर अत्याचार तथा महिलाओं की समस्याओं पर नियम 193 के अधीन सजीव और लाभदायक अल्पावधि चर्चा हुई इस संबंध में सदस्यों ने बहुत से लाभप्रद सुझाव दिये।

सदैव की भांति इस बार भी गैर सरकारी सदस्यों ने अपने विचारों को प्रकट करने के उद्देश्य से विधान लाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। विभिन्न विषयों पर छब्बीस विधेयक पुरःस्थापित किये गये। दो विधेयकों पर चर्चा हुई। गैर–सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किये गये दो संकल्पों पर भी चर्चा हुई।

माननीय सदस्यों ने सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने में मुझे और मेरे साथियों माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों को जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से सभा के नेतो, माननीय प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी, विभिन्न, दलों और ग्रुपों के नेताओं तथा सचेतकों का असीमित सहयोग देने के लिए, जिसके बिना मेरा काम आसान नहीं होता, धन्यवाद करता हूं।

सचिवालय के अधिकारियों ने जो अच्छा काम किया है तथा जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सभा की कार्यवाही के बारे में खबरें देने के संचार माध्यमों के प्रतिनिधि भी धन्यवाद और सराहना के पात्र है।

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : अध्यक्ष महोदय, संसद के इस सत्र से देश के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करने का एक बड़ा अवसर मिला है। इससे हमें सरकार की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों पर बारीकी से चर्चा करने का भी अवसर मिला। इस बीच गहन वाद–विवाद और चर्चा हुई है और माननीय सदस्यों के मूल्यवान सहयोग से हम सभी को लाभ हुआ है। इस बात का श्रेय माननीय सदस्यों को जाता है कि हमारी संसदीय प्रणाली की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने समिति प्रणाली आरंभ करके संसदीय समीक्षा सुदृढ़ कर दी है। माननीय सदस्यों के विवेक और उनके मूल्यवान सुझावों से सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार लाने में काफी सहायता मिलती है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस काम में मेरी सरकार पूरा सहयोग देगी।

इस सत्र में राष्ट्रपति जी ने संसद की दोनों सभाओं को सम्बोधित किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया, सामान्य बजट और रेलवे बजट पेश किये गये और विभिन्न मंत्रालय की अनुदानों की मांगें स्वीकृत की गई। इन मुख्य विषयों के अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नतियों में आरक्षण देने संबंधी संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक पारित किया गया जिसका सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। जम्मू–कश्मीर मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाने सबंधी सांविधिक संकल्प की स्वीकृति से स्पष्ट हो जाता है कि हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना के करने के लिए दृढ संकल्प हैं। हम सर्वसम्मति से निर्णय लेने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे और वहीं कार्य करेंगे जो देश के हित में होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने जिस सराहनीय धैर्य और समचित्तता से सभा की चर्चा चलाई है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके दृष्टिकोण और सूझबूझ से लाभप्रद वाद–विवाद करने में सदस्यों को सदैव सहायता मिली है। मैं माननीय सदस्यों, विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का भी इस सत्र के दौरान इस सभा की कार्यवाही में रचनात्मक सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं इस लम्बे सत्र के पश्चात् माननीय सदस्यों के लिए सुखद अवकाश की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, एक कहावत है कि "अंत भला सो भला"। आज सवेरे से ऐसा लगता था कि कुछ बादल घिर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते बादल छंट गए है और हम लोग रोशनी में काम कर रहे है। ये बजट का सत्र था, महत्वपूर्ण सत्र है, लेकिन इस अधिवेशन के दौरान यह बात भी सदस्यों के ध्यान में आई कि हम अगर अपने समय का और अधिक अच्छी तरह से उपयोग करें तो अधिक काम कर सकते हैं, चर्चाओं को अधिक प्रासंगिक बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने अधिवेशन की उपलब्धियों के संबंध में जितने विस्तार से बताया है उसके बाद तो मुझे भी लगने लगा है कि हमने सचमुच में कुछ काम किया था। अन्यथा शोर–शराबे में कुछ महत्व की बातें छूट जाती हैं तथा जो अनावश्यक हैं वे अधिक महत्व पा जाती हैं और जो महत्वपूर्ण हैं वे उतनी मात्रा में ध्यान नहीं खींच पातीं। इच्छा होते हुए भी हम दो से अधिक मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा नहीं करा सके। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा 11 हफ्ते बाद हुई। बजट पर भी विलम्ब हुआ। अगर संसदीय कार्य मंत्री और सब सदस्य इन समस्याओं को भविष्य में मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सदन के समय का अधिक लाभ उठ सकेगा और अधिक काम कर सकेंगे।

जब अधिवेशन आरंभ हुआ तो प्रदेशों में हुए चुनावों की छाया उस पर थी और जब वह अधिवेशन समाप्त हो रहा है तो आने वाले चुनाव की थोड़ी –थोड़ी छाया पड़ने लगी है। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है। यह 5 वर्ष के लिए चुना हुआ सदन है और यह अंतिम वर्ष है। स्वाभाविक है कि सभी पक्षों की ओर से इस बात का प्रयत्न हो कि लोगों के सामने अच्छी से अच्छी तस्वीर जाये, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर हमारी सहमति जिस तरह से आज है उस तरह की सहमति बनी रहनी चाहिए। परिगणित जातियों और परिगणित जनजातियों के रिजर्वेशन में, जिसका संबंध पदोन्नति से है, उसके बारे में सर्वसम्मत निर्णय इस बात का सबूत हैं अगर सबूत की आवश्यकता हो, कि हम दलों की सीमा से उठकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक राय से निर्णय कर सकते हैं।

कश्मीर के बारे में भी आज जो प्रस्ताव पास हुआ है, हम लोग सदन के बाहर चले गए थे, मगर हमने कहा कि यह प्रस्ताव पास होना चाहिए और जब प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाने वाला था तो हम पुनः सदन में आए। क्योंकि कश्मीर का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दुनिया को यह लगना चाहिए कि हम एक आवाज में बोलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कश्मीर की नीति पर सरकार की नीति से हमारे किसी प्रश्न पर मतभेद नहीं हैं। लेकिन मतभेद एक सीमा तक होने चाहिएं, मर्यादा में होने चाहिएं और उनका प्रकटीकरण शालीनता से होना चाहिए। कभी–कभी हम लोग शालीनता की सीमा को लांघ जाते हैं और उस समय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी ओर देखते हैं। कभी–कभी आपकी घुड़कियां भी सहते हैं, आपसे लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में आप अपनी कुशलता से ऐसा रास्ता निकालते हैं कि फिर सब उस पर चल पड़ते हैं। आज आपने ऐसा ही किया।

स्थायी समितियां बहुत ठोस काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनके कार्य की जितनी कीमत होनी चाहिए हो नहीं रही है। आपने उल्लेख किया कि कुछ मंत्रालयों ने मांग स्वीकार की हैं, सिफारिशें स्वीकार की हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन और मंत्रालयों को भी स्थायी समितियों की रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो उनमें सुझाव आते हैं उनको अंगीकार करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि गरमी के दिनों में दिल्ली में ऐसे क्षेत्रों में आए गए सदस्य भी तीन महीने निवास करते रहे हैं जहां का वातावरण सुखद हैं, जहां शीतलता का वातावरण है। यहां बाहर की गरमी अलग है और कभी–कभी सदन में उत्पन्न होने वाली गरमी अलग रंग पैदा करती है। लेकिन अब समाप्ति हो रही है। हम सब लोग आपको धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार कुशलता से आपने सदन का संचालन किया और प्रधानमंत्री, अन्य दलों के सभी नेतागण, सबके सहयोग से हम सदन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर हम गर्व न कर सकें तो संतोष तो कर ही सकते हैं और उसका

सबसे अधिक श्रेय आपको और सबको जाता है।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय अध्यक्ष जी,

दसवीं लोक सभा का यह बजट सत्र अब समापन की ओर,

समस्याओं का दिखता नहीं कोई ओर छोर।

राजनीति में चला हुआ है, अनिश्चितता का जोर।

भीतर बाहर के संकट हैं, किन्तु है पुरुषार्थ हमारा सम्बल।

आओ हम देश को दुखदि से मुक्त कर सुखी समृद्ध बनायें।

अध्यक्ष जी, आपके प्रति और सदन को हार्दिक शुभ–कामनायें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस लम्बे बजट सत्र में, सदन को तो सुव्यवस्थित ढंग से चलाया ही लेकिन जितना समय आपने सदन के बाहर, अपने चैम्बर में, पार्टियों के नेताओं की बैठक करके, कमेटियों की बैठक करके, इस बात का पूरा प्रयास किया कि हमारे सामने जितने प्रमुख काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं, वे सब पूरे हो जायें। किसी महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रम पर चर्चा हो, इस संबंध में हम लोगों को जितनी चिंता होती है, कई बार उससे ज्यादा चिंता आपको होती है। आप कहते रहते है कि अमुक महत्वपूर्ण बात को हम छोड़ रहे हैं, इससे नुकसान हो सकता हैं। हम लोग भी आपके निर्देश का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। सरकार को भी संतोष होना चाहिये कि जितने महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार सदन में लाना चाहती थी, पास करना चाहती थी, हम सब लोगों ने उस काम में सहयोग दिया, उन्हें पास कराया और दो तीन विधेयक तो हमने बगैर चर्चा के पास किये क्योंकि हम समझते थे कि उनका पास होना आवश्यक है। खासतौर से, पिछले दो तीन दिनों में हमें सदन में कुछ महत्वूपर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो एकता देखने को मिली, वहीं हमारी शक्ति है, वहीं हमारी अभूतपूर्व परंपरा है जो हमारे जनतंत्र को और संसदीय व्यवस्था को शक्ति देती है। हमारे विरोधी दल के नेता ने भी उसका जिक्र किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के बारे में काफी समय से मांग थी और हमने एक स्वर से और एक राय से उस संविधान संशोधन विधेयक को यहां पारित किया।

आज जम्मू कश्मीर की समस्या हमारी बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, जिसको हम चाहते हैं कि पूरी शक्ति लगाकर हल करें क्योंकि कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, अटूट भाग है। सब लोग चाहते हैं कि वहां शांतिं आये, व्यवस्था कायम हो, बहां के लोग सुखी रहें, वह हमारे देश का अभिन्न अंग बनकर देश के अन्य भागों के साथ तरक्की करे और वहां भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम हो। उस प्रश्न पर भी हम सबने जिस सूझ–बूझ का परिचय दिया, हमने सारी दुनिया को दिखा दिया कि किसी भी राष्ट्रीय मसले पर हम सब एकमत हैं।

अध्यक्ष जी, आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं कि कुछ दिन पहले आपके निमंत्रण पर साइप्रस के स्पीकर साहब यहां आये थे। उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय प्रजातंत्र से मार्गदर्शन ले रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। गुट–निरपेक्ष देशों को मजबूत करने में आपकी बहुत भारी भूमिका रही है। देश में प्रजातंत्र को मजबूत करने में और समृद्ध करने में, हम आपकी तरफ ही देखते हैं। हमारे प्रजातंत्र में वह शक्ति है कि हम यहां संघर्ष भी करते हैं, विचारों का टकराव भी होता है लेकिन हमारे मनों में कटुता पैदा नहीं होती। यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और इसका श्रेय आपको है। आप हमें समझा–बुझाकर, हमारे हितों की याद हमें दिलाते हैं। यदि कभी हमें डांटते भी हैं तो बहुत प्यार से डांटते हैं और हम समझ जाते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं, वह हमारे हित में है।

आज मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार की तरफ से भी और विरोधी दलों की तरफ से भी, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसे हमने सुचारू रूप से निभाया है और इसके लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपने जो भावनाएं लोक सभा कर्मचारियों के प्रति व्यक्त की हैं, जो हमारे सचिवालय में काम करते हैं, उन्होंने भी हमारे काम को सुचारू रूप से चलाने में काफी योगदान दिया है, उनके प्रति भी हम धन्यवाद करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खड़े हो जायें क्योंकि वंदे मातरम् की धुन बजाई जायेगी।

7.40 म. प.

राष्ट्रीय गीत

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

7.41 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/42/42/95 (एन०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली—110006 द्वारा मुद्रित।